खण्ड-104, अंक-6
शनिवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1874
(19 जुलाई, 1952 ई0)

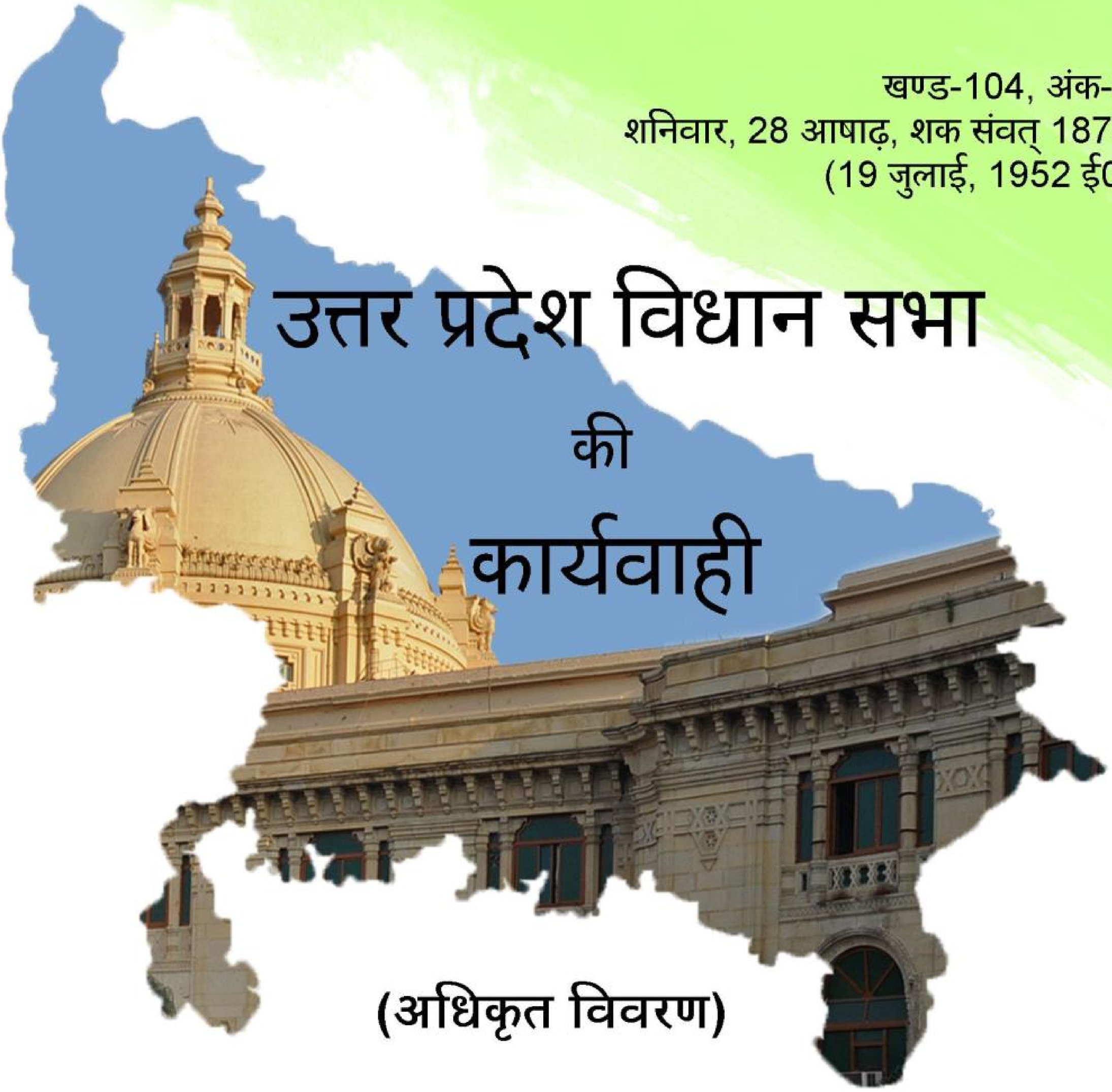

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 104 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १९ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह कुंवर, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरनलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

अध्यक्ष--वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव ।

जो सुझाव समय के सम्बन्ध में हों, वह कृपया दें ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की ४ ग्रांट हैं और सभी हमारे निर्माण मंत्री जी से सम्बन्ध रखती हैं और वह सब एक दूसरे से कनक्टेड (संबद्ध) हैं । नम्बर ४६, राजस्व लेखे के बाहर जो निर्माण हैं उनसे सम्बन्धित हैं । ३१, जो राजस्व लेखे के अन्दर निर्माण कार्य हैं उनसे सम्बन्धित हैं । ३२, केन्द्रीय सड़क के लिये धनराशि है और ३३ में इस्टैब्लिशमेंट वगैरह का खर्चा है । सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । इसलिये मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि चारों ग्रांट एक ही साथ ले ली जायं और सारा दिन इसमें खर्च किया जाय ।

लेकिन अगर कुछ महानुभाव पसन्द न करें तो सब को अलग अलग ले लिया जाय । अनुदान संख्या ४६ के लिये १ घंटा, ३१ के लिये डेढ़ घंटा, ३२ के लिये डेढ़ घंटा और ३३ के लिये १ घंटा । इस तरह से डिवाइड (विभाजन) कर दिया जाय ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, जो अभी हमारे माननीय सदस्य गुप्त जी ने आपके सामने प्रस्ताव रखा है कि चारों अनुदान एक साथ ले लिये जायं, मैं उसका समर्थन करता हूं । इसका खयाल रखा जाय कि जितने कटौती के प्रस्ताव हों उनमें जो हिसाब हो उसी के अनुसार बोलने के लिये सबको मौक़ा रहे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मेरी राय तो यह है कि अगर अलग-अलग सब अनुदानों को लिया जाय तो ठीक रहता और सब अनुदानों पर विचार करने का मौक़ा मिल सकता है । इसलिये अलग-अलग समय नियत किया जाय ।

अध्यक्ष---अलग-अलग जो समय अभी बताया गया वह आपको पसन्द है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---जी हां ।

अध्यक्ष---तो यही समय रहा कि पहली के लिये एक घंटा, दूसरी और तीसरी के लिये डेढ़-डेढ़ घंटा और चौथी के लिये एक घंटा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--चूंकि चारों अनुदान सब एक-सी हैं तो कम से कम हमको बहस करने का मौक़ा.....

अध्यक्ष--यह मौक़ा इस वक्त नहीं है। मैंने निर्माण मंत्री को काल कर (पुकार) लिया।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत पूंजी लेखा १,८०,१०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मांग व अनुदान के विषय में इस वक्त सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेना है और मांग जो है यह कैपिटल एक्सपेंडीचर है यानी जो राजस्व से आमदनी है उसमें से यह खर्चा मीट (पूरा) नहीं किया जा रहा है। इसके विषय में कुछ बिल्डिंग्स की ग्रांट है। जैसे मूल निर्माण कार्य भवन, इसमें १,६९,३८,५०० रुपया है। मूल निर्माण कार्य यातायात के लिये १०,१३,००० रखा गया है। मूल निर्माण कार्य विविध में १,३६,१०० रुपया है। इसी में टूल्स और प्लांट्स (उपकरण) (स्थिरयंत्र) के लिये १,८७,६०० रुपया है।

इसके अलावा बिल्डिंग्स में या भवन वगैरह के विषय में भी इसी तरह से है, जैसे सेक्रेटेरियट है, इलाहाबाद का हाईकोर्ट वगरह है। उसमें परिवर्तन या परिवर्द्धन किया है; उसमें २,३०,००० है। बाराबंकी में एक नये अस्पताल के लिये १ लाख रुपया रखा गया है।

इसी तरीक़े से मध्यम वर्ग के लोगों के मकानों के निर्माण के लिये २५ लाख रुपया इस मांग के अन्दर रखा गया है। जहां तक यातायात का सम्बन्ध है, इसमें से ८ लाख १३ हजार रुपये की व्यवस्था इस अनुदान के अन्दर की गयी है जो खास तौर से लखीमपुर में 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' के सम्बन्ध में सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। टेहरी-गढ़वाल की सड़कों के सुधार के लिये दो लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा मिसलेनियस (प्रकीर्ण) पर १ लाख ३६ हजार १ सौ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर माननीय सदस्यों की राय और सुझाव जानना चाहूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष, मेरे स्थान पर मेरे साथी श्री नारायण दत्त तिवारी कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेरे साथियों ने कहा कि आज के चारों अनुदान सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये अगर मैं आम तरीक़े से सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में अपनी राय प्रकट करूंगा तो आप मुझे इसकी आज्ञा देंगे।

अध्यक्ष--एक आम नीति पर आप बोल सकते हैं, लेकिन और अनुदानों में जो प्रश्न आये हैं उनको आप नहीं उठा सकेंगे। जब अलग-अलग अनुदान रख दिये गये हैं तो इसी अनुदान पर बोलना होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जैसा कि सभी मानते हैं किसी भी देश की यातायात व्यवस्था उस देश के आर्थिक निर्माण में सर्वोपरि मानी जाती है।

अध्यक्ष--आपने कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं माननीय मंत्री के पेश किये गये अनुदान में से एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष--कृपा कर ऐसा किया करें कि जो प्रस्ताव आप पेश करें, वह जैसा छपा हुआ हो उसको वैसा ही पढ़ें, क्योंकि वह आप को प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) में छपता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की यातायात व्यवस्था उस देश के संगठन में उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार शरीर में धमनियों का स्थान है। हम यह देखते हैं कि इस प्रान्त के सार्वजनिक निर्माण विभाग का इतिहास पिछले वर्षों में बहुत ही असफल रहा है, और उसके अन्दर जो त्रुटियां, जो गलतियां, जो खामियां हम पाते हैं वे इतनी अधिक रही हैं कि पिछले कई वर्षों में इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने लगातार सालों साल (जितनी बार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का बजट इस सदन के सामने पेश हुआ है) बड़े ही कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की है। दरअसल कई बार इस सदन में कहा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि एक प्लंडर वर्क्स डिपार्टमेंट (लूट कार्य विभाग) है। यह बात केवल विरोधी दल की तरफ से नहीं कही गयी, बल्कि पिछले साल तो इसी भवन के बहुत से माननीय सरकारी सदस्यों ने भी आंकड़ों के जरिये इस बात को साबित किया।

इस वर्ष भी जो कल रिपोर्ट बांटी गयी उस से पिछले साल के आंकड़ों से मैंने मिलान किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो रिपोर्टें दी गयी हैं अगर मैं उसकी तुलना आपके सामने करूं तो आप देखेंगे कि कितना जमीन-आसमान का फर्क हमारी सरकार के दावे में और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में है। सन् १९५०--५१ की व सन् १९५१-५२ की रिपोर्टें हमारे सामने हैं। अगर आप आखिरी पेज पर दिये हुये टोटलों को मिलायें तो आप को पता चलेगा कि पिछले एक साल में केवल २४ मील मैटल्ड रोड बनी है और केवल ११ मील अनमेटल्ड रोड बनी है। इसमें आप यह देखेंगे कि अनमेटल्ड रोड में पिछले साल ४,५८२ मील सड़कें बन गयी थीं।

इस साल की रिपोर्ट के अनुसार ४,५९३ मील बनीं यानी केवल ११ मील सड़कें बनीं। इसके साथ-साथ जहां तक अनमेटल्ड रोड्स का सवाल है, पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार १,५३० मील मेटल्ड रोड्स सारे सूबे में बनी थीं। इस साल की रिपोर्ट के अनुसार १,५५४ मील बनीं यानी केवल २४ मील अनमेटल्ड रोड्स सारे साल भर में बनीं।

अध्यक्ष--क्या इस अनुदान में सड़कों का जिक्र है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी हां, है।

श्री गिरधारी लाल--है, लेकिन बहुत मामूली तरीके से है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--चाहे मामूली तरीके से ही सही, लेकिन है तो। आप यह देखें कि जहां तक रिपोर्ट का सवाल है उसमें कहीं अलग-अलग नहीं दिखाया गया है कि रेवेन्यू से कितनी सड़कें बनीं और नान-रेवेन्यू से कितनी सड़कें बनीं।

श्री गिरधारी लाल--रेवेन्यू से जो सड़कें बनी हैं वे दूसरी ग्रान्ट में हैं। यह तो कैपिटल एक्सपेंडीचर से बनी है। इसमें तो सिर्फ लखीमपुर-खीरी में एक सड़क का जिक्र है जिसके लिये ८ या १० लाख रुपया दिया गया है।

अध्यक्ष--तो इस स्पष्टीकरण के बाद मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि सड़कों के सम्बन्ध में जनरल तरीके से आप अपना भाषण दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मगर इसमें तो सड़क के बारे में जिक्र है।

अध्यक्ष--लखीमपुर-खीरी सड़क के बारेमें जिक्र है। इसीलिये आप इसमें वे आंकड़े नहीं पढ़ सकते, जो आंकड़े सभी सड़कों के सम्बन्ध में है, उसके ऊपर आप अपना भाषण या बहस इस अनुदान में जारी नहीं कर सकते। उस सम्बन्ध में जब अनुदान आये तब आप बतला सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—बहुत अच्छा। आपकी आज्ञा मैं मानता हूं। शायद उस समय मुझे इस बारे में कहने का मौका मिले।

तो यह बात है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल केवल ११ मील मेटल्ड रोड्स बनीं और २४ मील अनमेटल्ड रोड्स बनीं। मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं है लेकिन पता नहीं कि कैसे यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसीलिये मैं कहता हूं कि रिपोर्ट के छपवाने में जरा सावधानी बरतनी चाहिए।

इसके बाद अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसमें दारुलशफा रेजीडेन्स के बनाने का जो बात है उसमें आप यह देखेंगे कि ४२ लाख रुपया उसके लिये दिया जा चुका है जबकि शुरू में जब एस्टीमेट (प्राक्कलन) बनाया गया था तो यह कहा गया था कि करीब २४ लाख रुपया लगेगा। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां भी पी० डब्ल्यू० डी० की ग्रान्ट होती है उसमें पहले तो बहुत कम दिखाते हैं लेकिन आखिर में वह दुगुनी और तिगुनी तक पहुंच जाती है। २४ लाख का एस्टीमेट दारुलशफा के लिये था और ४२ लाख खर्च हो चुका है लेकिन फिर भी अभी तक तीसरी मंजिल पूरी नहीं हुई है। आप देखिए कि ए-ब्लाक अभी तिमंजिली होने को बाक़ी है और ४२ लाख रुपया खर्च भी हो चुका है। तो इस तरीक़े से पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि हर एस्टीमेट को बाद में बढ़ा कर इस हाउस से ग्रांट ले ली जाती है लेकिन उसका ठीक उपयोग नहीं किया जाता है। इस सदन को नहीं मालूम है कि जितना रुपया हम मंजूर करते हैं उसमें से कितना वर्क्स में जाता है और कितना मजदूरी में जाता है। इसका कोई कहीं हिसाब नहीं है। बहुत सी जगह तो ऐसा भी हुआ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जाली नाम मस्टर रोल में रख दिये जाते हैं और उनके नाम से कुछ खास अधिकारी रुपया लेकर अपनी जेब में रख लिया करते हैं।

श्री गिरधारी लाल—क्या इसकी कोई मिसाल आप बतलायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी हां। यहां या आपके दफ्तर में ?

श्री गिरधारी लाल—जब आपने इस चीज को यहां कहा है तो यहीं मिसाल दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो सुनिए, करीब-करीब हर जगह यही चीज होती है।

अध्यक्ष—इस तरह से प्रश्नोत्तर की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं तो आपकी आज्ञा के द्वारा ही उत्तर दूंगा। लेकिन प्रश्न तो मन्त्री जी ने सीधा मुझसे ही पूछा। उनको आपकी आज्ञा लेनी चाहिए थी।

तो मैं यह कहूंगा कि जब मौक़ा आयेगा मैं अवश्य बतलाऊंगा और मैं भी उदाहरण देना चाहता हूं कि करीब-करीब हर डिवीजन में और मेरे कुमायूं डिवीजन के अन्दर भी कहीं-कहीं ऐसे नकली नाम मस्टर रोल के अन्दर लिख दिये गये जिन्होंने कभी भी काम नहीं किया। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि.....

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा .....

अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य बोल रहे हों वह जब तक बैठ न जायं तब तक किसी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। आपके खड़े होने पर जब वक्ता बैठ जायं तब आप अध्यक्ष से प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री शिव नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि आपने जो कौंसिलर्स रेजीडेन्स की मिसाल दी तो उसका आपको सबूत देना चाहिए था।

अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तीवारी) उनको जो पूछना था वह पूछ लिया अब अगर आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उत्तर देने की कोई खास जरूरत नहीं है। सभी प्रायः जानते ही हैं। पी० डब्ल्यू० डी० की अन्दरूनी हालत क्या है? मैं इस पर बोल रहा था। डिपार्टमेन्टल

इन्क्वायरी के लिये कमेटीज बिठायी गईं। लेकिन आज तक जितनी भी इन्क्वायरी कमेटीज इस डिपार्टमेंट के करप्शन (भ्रष्टाचार) की जांच के लिये बनी हैं तो उनमें क्यों नहीं इस हाउस के किसी माननीय सदस्य को रखा गया? क्या ऐसी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमेटीज से कुछ भी जांच हो सकती है? पिछले तीन साल के अन्दर १३१ शिकायतें आईं और सजा क्या दी गई, दो असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और शायद २-३ ओवरसियर्स को डिसमिस या रिट्रेंच किया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इतनी ही शिकायतें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में हुई होंगी। इन इन्क्वायरी कमेटीज में क्यों नहीं किसी माननीय सदस्य को किसी निष्पक्ष जज को या किसी और सीनियर आफिसर को रखा गया। वही लोग इन्क्वायरी करें, जिनके खिलाफ शिकायत हो तो क्या यह ठीक है? मैं सिफारिश करूंगा कि अगर हमारे नये मिनिस्टर साहब इस विभाग से करप्शन को दूर करना चाहते हैं, तो जो आपकी कमेटी है उसमें भवन के माननीय सदस्यों को या गैर सरकारी सदस्यों को नागरिकों में से या किसी निष्पक्ष जज को रखें ताकि करप्शन की ठीक-ठीक जांच हो सकें।

इसके अलावा यह बात आवश्यक है कि जो पब्लिक वर्क्स के अलग-अलग कामों में मजदूर काम करते हैं उनकी मजदूरी नियत करने के लिये और जो काम पी० डब्ल्यू० डी० के सुपुर्द किये जाते हैं उनमें कितने आदमी रखे जाते हैं इसकी जांच के लिये कमेटी के बिना ठीक जांच नहीं हो सकती है और न करप्शन ही दूर हो सकता है। क्योंकि आफिसर्स अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने मजदूर रखते हैं और लगातार वह अपनी मर्जी से काम कराते चले आ रहे हैं। मालूम नहीं हो सकता कि कितना रुपया काम पर खर्च किया गया और कितना रुपया साफ कर दिया गया। इसके लिये एक बोर्ड बनाया जाय जो हर एस्टीमेट की जांच करे और देखे कि आया कि किसी काम में कितने मजदूर लगाये गये हैं और उनकी क्या मजदूरी है। और सरकारी काम करने में एक्चुअल (वास्तविक) कितना रुपया खर्च हो चुका है। इस हिसाब से अगर सरकार चलेगी तो करप्शन एक हद तक इस विभाग में कम हो जायेगा।

दूसरी चीज सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स का सवाल है। मैं नहीं समझता कि हमारे पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट के अन्दर इनकी कोई आवश्यकता है। चीफ इन्जीनियर का सीधा संबंध एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से हो सकता है। इनके बीच सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आफिस के लिये लाखों रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक आइटम १२ लाख रुपये का कोलोनाइजेशन स्कीम आफ काशीपुर ऐन्ड तराई के लिये रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह आइटम इसमें कैसे रखा गया है। माननीय कृषि मन्त्री जी ने यह बताया था कि तराई और काशीपुर की कोलोनाइजेशन स्कीम पूरी हो चुकी है, लेकिन यहां बजट में मैं देखता हूं कि ५६ वें आइटम में इस भूमि के लिये अनुदान रखा गया है। माननीय मन्त्री जी जांच करेंगे कि यह आइटम इसमें किस तरह से आ गया।

श्री जगत नारायण (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया। फिर आपके द्वारा मन्त्रिमण्डल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका ध्यान बाराबंकी जिले की ओर आकृष्ट हुआ और वहां के अस्पताल के वास्ते उन्होंने एक लाख रुपये अब की मर्तबा रखे हैं। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह जो १ लाख रुपये की रकम अस्पताल के वास्ते रखी गयी है वह बहुत ही कम है। मन्त्रिमण्डल ने जो तखमीना रखा है वह ११ लाख रुपये का है और इस दफा बजट में सिर्फ एक लाख रुपये का बन्दोबस्त किया गया है। इसके मानी यह हैं कि अगर इसी तरह से सरकार का ध्यान बाराबंकी की ओर रहा तो अस्पताल ११ साल में पूरा हो सकेगा। आपके द्वारा मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सम्भव हो तो इस दफा ही इसमें कुछ इजाफा किया जाय, क्योंकि वहां अस्पताल की हालत बहुत ही जीर्णावस्था में है और जो मौजूदा इमारत है वह घुड़साल के लिये भी नामौजूं है।

[श्री जगतनारायण]

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं मन्त्रिमण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है मध्यम वर्ग के मकानों के निर्माण के सिलसिले में। मैं सरकार को बताये देता हूं कि उन्होंने बजट में इस सम्बन्ध में काफी रुपया रखा है, लेकिन मैं बाराबंकी की तरफ मन्त्रि-मण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीन साल के करीब हुए वहां पर मध्यम वर्ग के मकानों के सिलसिले में एक सोसाइटी का निर्माण किया गया कि वह मकान बनवाये। राष्ट्रीय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बाराबंकी उसका नाम था, लेकिन तीन साल के दौरान में जब कि उस सोसाइटी ने भूमि प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिया तो उसको कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई।

मैं देखता हूं कि सरकारी योजनाओं के वास्ते चार छः महीने में भूमि प्राप्त कर ली जाती है, लेकिन यह जो मध्यम वर्ग के मकानों के निर्माण का मसला है वह काफी अहमियत रखता है लेकिन उसको वह प्रायरिटी नहीं मिलती है जो और राजकीय मामलों में दी जाती है। यह अर्जेण्ट पब्लिक नीड्स (तुरन्त जन आवश्यकता) का मसला है। मैं समझता हूं कि इसको भी वही प्रायरिटी मिलना चाहिए जो कि और दूसरे सरकारी कामों में दी जाती है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार का आदेश होना चाहिए कि इस मामले को अर्जेण्ट नेचर का करार दिया जाय और जल्दी से जल्दी भूमि पर कब्जा सोसाइटी का कराने का प्रबन्ध कराया जाय। साथ ही यह भी गुजारिश करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो भी सहायता धन से सरकार सोसाइटी को दे सकती है वह दे। यह कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री मुहम्मद अतीक अब्बासी (जिला बस्ती)—जनाबवाला, मैं आपके जरिये से इस ग्रांट के ऊपर दो बातों की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि अदालतों की इमारतों को बनवाने के लिये इस बजट के अन्दर एक पैसा भी कहीं नहीं दिया गया है। अभी हाल ही में गवर्नमेन्ट की तरफ से जो वांचू कमेटी की रिपोर्ट तकसीम हुई है उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। वान्चू कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को सिम्पली-फाई (सरल) करने के लिये बनाई गई थी। मैं यह समझता हूं कि बड़ी मेहनत और मुस्तदी से वह रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट के अन्दर यह शिकायत की गई है कि अदालतों की इमारतें ऐसी नहीं हैं जिससे इन्साफ का एक दबदबा कायम हो सके।

मैं अपने जिलों में देखता हूं कि मोटरखानों में इजलास हो रहे हैं और हालत यह है कि मुकदमों की तादाद ४ गुना और ५ गुना बढ़ गई है। वान्चू कमेटी की रिपोर्ट को देखने से यह मालूम होता है कि बहुत से जिलों में जजों की अदालतों में बल्कि दीवानी में और कलेक्टर की अदालतों में मुकदमात बहुत काफी तादाद में बकाया पड़े हैं और यह भी शिकायत की है कि अदालतों में इमारत नहीं है। ऐसी सूरत में यह जरूरी है कि अदालतों की इमारत तैयार करने की तवज्जह दिलाई जाय। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर इन्साफ खरीदा जाता है। पब्लिक पैसा देकर वहां पर इन्साफ पाने के लिये जाती है। इंगलिस्तान के अन्दर ऐसा नहीं है। वहां पर स्टाम्प वगैरह लगाकर पैसा खर्च नहीं किया जाता है और न कोई फीस लगती है। यहां तो हालत यह है कि गवर्नमेंट करीब एक करोड़ रुपया सालाना मुनाफा करती है इन अदालतों से और जब हमारी सरकार अदालतों से मुनाफा पैदा करती है, तो उसके लिये यह और भी लाजिमी है कि गवर्नमेंट अदालतों की इमारतों को इस तरीके से बनवाये जो हमारे देश के लिये और हमारे सूबे के लिये शायाने शायां हो, जिसके लिये यह समझा जा सके कि यहां बैठने की जगह है और लोगों पर इसका अच्छा एक असर पड़ सके। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि इस बजट के अन्दर अदालतों की इमारतों के लिये एक पैसा भी नहीं है।

दूसरी बात यह है जिसकी तरफ मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना जरूरी समझता हूं। हमारे जिला बस्ती में एक टी० बी० का अस्पताल बनाने की स्कीम है जिसके

अन्दर गैर-सरकारी लोगों ने काफी सहयोग दिया है। साथ ही सरकारी लोगों ने काफी सहयोग दिया है। उसमें ४४ हजार रुपया बम्बई के एक सेठ ने चन्दा दिया है। वहां के लोगों ने भी चन्दा दिया है। जिस वक्त हमारे जिले के अन्दर माननीय गुप्त जी तशरीफ ले गये थे उन्होंने भी १५ हजार रुपया देने का वादा किया था यह बहुत थोड़ी रकम है उसकी इमारत बनवाने के लिये। लेकिन वह रुपया भी हमको अभी तक नहीं मिला है और उस इमारत के सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राविजन बजट के अन्दर इमारत बनवाने का नहीं है। मैं यह अर्ज करूंगा कि बस्ती का अस्पताल पहले ऐसी हालत में था कि जब गवर्नर साहब वहां पर गये थे अंग्रेजों के जमाने में तो उन्होंने कहा कि बस्ती का अस्पताल सूबे के सब अस्पतालों से खराब हालत में है। उसके लिये जमीन दी गई और एक नया अस्पताल बनाने की भी स्कीम बनी, लेकिन वह अस्पताल नहीं बना और जनता ने अपनी तरफ से चन्दा देकर और नये नये वार्ड बनाकर उस अस्पताल को ऐसा कर दिया है कि वह अच्छे अस्पतालों के बराबर है। आज जबकि यह कैफियत है कि जनता की मदद आपके साथ है और वहां की जनता मदद करने के लिये तैयार है और उस टी० बी० अस्पताल के लिये रुपया भी इकट्ठा किया जा चुका है और आगे भी कोशिश की जा रही है तो गवर्नमेंट को उसके लिये मदद करनी चाहिए और गौर करना चाहिए और जिस १५ हजार रुपये का देने का वादा किया गया था वह फौरन मिलना चाहिए हालांकि वह बहुत थोड़ी रक़म है और ऐसी रक़म नहीं है जिससे बहुत तेजी से काम किया जा सके और बढ़ते हुए टी० बी० के रोग को रोका जा सके। इन अल्फाज़ के साथ मैं गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं, अध्यक्ष महोदय, एक आवश्यक बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं। भारतीय विधान की भावना को समझते हुये केन्द्रीय सरकार के निर्णय के बाद क्या यह उचित न होगा कि इस सदन के सदस्यों को माननीय कहकर न ऐड्रेस किया जाय।

अध्यक्ष--वहाँ से इस बारे में जो हिदायतें आई हैं उनमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदन के सदस्यों को ऐड्रेस करने का जो रिवाज है उस पर इस नियम से कोई असर नहीं होता है और चूंकि यहाँ का "माननीय" कहने का रिवाज है और यहाँ यह इसलिये नहीं कहा जाता है कि ऐसा कहने से हर एक माननीय सदस्य मिनिस्टर बन जाता है, या उसको कोई पद मिल जाता है, बल्कि यहाँ तो "माननीय" शब्द केवल गौरव के लिये कहा जाता है। इसलिये जिस तरह से अर्से से रिवाज के तौर पर "माननीय" शब्द सब सदस्यों के लिये प्रयोग में आता है वह किसी पद का द्योतक न होने से इस्तेमाल होता रहेगा।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को हम ने बहुत ध्यान से पढ़ा है। जैसे पूर्वी जिलों की ओर ध्यान बहुत कम दिया जाता है उसी तरह से इसमें भी खास तौर से हमने देखा है कि आजमगढ़ के लिये पुलिस या चिकित्सा या और किसी भी मद में कोई रकम नहीं रखी गई है। आजमगढ़ जिले का जो सदर अस्पताल है उसकी हालत बहुत खराब है, उसके भवन के लिये कुछ न कुछ रक़म रखी जानी चाहिये थी लेकिन उसके लिये कोई प्राविजन (उपबंद) नहीं किया जा रहा है। पुलिस की जो चौकियाँ या आउटपोस्ट हैं उनके लिये कोई रकम नहीं रखी गई है।

सुपरिटेंडेंट पुलिस महोदय मुझसे कह रहे थे कि आप लोग जा कर के क्यों नहीं बतलाते कि यहाँ की यह हालत है और शहर तक की आउटपोस्ट की हालत खराब है और कोई रक़म उसके लिये नहीं रखी गई है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस वक्त बजट बनाया जाय उस वक्त इसका भी खयाल रखा जाय। मैं समझता हूं कि जिस वक्त बजट

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

बनाया जाता है उस वक्त जिले के अधिकारियों से भी वहाँ की जरूरतों के बारे में राय ली जाती होगी ।

दूसरे वहाँ के अस्पताल की हालत यह है कि वहाँ इण्डोर मरीज जो सोये रहते हैं तो पुरानी इमारत बनी होने की वजह से, जो शायद ७०--८० साल की बनी हो जिसमें चूना लगा दिया गया है, मरीजों पर छत से मिट्टी गिरा करती है । उसके लिये भी कोई रकम नहीं रखी गई है । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिछड़े हुये जिलों की हर बात पर ध्यान देकर उनके लिये भी कुछ अनुदान में रखना चाहिये ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बोलने का मेरा आशय यह नहीं है कि मैं इस अनुदान का विरोध करूं, बल्कि मैं इस अवसर पर एक मौलिक सिद्धान्त की बात, अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा देश गरीब है; हमारे पास बहुत से रचनात्मक कार्य करने के लिये पैसा नहीं है । इस भवन में जब खर्चे की आवश्यक बातें लाई जाती हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे पास धन की कमी है और वस्तुतः यह बात सही भी है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि बड़ी बड़ी इमारतें बना कर हमारे बजट का इतना अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है । आप जानते हैं कि यदि कोई भी व्यवसायी किसी व्यवसाय करने के लिये आगे जावे और अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी इमारतों में और ईंट और सीमेंट में खर्च कर दे और इमारतें खाली पड़ी रह जावें, बिना इक्विपमेंट और आवश्यक चीजों के तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कौन सी नीति होगी; उसे कैसे एक अच्छी नीति कहेंगे ? मैं कहता हूं कि वह अच्छी नीति नहीं है । हमारे देश का यह आदर्श रहा है कि जब आर्किटैक्चर की कला हमारे यहाँ पूरे विकास पर रही है तब भी हमारे देश में बड़े-बड़े महान् कार्य भी झोपड़ों में किये गये । तो, अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यह कोई कारण नहीं है काम रोकने के लिये कि उसकी इमारतों के लिये पैसा नहीं है ।

मुझे मालूम है कि माननीया विजय लक्ष्मी पंडित जी ने एक समय मुझसे कहा था और इसका पत्रों में भी काफ़ी प्रचार हुआ था कि आगरे में १,००० बेड्स का अस्पताल बनाया जायगा जो एशिया में सबसे बड़ा अस्पताल होगा । उसके लिये जमीन और सैकड़ों वैगन कोयला भी उस समय लिया गया जबकि उसकी और आवश्यक कार्यों के लिये जरूरत थी । वह कोयला आगरे की सड़कों पर मेंह और पानी से बह गया । उसके बाद हमसे कहा गया कि यह योजना इसलिये स्थगित की जाती है कि इसके लिये पैसा नहीं है । तो वह योजना इसलिये स्थगित की गई है कि उसकी आलीशान इमारतों के लिये पैसा नहीं था । दो करोड़ की उस योजना का एक बड़ा अंश उसकी आलीशान इमारतों पर खर्च किया जाने वाला था । उसके लिये पैसा नहीं हुआ इसलिये लाखों रुपया जमीन के एक्वायर (प्राप्त) करने में और कोयला प्राप्त करने में तथा ईंटें बनाने में व्यय हुआ और वह सब व्यर्थ गया चूंकि आलीशान इमारतें बनाने के लिये रुपया नहीं था । एक महान् उचित कार्य जो हमारी सरकार करने जा रही थी स्थगित हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगरे के मेडिकल कालेज ने डेढ़ लाख रुपया इक्विपमेंट और दूसरी आवश्यक चीजों के लिये माँगा था । अस्पतालों के इंस्पेक्टर जनरल ने भी सिफारिश की थी कि आगरे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इक्विपमेंट हैं वह सब खराब हो चुका है और यह रकम बहुत आवश्यक है । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिये केवल ३० हजार रुपया दिया गया जब कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें इसी सदन में यह बतलाया कि ५४ हजार रुपया अब तक खर्च हो चुका है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि १-२ मिनिट और मुझे दे दें उसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि इन बिल्डिगों के संबंध में रखे हुये केवल मेरे ही विचार नहीं हैं, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के भी, जिनके हाथ में हमारे देश की पतवार है, यही विचार हैं । उनका कहना है--

"We should not wait too long for structures of brick and concrete, We require buildings for everything, for our offices, schools, hospitals, dispensaries etc. Nevertheless, work of every kind can and should be carried on even without buildings. I just do not wish that we should wait in a supine manner before we start work until we have a solid building about us. I am not against solid buildings but I am against this business of waiting till have a pucca structure of brick or cement or something else.

I am quite clear that a housing programme in India should essentially be based on material which are found locally in a village. Have houses of cement and steel where you can get them but the programme must not depend on some special article, which is not easily available. We should increase our cement production and so many other things but we should not wait for that before we proceed building houses, or schools, dispensaries or little hospitals and the like.

Let us havs by all means 'kucha' buildings or a straw hut. As a matter of fact, some of our modern structures of brick and mortar are horrid and uncomfortable. Our Central Public Works Deparment will say that they are lasting but the first idea that strikes one on seeing some of these buildings is how soon they can be put an end to....."

[हमें ईंटों और कंकरीट की बनावट के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी चाहिए। हमें अपने कार्यालयों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों आदि सभी चीजों के लिए इमारतों की आवश्यकता है। तो भी प्रत्येक प्रकार का कार्य इमारतों के बिना भी किया जा सकता है और करना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि हम उस समय तक पीठ के बल लेट कर प्रतीक्षा करें और जब हमारे पास ठोस इमारत हो जाय तब हम कार्य आरंभ करें। मैं ठोस इमारतों के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु मैं इस कार्य के विरुद्ध हूं कि तब तक प्रतीक्षा की जाय जब तक हमारे पास ईंट, सीमेंट या और किसी चीज की पक्की बनावट न हो।

मेरा स्पष्ट कथन है कि भारत में मकानों के प्रोग्राम का आधार अवश्य ही वह सामग्री होनी चाहिए जो किसी गाँव में प्राप्त हो सके। आप वहाँ सीमेंट और फौलाद के मकान बना सकते हैं जहाँ ये चीजें मिल सकती हों किन्तु प्रोग्राम किसी ऐसी वस्तु पर निर्भर न होना चाहिए जो आसानी से न मिल सके। हमें अपने सीमेंट-उत्पादन या अन्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए परन्तु हमें तब तक प्रतीक्षा न करनी चाहिए जब तक कि भवनों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों, छोटे अस्पतालों या इसी प्रकार की इमारतों का बनाना आरम्भ न हो जाय।

हमें हर प्रकार से कच्ची इमारतें या फूस की झोपड़ियाँ बनानी चाहिएं। वस्तुतः हमारी कुछ आधुनिक ईंट और गारे-चूने की इमारतें खतरनाक और असुविधाजनक हैं। हमारा केन्द्रीय निर्माण विभाग कहेगा कि वे बहुत समय तक टिकाऊ होती हैं परन्तु इन इमारतों में से कुछ को देख कर प्रथम विचार जो किसी के मस्तिष्क में उठता है वह यह है कि कितना शीघ्र इनका अन्त किया जा सकता है.....]

अध्यक्ष--जितना आप पढ़ चुके हैं उसके बाद जो बचा है उसे आप माननीय मंत्री के पास भेज दें। पंडित जवाहर लाल जी ने अपने शब्दों में जो कुछ कहा है उसका बाकी भाग आप अब और न पढ़ें, माननीय मंत्री के पास भेज दें। क्योंकि आपका समय हो गया है आप अपना स्थान ग्रहण करें।

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान माननीय निर्माण मंत्री ने इस भवन के सामने रखा है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने जो आलोचनायें इस भवन के सामने इस माँग के संबंध में की हैं, उनकी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

थोड़ी सी चर्चा भी कर देना चाहता हूं। श्रीमन्, यह निर्माण का कार्य एक बड़ा कठिन कार्य है। निर्माण के कार्य में न तो आदमी को पब्लिसिटी ही मिलती है और न चाव ही होता है जो और कार्यों में हुआ करता है। निर्माण का कार्य वही कर सकता है, जो लगन के साथ किसी एक कार्य में लगे। इस विभाग की यह भी एक बदकिस्मती है कि यह बदनाम रहा है और बदनाम होने के कारण भी हैं। हमने जो चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट से पाई थीं, उनमें कुछ खराबियाँ थीं और वे खराबियाँ अभी तक चली आ रही हैं। लेकिन इन खराबियों को दूर करने की कोशिश हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। बहुत सी तो खत्म भी हो गई हैं। अब जो रह गई हैं वे भी माननीय सदस्यों के सहयोग से शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगी। एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की हम और आप सब मिल कर उतनी आलोचना नहीं कर सकते जितनी काँग्रेस के एक माननीय नेता ने चन्द शब्दों में कर दी और वह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि काँग्रेस नेता या काँग्रेसजन जिनके हाथों में सरकार का चलाना है वे इस विभाग की खामियों से नावाकिफ नहीं हैं, उनको वे खामियाँ मालूम हैं और सबसे ज्यादा सूक्ष्म रूप में माननीय राजा जी ने इस डिपार्टमेंट की बाबत कहा है। इसका अर्थ यह समझना है कि इस डिपार्टमेंट की बदनामी रही है तो क्या इस डिपार्टमेंट को बिलकुल बन्द कर दिया जाय या पी० डब्ल्यू० डी० का दफ्तर हटा दिया जाय या इसके जितने कर्मचारी हैं उन सबको खत्म कर दिया जाय? राजा जी ने जिस बात की ओर इशारा किया है वह क्या चीज है? वह एक चीज है जिसे हमको और आपको करना है और वह यह है कि भ्रष्टाचार इस मुहकमे से खत्म हो। भ्रष्टाचार सिर्फ इसी मुहकमे से नहीं, बल्कि सब विभागों से खत्म हो और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की है उतनी ही जिम्मेदारी सब माननीय सदस्यों की भी है। राजा जी ने कहा था कि जो तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसमें जिस तरह की कार्यवाही हो रही है उसको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर वह समझते कि केवल डिपार्टमेंट को खत्म कर देने से या केवल आलोचना करने से काम चल जायगा तो उनके हाथ में था कि वे उस डिपार्टमेंट को ही तोड़ देते। लेकिन उस डिपार्टमेंट को हम तोड़ देते तो सरकार का काम कैसे चलता, पुलिस कहाँ रहती, आपकी अदालतें कहाँ रहतीं? यह अनुदान जो है वह तो जो इमारतें बनायी जाने वाली हैं उनके लिये है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि झोपड़ी में काम हो सकता है। बेशक हो सकता है, मैं उसे मानता हूं। जिस जमाने में भी यह बात हुई हो, हो सकता है कि हजरत अबुल बुकर और हजरत उमर के जमाने में लोग चटाई पर ही बैठ बैठ कर काम करते हों लेकिन आज के इस निर्माण युग में, आज के इस तरक्की के युग में यह जरूरी है कि हम इमारतों में रहें। मान लीजिये कि पी० डब्ल्यू० डी० नहीं होता और यह हाल भी नहीं होता तो आप इस तरह से यहाँ कैसे बैठ कर विचार करते? इसलिये इस डिपार्टमेंट का रहना जरूरी है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सब माननीय सदस्यों को जरा मेहनत करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार इस तरह से नहीं खत्म होता है बल्कि उसके लिये जरा परिश्रम करना पड़ता है। चोर को पकड़ने के सम्बन्ध में एक कहावत है कि एक लड़का था जो रोज कहा करता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, परन्तु वहाँ कुछ नहीं आता था लेकिन एक दिन दरअसल भेड़िया आया और बेचारे को खा गया। इस तरह से उसने स्वयं नुकसान उठाया। तो मैं श्रीमान् की आज्ञा से यह कहूंगा कि यह जो अनुदान आया है वह कुछ खास इमारतों को बनाने की बाबत है पूरे डिपार्टमेंट का अनुदान नहीं लिया गया जैसा कि श्री केशव गुप्त जी ने सुझाव दिया था। कुछ माननीय सदस्य कुछ खास बात कहने के आदी हैं कि यह होता है, वह होता है।

हमारे माननीय सदस्य नारायण दत्त जी ने जब अपना कटमोशन प्रस्तुत किया तो उनका खयाल शायद यह था कि वे आम बहस कर रहे हैं। जिन ग्राण्ट्स का इसमें कोई जिक्र भी नहीं है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ग्राण्ट ४६ के बारे में भी कहा। उन्होंने दारुल-शफा का भी जिक्र किया।

मैं मान सकता हूं कि उसमें गड़बड़ हो लेकिन जब हम और आप समय देते हैं और यहाँ पर बैठते हैं तो जितनी बात की जरूरत हो, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसी के ऊपर बातें करें। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ पर अस्पतालों के बारे में कहा गया। अस्पतालों की डिमाण्ड मंजूर हो गयी और उस पर काफ़ी बहस हुई। लेकिन यह इस विभाग का काम नहीं है कि अस्पतालों में औजार नहीं है, सामान नहीं है। यह चीज हम नहीं कर सकते। कहा गया कि ऐसी कमेटी बनाई जाय जो मजदूरों की मजदूरी नियत करे। यह हो सकता है कि विभाग के जरिये से जो काम हो सकता है उसमें हम नियत कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रैक्टर्स के जरिये से काम होता है उनकी तो पद्धति दूसरी है। उसमें आप कंट्रैक्टर्स के ऊपर चाहे जो बन्धन लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो काम हैं इस विभाग के ज्यादातर कंट्रैक्टर्स के जरिये से होते हैं। तो उसमें ऐसी चीज नहीं हो सकती जो मेरे माननीय दोस्त ने कही। इसी तरह की और बातें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के बारे में कही गईं। उनके इस्टैबलिशमेंट की माँग इसी बजट में मौजूद है उस माँग के आने पर उसकी बातें कर सकते थे। उसकी उपयोगिता कितनी है यह तो विभाग जानेगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसके पास काम काफी है और अगर ऐसी चीज साबित करके दिखलायें कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की जरूरत नहीं है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पर खयाल किया जायगा और किसी तरीके से इस विभाग की ओर से नाजायज खर्चा, जिसकी जरूरत नहीं है, नहीं किया जायगा।

अध्यक्ष--मैं माननीय मन्त्री जी को अवसर देना चाहता था, लेकिन उनके डिप्टी मिनिस्टर ने इण्टरवीन कर लिया। इसलिये उन्होंने उनकी तरफ से जवाब अब दे दिया। माननीय नारायणदत्त जी, मैं अब आपको समय देता हूं। यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। उसके बाद माननीय मन्त्री जी उत्तर दे सकेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मन्त्री जी ने माननीय मन्त्री जी की तरफ से जवाब दिया है, लेकिन मैं तो उसको बिलकुल भी जवाब नहीं मानता। शुरू में जब वह खड़े हुये तो उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि मैं माननीय सदस्यों की आलोचनाओं का जवाब देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का जो आरोप मैंने लगाया था, उसके लिये उन्होंने कहा और मिसाल भी दी राजा जी की कि उन्होंने तो पी० डब्ल्यू० डी० को सबसे बड़ा एनीमी नम्बर टू (नं० दो शत्रु) कहा है। फिर आगे बढ़ कर उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ है वह भ्रष्टाचार? तो बजाय इसके कि मुझसे सवाल पूछते उन्होंने स्वयं राजा जी को क्यों 'कोट' (उद्धृत) किया। वह उनको कोट (उद्धृत) ही न करते या उनको चिट्ठी लिखकर पूछते कि साहब आपने हमारे डिपार्टमेंट को 'एनीमी नम्बर टू' क्यों कह दिया। तो मैं समझता हूं कि आपने खुद ही यह कहा कि भ्रष्टाचार कहाँ है और खुद ही यह कहा कि भ्रष्टाचार है और हम भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश भी क्या हो रही है? क्या कोई डिपार्टमेंटल कमेटी बनाकर भ्रष्टाचार दूर हो जायगा? उन्होंने मिसाल दी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। रोज कहते रहने के बाद जब भेड़िया आया तो खा गया। लेकिन भेड़ के रूप में भेड़िये तो आज भी आपके डिपार्टमेंट में बहुत हैं। भेड़ों की नकाब को फाड़िये और चेहरे देखिये कि भेड़िये आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जो आपकी नाक के नीचे बैठे हुए हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस डिपार्टमेंट के लिये हमारे माननीय मन्त्री जी नये हैं और डिपार्टमेंट की जो खामियाँ हैं उनके सामने पूरी पूरी नहीं आ पायी हैं। उनके सामने अभी पूरे पाँच साल पड़े हुये हैं। वे अगले एक साल के अन्दर दिखलायें और माननीय सदन को बतलावें कि उन्होंने करप्शन को दूर करने के लिये क्या किया है।

माननीय उपमन्त्री जी ने कहा कि श्री नारायणदत्त ने शुरू में जो कुछ कहा उसमें वह अनुदान के बाहर चले गये। खैर मैं तो अनुदान के बाहर चला गया, लेकिन जहाँ मेडिकल कालेज की इमारत की बात आई तो आप कहने लगे कि मेडिकल कालेज की ग्रान्ट तो परसों ही 'डिसकस'

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हो गई तो बताइये कि बात क्या की जाय जो इस अनुदान पर लागू होती है। 'मेडिकल' संबंधी बहस तो पहले ही हो गई और जब कोई आम बहस करें तो आप कहें कि यह इस अनुदान के अन्दर है नहीं। दारुलशफा वाली बात के लिये तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उपमन्त्री जी को वह भी इस अनुदान में नहीं मिला। वह इसी अनुदान के अन्दर लिखा हुआ है और कालोनाइजेशन भी इसी के अन्दर लिखा हुआ है।

मैंने कहीं भी अनुदानों के बाहर बात नहीं कही। जहाँ तक सड़कों का मामला है मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया नहीं तो मैं माननीय मन्त्री जी को दिखलाता कि पिछले साल सड़कों का कितना और कैसा अनुदान किया गया था। इस साल के इस अनुदान शीर्षक में एक नहीं चार आइटम सड़कों के लिये मौजूद हैं। ६१ लाख रुपया केवल ट्रान्सफर किया गया है सड़कों के लिये। तो जहाँ तक अनुदानों पर एतराज है, मैं नहीं समझता कि वह क्या चाहते हैं जो कि हम बतावें। आइन्दा आने वाले अनुदानों की जब हम कोई बात करेंगे तो वे कहेंगे कि यह भी अनुदान के अन्दर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई भ्रामक बात माननीय मन्त्री जी की ओर से नहीं होगी जिससे हम लोगों को बहस करने में कोई कठिनाई हो।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। मध्यम वर्ग के मकान बनवाने के लिये २५ लाख रुपये की रकम रखी गयी है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिये यह मकान कहाँ बनेंगे? लखनऊ में बनेंगे, कानपुर में बनेंगे, इलाहाबाद में बनेंगे और किसके जरिये से बनवायें जायेंगे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनायेगा, म्यूनिसिपल बोर्ड बनवायेगा या स्वयं गवर्नमेंट बनवायेगी? यह कुछ इसमें साफ नहीं है। खाली लिखा है कि मध्यम वर्ग के लिये २५ लाख रुपया मकानों के लिये रखा गया है। या ऐसा होता है कि मध्यम वर्ग के लोगों की कोआपरेटिव सोसाइटीज को यह रुपया उधार दिया जायेगा। इस पर मन्त्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें। मैं समझता हूं कि साल के आखीर में यही कह दिया जायगा कि यह रुपया खर्च नहीं हो सका और वह लैप्स हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी साफ करें कि २५ लाख रुपया जो मध्यम वर्ग के मकानों के लिये रखा गया है वह किस प्रकार यूटिलाइज किया जायेगा और कहाँ और कैसे किया जायगा?

श्री गिरधारी लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त की जो बहस थी उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना और मुझे इस सिलसिले में दो एक बात खासतौर से कहनी हैं। अस्पतालों की इमारतों, स्कूलों की इमारतों और आगरा मेडिकल कालेज की इमारत के सिलसिले में कहा गया है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चहाता हूं कि पी० डब्लू० डी० सिर्फ उन इमारतों को बनाने का काम करता है। जिनको अलग अलग मुहकमे खुद तय करते हैं कि आया उस इमारत की जरूरत है या नहीं और उसके बाद पी० डब्लू० डी० उन इमारतों को तैयार कर देता है।

मैं श्री देवकीनन्दन जी के विचारों से, जो कि उन्होंने ने जाहिर किये और जिनके समर्थन में उन्होंने हमारे देश के रहनुमा प्राइमिनिस्टर पं० जवाहर लाल नेहरू जी के शब्द यहाँ पर रखे, उनसे मैं पूर्णरूप से सहमत हूं। लेकिन साथ ही कुछ और बातों की जरूरत है। यहाँ पर विभाग की तरफ से एक कमेटी बनाई गयी है, जो कि इस बात को अच्छी तरह से देखेगी कि कहाँ किस प्रकार के मकान बन सकते हैं, और थोड़े से थोड़े खर्चे में हमारा काम अच्छी तरह से चल सकता है। लेकिन उसके अलावा कुछ बड़ी इमारतें हमारे सूबे में पुराने जमाने की ऐसी हैं, जिनको हम इतिहास के रूप में देखते हैं और जिन के जरिये हम उस युग की प्रशंसा करते हैं और अपना कुछ अन्दाजा कायम कर सकते हैं, इस किस्म की इमारतों को हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं।

बाराबंकी के अस्पताल के सिलसिले में कुछ खासतौर पर जिक्र किया गया है। मैं उन माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जहाँ तक सदर हास्पिटल का ताल्लुक है उसका

काम किसी तरीके से रुकेगा नहीं रुपया कम होने की वजह से । हमने १ लाख रुपया रखा है, लेकिन अगर काम ज्यादा हुआ तो वह काम किसी तरीके से भी न रुकेगा।

मैं समझता हूं कि कोई और खास बात नहीं है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, जहाँ इस प्रकार निर्माण का कार्य हो रहा है, मैं अपने माननीय सदस्यों से पूरे तौर से सहमत हूं। यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य हैं सब जनता के अन्दर से आये हैं। उनको बहुत सी बातें यहाँ आने से पहले से मालूम हैं। उसी तरीके से हम लोग भी परिचित हैं। लेकिन जिस वक्त किसी काम को जिम्मेदारी के साथ चलाना पड़ता है तो उसका उसी तरीके से सुधार करने की कोशिश की जाती है।

मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात के लिये हमारी इच्छा है और हमें यह भी उम्मीद है कि अपनी इच्छाओं में जहाँ तक इस प्रकार की खामियों को दूर करने की बात है हम ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आखीर में फिर इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि यह जो अनुदान रखी गयी है इसको सदन स्वीकार करे।

अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी नहीं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे) के अन्तर्गत १,८०,१०,२०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि (अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व लेखे से पूरे किये जाते हैं लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ३,०२,७१,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माँग के विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें खासतौर पर दो मदें हैं---एक प्रभृत्त (चार्ज्ड) और दूसरी मतदेय (वोटेड)। जहाँ तक मतदेय खर्चे का ताल्लुक है उसमें ३०,२७१ हजार रखा गया है। इसमें विशेष तौर पर जो यह रुपया रखा गया है उसमें एक तो २,४९,१४,००० है, जो बिलडिंग्स और रोड्स की मेंटिनेन्स मरम्मत के लिये, देख भाल आदि कामों के लिये रखा गया है। पिछले साल के मुकाबले में यह रकम करीब ५८ लाख रुपये ज्यादा है। इसकी खास वजह यह है कि पिछले वर्ष का जो हमारा बजट था उस वक्त एक आर्थिक संकट आने के कारण जो कि आमतौर पर रुपया खर्च हुआ करता था, उसमें ५० लाख रुपये की कमी की गयी थी। इसके अलावा कुछ और भी खर्च इस वर्ष बढ़े हैं। नये कामों और सड़कों की मरम्मत वगैरह के भी खर्चे बढ़े हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी कमी भी की गयी। जहाँ तक हमारी बहुत सी कच्ची सड़कों का ताल्लुक था जो कि पी० डब्लू० डी० ने बनाई थीं उनके विषय में अभी हम यह जरूर कर रहे हैं कि उन खर्चों को स्थानीय संस्थाओं को यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि को दे दिया जाय। तो इसकी वजह से हमने ७,७२,००० रुपया इसके अन्दर नहीं रखा है।

[श्री गिरधारी लाल]

इसके अलावा दूसरी एक खास बात इसमें यह है कि रामपुर के अन्दर कुछ इमारतें हैं, जिनकी मेंटिनेन्स अभी तक पी० डब्लू० डी० की तरफ से हुआ करती थी। वे इमारतें अब वहाँ के स्थानीय विभागों के सुपुर्द कर दी गयी हैं। इसकी वजह से भी ७० हजार रुपये की उसके अन्दर कमी हुई है। ५,०३,४०० रुपया टूल्स और प्लान्ट्स के लिये हैं। जहाँ तक इमारतों की बात है उनके लिये ३३,४८,८०० रुपया इस अनुदान में रखा गया है। २०,७०,८०० वह है जो उन कामों के लिये है, जो काम अभी तक चल रहे हैं और ५२-५३ में वह इमारतों की तामीरी का काम पूरा होगा। इसके अलावा नये कामों के लिये १२,७८,००० रुपया रखा गया है, जिसमें खास तौर पर कुछ जुडिशियल आफिसर्स के लिये नये सेशन-गृह का का खर्चा भी शामिल है। कुछ अस्पतालों की मरम्मत के लिये है। बहुत से अस्पतालों की विशेष तौर से मरम्मत की जायगी। उसके लिये २,५०,००० रुपया रखा गया है। डफरिन हास्पिटल यू० पी० के अन्दर तीन या चार हैं, उनके लिये १ लाख २० हजार रुपये की व्यवस्था इस माँग के अन्दर की गयी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर आयुर्वेदिक कालेज जो चल रहा है उसकी स्थापना के लिये एक बिल्डिंग की जरूरत है, जिसके लिये १ लाख रुपये की व्यवस्था इस माँग के अन्दर की गयी है। इसके अलावा लखनऊ और हरदोई के अन्दर जो ऊसर जमीन है उसको आबाद करने के ख्याल से वहाँ पर कुछ तामीरी काम होगा जिसके लिये सवा लाख रुपया रखा गया है। कालेसी जिला देहरादून के अन्दर एक डेरी फार्म है उसके लिये कुछ रुपया इस मद के अन्दर रखा गया है। इन सब का इस माँग से ताल्लुक है।

कुछ थोड़ा सा मुझे यातायात के बारे में कहना है, जो साधारण रेवेन्यू से खर्च होने वाला है उसमें ३ लाख १८ हजार ३ सौ रुपया यातायात के लिये रखा गया है। उसमें से खासतौर से मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगञ्ज-दूधी रोड पर चौपान में स्थित नौका घाट का प्रान्तीयकरण करना है और उसके लिये १२ हजार रुपया रखा गया है। काजीटोला-नौकाघाट गाजीपुर में पीपों के पुल के निर्माण के लिये ६७ हजार ५ सौ रुपये की जरूरत है। इसी तरीके से और जो बहुत से काम चल रहे हैं उनके लिये १ लाख २८ हजार और ८ सौ रुपये और ७८ हजार माइनर वर्क्स के लिये रखे गये हैं।

इसके अलावा १ करोड़ १० लाख रुपये यू० पी० रोड फन्ड से सड़कों के लिए लिये गये हैं, जिसके विषय में मुझको इतना कहना है कि हमारे सूबे के अन्दर यू० पी० रोड फन्ड की स्थापना सन् १९४६ में की गयी थी। वास्तव में बात यह थी कि सन् १९४३ में हिन्दुस्तान के जितने भी चीफ इन्जीनियर्स थे, उन सबने नागपुर में बैठकर यह फैसला किया कि हमारे देश के लिये कितनी सड़कों की जरूरत है। उस फैसले के मुताबिक हमारे प्रान्त में करीब ३७ हजार मील कच्ची सड़कों और १३ या १४ हजार मील पक्की सड़कों की जरूरत महसूस की गयी। और हमारे प्रान्त ने १३ हजार मील पक्की सड़कें बनाने का फैसला किया। जिस वक्त हमने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया तो केन्द्रीय सरकार ने जितना रुपया खर्च होना था, उसको देने का वचन दिया। उसके बाद हमारे यहाँ काम चलता रहा। सन् १९४८ में जैसा कि सबको मालूम है, हमारे देश पर एक आर्थिक संकट देश का बटवारा और दूसरी बातों के होने से आया, जिसकी वजह से केन्द्रीय सरकार ने, जो कि धन हमको देती थी, उसके अन्दर से ५० फीसदी रुपये की कमी की। उस कमी के बावजूद भी उस काम को हम आगे बढ़ाते रहे। लेकिन सन् १९४९ में केन्द्रीय सरकार उस ५० फीसदी सहायता को भी नहीं दे सकी, जिसकी वजह से हमारे जितने काम हो रहे थे, वे सब के सब पड़े रह गये। इससे प्रान्तीय सरकार के इस विभाग को काफी परेशानी उठानी पड़ी और उसको यह चिन्ता रही कि इस अधूरे काम को किस तरह से पूरा किया जाय। सन् १९४६ तक हमारे पास सिर्फ चार हजार मील पक्की सड़कें सन् १९४९ में करीब ४ हजार मील पक्की सड़कें तैयार होने जा रही थीं। यह आर्थिक संकट का प्रश्न हमारे सामने उस वक्त आया, जब १६ सौ मील सड़कें हम बना चुके थे। उस समय बहुत सी सड़कें ऐसी थीं, जिन पर अर्थ वर्क हो चुका था, पत्थर आ कर पड़े थे, लेकिन काम बीच में रोक देना पड़ा।

बहुत से स्थानों पर नालियों पर कलवर्ट या छोटी-छोटी पुलियाँ बनने वाली थीं, लेकिन सामान वहाँ पर आकर रुक गया। इस प्रकार अर्थ संकट की कठिनाइयाँ आ जाने से उन सड़कों के बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर आयी। उनको पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से करीब ७८ लाख रुपये लेकर और ६० लाख रुपये यहाँ से लेकर थोड़ा बहुत काम किया गया। और उसके जरिये से इस बात की कोशिश की गयी कि जितना सामान हम लोगों के पास है, वह किसी तरीके से बरबाद न हो और असली मन्शा यह भी थी की जितना काम हमने अभी तक किया था और जिसमें करीब ११ या १२ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, वह रुपया ठीक-ठीक इस्तेमाल हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस साल भी हमारी सड़कों का प्रोग्राम बना हुआ है और असली मन्शा यह है कि हम अपने हाथ में किसी प्रकार का नया काम न लें और जो हमारा अधूरा काम रह गया है, उसी को पूरा करें। इस काम को पूरा करने के लिये ६ करोड़ १६ लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने कुछ समय के अन्दर बाँट लिया है और उसी के मुताबिक इस वर्ष १ करोड़ १० लाख रुपये इस मद के अन्दर रखे गये हैं। उसी के मुताबिक हमें अपने प्रान्त के अन्दर कुछ सड़कें बनानी हैं, जिसका पूरा ब्योरा जो हमारा बजट है उसके अन्दर दिया हुआ है। पर मैं इतना बतला दूं कि सड़कों के निर्माण के लिये ४ लाख १० हजार रुपया रखा गया है और सामान्य सड़कों के लिये ३ लाख रुपया रखा गया है। और नई सड़कों के लिए ५२ लाख ५६ हजार रुपया रखा गया है। इसी तरह से भी बहुत सी कच्ची सड़कें हैं, जिनको पूरा करने के लिये रुपया रखा गया है।

इसके अलावा इतना मुझे और कहना है कि उसी रोड प्रोग्राम के अन्दर हमें अपने सूबे में जहाँ पर चीनी के कारखाने हैं, उनके इर्द-गिर्द के इलाके के अन्दर सीमेंट की पटरियाँ बनानी हैं, जो कम से कम ५०० मील लम्बी हैं उस वक्त इस काम को रोक दिया गया है, मगर इस वर्ष हम शुगर फन्ड में से करीब १० लाख रुपया लेकर १०० मील सीमेंट की पटरियाँ बनाना चाहते हैं और उसके अन्दर जो कलवर्ट्स और छोटे-छोटे ब्रिजेज हैं उनको बनाकर देहातों से गन्ना लाने के लिये रास्ता बना देना चाहते हैं।

इसके अलावा मिसलेनियस (विविध) खर्चे के लिये १,८६,२०० रुपये की व्यवस्था इसमें की गयी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि सदन इस माँग को स्वीकार करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बजट के सिलसिले में पंडित जवाहर लाल जी की कुछ बातें की गई हैं। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के उस भाषण को, जो उन्होंने हाल ही में दिल्ली में दिया था, जब सड़कों के निर्माण की व्यवस्था करें, उस वक्त अपने सामने रखें, तो बहुत से मसले हमारे इस प्रान्त के हल हो जायेंगे। किस तरह की सड़कें होनी चाहिएं, क्या हमारा उस पर विचार होना चाहिए, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं उस बात पर सबसे पहले कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा सारे देश के अन्दर है और कहीं-कहीं कोई इसको एनिमी नम्बर १ कहता है और कोई एनिमी नम्बर २ कहता है। अभी हमारे उपमन्त्री ने कहा कि यह तो अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की बहुत सी देनें इस हिन्दुस्तान के अन्दर हैं। कुछ तो काफी दिन हुए दूर हो गयी हैं, लेकिन जो बहुत सी खराबियाँ थीं वे तो अभी तक कायम हैं, और जो उनकी अच्छाइयाँ थीं वे आज हमारे बीच से अलग हो गयी हैं। हमारे बीच में जो एफिशिएंसी [दक्षता] अंग्रेजों के वक्त में थी, वह आज नहीं रही। अंग्रेज एक कदम उठाता था, एक फैसला करता था, चाहे वह बुरा होता था या भला होता था, उसे पूरा करके छोड़ता था। आज हमारे यहाँ यह हालत है कि एक कदम उठाया जाता है और थोड़े दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी बात सोची जाने लगती है। मैं अपने माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट के पुराने कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए। यह बात आपको

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

माननी पड़ेगी कि इस विभाग के अन्दर जितना करप्शन है, उतना शायद ही किसी विभाग के अन्दर होगा। मैं तो यह कहूंगा कि अंग्रेजों की देन को तो अब आप लीगलाइज (वैध) कर दें यानी जो १० परसेंट की बात है उसको, क्योंकि एस्टीमेट्स तक इसी पर यानी १० प्रतिशत जोड़कर बनाये जाते हैं। इसको तो न आप बन्द कर सकते हैं न हम बन्द कर सकते हैं। जो हुकूमत आयेगी वही इसको चलायेगी। इसलिये मेरी राय है कि यह १० परसेंट तो लीगलाइज हो। इसके अलावा बाद को और जो माँगने लग गये हैं उससे सड़कों का नाश हो जाता है। क्योंकि ठेकेदार तो देगा ही और वह लोग लेंगे ही। इस लिये सड़क जब बनेंगी तो उसमें से ही वह निकालेगा। कुछ अपने पास से तो देगा नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप यहाँ से नैनीताल वाली सड़क पर चलें और बड़ी गाड़ी पर न जायें बल्कि छोटी गाड़ी पर चलें तो थोड़ी दूर तक तो आपको मालूम होगा कि मानों मखमल की सड़क पर चल रहे हों। बाद में वह धक्के लगते हैं कि कमर की हड्डियाँ टूट जाती हैं। फिर शहर के पास जब पहुंचते हैं तो फिर से अच्छी हो जाती है। आखिर बात क्या है ? आप सड़कों को पक्की न बनाइए लेकिन अच्छी तो बनाइए। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे हम पर रुष्ट न हों, नाराज न हों, इसकी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि आप नये आये हैं। हम आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे। लेकिन इसका क्या होगा ? क्या आप कोई कानून बनायेंगे ? कोई रास्ता तो बतलाइये कि इस तरह से इसके लिये कोशिश कर रहे हैं।

मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कहा यह जाता है कि अगर किसी इन्जीनियर से लड़ाई हो गई तो चट से शिकायत कर देते हैं। मैं भी यह चीज जानता हूं। यह बात भी गलत है और इसको रोकना चाहिए। आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर्स समझते हैं कि एम० एल० ए० को काबू में कर लो फिर कोई शिकायत करने वाला नहीं रहेगा। मैं कहूंगा कि अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर आप गौर कीजिए और इन्क्वारी शुरू कर दीजिए और अगर उसके खिलाफ प्राइमा-फेसी एवीडेन्स (प्रत्यक्ष प्रमाण) मिल जाती है तो उसको निकालिये न, लेकिन उसकी बदली तो कर दीजिए ताकि इन्क्वायरी की जा सके। मैं कहता हूं कि आपको इस पर विचार करना होगा और करप्शन को हटाना होगा। अगर आप नहीं हटायेंगे तो जनता इसको अपने हाथ में लेगी और उसको उखाड़ कर फेंक देगी।

अब रहा नई सड़कों का निर्माण। बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि सारे पहाड़ी प्रदेश का जीवन इन्हीं पर निर्भर है। आपके यहाँ तो रेल है और हवाई जहाज हैं। हमारे यहाँ न रेलें हैं और न हवाई जहाज। अगर कोई हवाई जहाज चला जाय तो बड़ा ताज्जुब होता है। इसलिये हमारे यहाँ सड़कों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नई सड़कों के निर्माण के लिये ५२,८५,९०० रुपया रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हमें लिस्ट बता दी जाय कि कौन-कौन सी सड़कें बननी हैं ? हमको पता नहीं है। मैंने वाल्यूम नम्बर ३ भी देखा है, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ दो तीन पहाड़ी इलाकों में सड़कें हैं। जैसे एक तो बागेश्वर-गरूड़ की और दूसरी रानीखेत-द्वाराहाट की। यह पहले बननी चाहिए, क्योंकि पहले ये मन्जूर हो चुकी हैं और एक सड़क पर काम और दूसरी पर सर्वे भी हो चुका है। इसका जो रुपया था वह दूसरी तरफ लगा दिया गया है। माननीय मन्त्री जी अपने जवाब में बतला दें कि ये सड़कें हैं या नहीं ? अलग-अलग आइटम पर जो रुपया खर्च होना है, वह मालूम होना चाहिए। जहाँ तक सड़कों के निर्माण का सवाल है, अगर और रुपया हो सके तो अच्छा है। पहाड़ों पर सड़कों के निर्माण में ज्यादा रुपया खर्च किया जाय। मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी का हक मारा जाय, बल्कि कहीं और से रुपया लेकर बनवाई जायं। अगर हमारे पहाड़ी इलाके पर थोड़ा सा रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च किया गया तो देश तरक्की करेगा और साथ ही साथ आपको भी आराम मिलेगा और आप लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी होगी और वहाँ स्विटजरलैन्ड बन जायेगा। लेकिन बनेगा कैसे ? इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान दें।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सेल्फ हेल्फ की जो स्कीम आपने रखी है, उसी को हम कार्यरूप में परिणत करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जनता सड़क बनाना चाहती है।

इसके लिये जो योजना आपने रक्खी है कि दो-तिहाई जनता दे और एक-तिहाई आप देंगे, इस पर आप दोबारा विचार करें। अगर आप आधा-आधा इसको कर दें, आधा आप दें आधा जनता दे तो हमारी जो छोटी-मोटी सड़कें भी हैं, वे भी बन सकती हैं। इस सिलसिले में हम आपसे टेक्निकल एडवाइस चाहेंगे, फंडवे और सामान वगैरह जो है, वह चाहेंगे, कोई मशीन है, जिससे पहाड़ जल्दी से काटा जा सकता है, सुरंग और बारूद वगैरह की जरूरत हो तो इसकी भी सहायता हम आपसे चाहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे गढ़वाल में लोगों ने सड़कें बनाई हैं, हम भी उसी तरह से सड़कें बनायेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो, हमारे देश की तरक्की हो। इसलिये हम आपके सामने यह कटमोशन लाये हैं। ताकि हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास रुपया बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपनी सड़कों को मेनटेन नहीं कर सकता। अगर आप पहाड़ों के जिलों में जायं, जहाँ सड़कें प्राविन्शियलाइज की गईं हैं तो आप देखेंगे कि वे अच्छी तरह से मेनटेन हैं, लेकिन जो सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके पास फंड्स नहीं हैं। उनका कसूर नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितनी सड़कें हो सकें प्राविन्शियलाइज कर ली जायं।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं। बहुत से मामलों में आप कहते हैं कि यह टेक्निकल चीज है, आप इसके बारे में क्या जानें। यह बात गलत है। टेक्निकलिटी के नाम पर हमको धोखा न दें। हम कुछ तो समझते ही हैं। कह दिया जाता है कि साहब यह टेक्निकल मामला है, आप इसे क्या जानें, यहाँ की मिट्टी नीचे धंस जायगी और इस तरह से बहुत से मामले टेक्निकलिटी के नाम पर टाल दिये जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस टेक्निकलिटी के बहाने में डाल कर हमें बेवकूफ न बनाया जाय। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में मैं अधिकतर यातायात से सम्बन्ध रखने वाली बातें कहूंगा। जो साहित्य हमें दिया गया है उसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र की उन्नति यहाँ के यातायात पर निर्भर करती है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के पास यातायात की उन्नति के लिये या इसके विस्तार के लिये एक प्रो स्कीम होनी चाहिये। मुझे ऐसा मालूम होता है कि फर्स्ट फेज की जो सड़कें ली गईं थीं, वे पूरी नहीं की गई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे सड़कें जो फर्स्ट फेज में ली गई थीं, वे अवश्य पूरी कर दी जायं और जब दूसरा फेज का स्टेज आये तो उस समय बजाय यह कि यहाँ बैठ कर तै कर लिया जाय कि कौन सी सड़क किस जिले में बनाई जाय, उचित यह होगा कि हर जिले से पूछा जाय कि वहाँ की कौन सी सड़क बनाना आवश्यक है। केन्द्रीय स्तर पर केवल यह होना चाहिये कि जो सड़कें नेशनल हाईवेज में आती हैं, जिनका सम्बन्ध इस प्रान्त से नहीं, बल्कि और प्रान्तों से भी है, उनका निर्णय आप अपने यहाँ कर लें। कौन सी सड़कें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम नेशनल हाईवेज में ले सकते हैं। उनका निर्णय तो आप यहाँ करलें, लेकिन और जो सड़कें हैं उनके बारे में जिलों से ही पूछ लिया जाया करे। मुझे कभी-कभी यह देखने में आया है कि निर्माण विभाग ने जो सड़कें ली हैं, उनके संबंध में वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सदस्यों ने एतराज किया है कि वह सड़कें बनाने के काबिल नहीं हैं। यह नौबत न आवे, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सड़कें बनाई जायं उसके सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी और पूरी छानबीन कर ली जाय।

[श्री राधामोहन सिंह]

मैं इस विभाग के करप्शन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन में उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाने से कोई लाभ नहीं होगा, किन्तु साथ ही मुझे यह भी कहना है कि माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी है और ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको मालूम न हो। इसलिये जो कुछ भी उनको मालूम है उसके लिये वह जरूर करेंगे और वह कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिये मैं उचित नहीं समझता कि इस सदन का समय इस विषय पर खराब किया जाय। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो भी सड़कें ली जायं वे किसी प्लान के मुताबिक होनी चाहिये। यह भी मेरे देखने में आता है कि बजट के अन्दर कई हेड दो विभागों में बाँट दिये गये हैं। अच्छा तो यह होता कि एक ही विभाग होता और उसके अन्दर यह सब काम होते ताकि जो भी सड़क ली जाय, उसका पूरा प्लान कर लिया जाय और सारी मालूमात उसको रहें और वह उसको ढंग से पूराकर सके और यह सम्भव नहीं हो तो दो विभाग आप कर सकते हैं। जो भी हो और जो भी आप करना चाहें, उसको किसी हेड में बार-बार नहीं दोहराना चाहिये।

मैं एक सड़क के सम्बन्ध में माननीय निर्माण मंत्री से कहना चाहता हूं जो नेशनल हाईवेज के सम्बन्ध में है। एक नेशनल हाई वे जो बनारस से आगे बढ़ती है, वह इधर गाजीपुर में खत्म हो जाता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसकी एक शाख बनारस से गंगा को पार करके गंगा के दक्खिनी किनारे से पटना को जाती है और उसकी दूसरी शाख बनारस से गाजीपुर होती हुई बलिया से आगे बढ़ती है। बलिया से २५ मील के फासले पर एक पुल पड़ता है। उस पुल की बाबत मैंने ३-४ साल हुये जिक्र किया था। उस पुल से यातायात का प्रबन्ध करने की जरूरत है। उस समय हाफ़िज़ साहब इस विभाग के मंत्री थे। उन्होंने यह कहा था कि इस पुल से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यातायात करने के लिये मना कर दिया है। अब इस बार भी मैंने देखा है कि हमारी सरकार ने सेण्ट्रल गवर्नमेंट से कई पुलों के सम्बन्ध में इस बात का निवेदन किया है कि उन पुलों पर यातायात के जाने की इजाज़त दी जाय, लेकिन इस पुल की बाबत मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इसमें जब कि कई पुलों का प्रबन्ध किया गया है तो घाघरा नदी के पुल पर भी इसका प्रबन्ध होना चाहिये। अगर इस पुल से यातायात का प्रबन्ध हो जाय तो हमारे प्रदेश का बिहार से सम्बन्ध स्थापित हो जाय।

मुझे मालूम है कि छपरा से गाजीपुर होते हुये एक सड़क इधर आती है। अगर यह २५ मील का टुकड़ा बनाकर उस नेशनल हाईवे में जोड़ दिया जाता है तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पुरानी सड़क है और जब सोनीपुर का मेला लगता है तो हमारे प्रान्त से बहुत से यात्री बलिया से होकर जाते हैं। गाजीपुर, आजमगढ़ इलाहाबाद और बनारस से इस तरफ होकर जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कुल २५ मील का टुकड़ा यह रह जाता है जो कि नेशनल हाईवे से सम्बन्ध स्थापित करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस पुल से यातायात के लिये इजाजत प्राप्त कर ली जाय, तो अति उत्तम होगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में आलोचना करते हुये मैं अपनी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि वह अपने दृष्टिकोण को बदले। अब तक ऐसा देखा जाता है कि उसका ज्यादा-तर ध्यान शहरों की तरफ रहता है और देहातों की तरफ जहाँ से ज्यादातर सदस्य यहाँ आये हैं, उस तरफ सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिये, वह नहीं जाया करता है। मेरा निवेदन यह है कि हम अपनी सरकार से आशा करते हैं कि वह अर्बन माइण्डेड (शहरी प्रवृत्ति-वाली) न होकर रूरल माइण्डेड (ग्राम्य प्रवृत्तिवाली) होने का प्रयास करे। अभी परसों पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भाषण देते हुये कहा कि निर्माण कार्य में सबसे अधिक प्राथमिकता सड़कों को देनी चाहिये और हमारा ध्यान बड़े-बड़े शहरों या छोटे-छोटे शहरों को लिंक करने (मिलाने) वाली सड़कों के बनाने की ओर न जा कर उन सड़कों की ओर जाना चाहिये जो इनटीरियर (भीतर) की हैं और देहात के एक कोने को

दूसरे कोने से और एक कस्बे को दूसरे कस्बे से मिलाने वाली सड़कें हैं। हम सरकार की कठिनाइयों को समझते हैं, लेकिन वह सब समझते हुये भी हम कहेंगे कि यदि एप्रोच ठीक हो जाय और हम यह समझने लगें कि हम केवल शहरों की दस या पंद्रह प्रतिशत आबादी के ही प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि हम देहात में रहने वाले ८० या ८५ फ़ीसदी ग्रामवासियों की प्रतिनिधि सरकार हैं, तब हम इस समस्या का समाधान सहज में और अच्छी तरह से कर सकते हैं।

जब से बजट की चर्चा यहाँ हो रही है, मैं कई बार भ्रष्टाचार की बात यहाँ सुन चुका हूं। वरोधी दल की ओर से इस सम्बन्ध में नाना प्रकार की कहानियाँ कही जाती हैं। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है और कोई इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जैसे कि एक कहावत है कि बनाना कठिन है बिगाड़ना आसान है। किसी भी संस्था या संगठन के प्रति उसको हास्यास्पद बनाने की बातें करना या एक हास्यास्पद ढंग से उसकी आलोचना करना तो एक सरल काम है, जैसा कि विरोधी दल वाले किया करते हैं। पगड़ी उछालना बहुत आसान है, लेकिन किसी के सिर पर पगड़ी का सर्जन करना एक उचित कार्य है और हमें आशा करना चाहिये कि विरोधी दल इस ओर कदम बढ़ावेगा।

आज बड़े गर्व के साथ विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से कहा जाता है कि हम दावे के साथ और गर्व के साथ कहते हैं कि हम यहाँ एक लाख जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं। मैं विरोधी दल के उन सज्जनों से पूछना चाहता हूं कि जिस एक लाख जनता के वह प्रतिनिधि हैं और जो इस तरफ के लोग हैं, क्या इधर वालों का और विरोधी दल वालों का सबका उत्तरदायित्व भ्रष्टाचार मिटाने में नहीं है ? और यदि है तो उस तरफ के लोग उसके लिये क्या कर रहे हैं, यह भी उनको देखना चाहिये। आज हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और जिस अंचल से यहाँ आते हैं, उस अंचल का नेतृत्व हम करते हैं। चाहे वह विरोधी दल के ही सदस्य क्यों न हों, लेकिन भ्रष्टाचार को दूर करने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है और उनके अन्दर भी नैतिक साहस और जन जागृति के लिये एक उत्सुकता होनी चाहिये। मैं कहूंगा कि उनकी पार्टी जो भ्रष्टाचार को फैलाने की एजेंसी बनी है और मैं कहूंगा कि समाजवादी दल की जो ग्रामों की फ़ालोइंग (अनुसरण) है, वह अधिकतर मादक द्रव्यों की बिक्री करने वाली है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहाँ पर समाजवादी दल के कार्यकर्त्ताओं में वही लोग हैं, जो एक बार नहीं चार-चार, पाँच-पांच बार मादक द्रव्य बेचने में पकड़े गये हैं और उनकी जमानतें वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी के नेता जाकर देते हैं। तो एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बुराई करना और दूसरी तरफ जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें शरण देना, ये दोनों चीजें शोभा नहीं देतीं। मैंने जैसा कहा, हर आदमी अपने आँचल की, अपने क्षेत्र की कमियों को देखे और उन्हें दूर करे। किसी भी सज्जन के सम्बन्ध में इस तरह की बातें करना और उसकी दाद ले लेना बहुत सरल कार्य है। मैं उन मित्रों से कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं कि वे कोई ठोस कार्य करें। केवल बातें करने ही से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। वे एक-एक जिले को ले लें और इस तरह का कार्य करें कि जनता के साथ साथ हम अपने अधिकारियों को भी यह मालूम करा सकें कि अब जनता में एक इस तरह का नेता या कार्यकर्त्ता आया है कि यदि वे भ्रष्टाचार की कोशिश करेंगे तो वह बरदास्त नहीं की जायगी। जब तक भ्रष्टाचारियों के दिल में इस तरह का आतंक नहीं पैदा किया जायगा, तब तक कोई भी मशीनरी, चाहे सोशलिस्ट हो या काँग्रेस की हो, भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकती।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला, इस आखिरी तकरीर से पहले जो तकरीर यहाँ हो रही थी, उसमें यह बात कही गई कि जो सड़कें प्लान में ली गई थीं और पहले फेज में थीं वे नहीं बनाई गईं। फेज का किस्सा और सड़कों के प्लान का किस्सा पुराने मेम्बरान साहबान को तो पूरे तौर से मालूम है ही और नये मेम्बर साहबान की मालूमात के लिये इस पैम्फलेट में जो इस साल दिया गया है, बहुत ही मुनासिब और अच्छे तरीके से उसे बयान कर दिया गया है। इसमें यह बतलाया हुआ है कि पहले फ़ेज में कितनी माइलेज मेटल करने के लिये,

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

कितनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लेकर उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिये और कितना माइलेज कच्ची सड़कों के बनाने के लिये तजवीज किया गया है। इसमें जो लिखा है उसकी फीगर्स को पढ़ने से एक नतीजा निकलेगा जिसको कि मैं अर्ज किये देता हूं। वह यह है कि पहले फ़ेज में जितनी सड़कें बनानी तजवीज हुई थीं उसमें से ५०० मील बनानी बाकी हैं। इस पैम्फलेट में जो इस साल के बजट की बाबत लिखा गया है, उसे पढ़ने से यह मालूम होगा कि इस साल की सड़कों के बजट में उसमें से ३०० मील बनने का इन्तजाम कर दिया गया है। यह काम वह है जो पहले फ़ेज की सड़कों में से रह गया था और जिसके रह जाने की वजह भी इसके अन्दर लिखी हुई है कि सन् १९४९ में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो सबसिडी मिलती थी, सबसिडी क्या मिलती थी, बल्कि पूरा खर्चा सड़कों के बनाने का मिलता था, वह बिलकुल बन्द कर दी गई और एक साल पहले उसे आधा कर दिया था। इधर यह कम हुई और उधर सरकार पर दूसरे जरूरी खर्चों का बार भी पड़ा तो सड़कों का काम धीमा कर दिया गया। जो आखिरी तकरीर हो रही थी, जिसका हवाला मैंने दिया, उनका एतराज यही था कि पहले फ़ेज के काम को पहले पूरा कर दिया जाय। तो मैंने यह इसलिये अर्ज किया कि इस पैम्फ़लेट से और इस बजट से जो इस साल पेश किया गया है, यह बात मालूम होती है कि जो पहले फ़ेज का काम बाकी रह गया था उसे पूरा करने के लिये ही रुपया रखा गया इस साल भी, और पिछले साल भी रखा गया था। पहिले तो गवर्नमेंट ने यही फैसला कर रखा है कि जो फर्स्ट फ़ेज में काम बाकी रह गया है, उसको ही पूरा करें। एक साहब ने यह फरमाया कि हम शहरों में ही सड़कें बना रहे हैं। मेरे ख्याल में यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जहाँ तक शहर की सड़कों का ताल्लुक है उनका गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं है वह तो म्युनिसिपैलिटी बनवाती है सिवाय उन सड़कों के जो किसी शहर में से गुजरती हैं। मसलन उन्नाव से कानपुर जानेवाली सड़क, उन्नाव या कानपुर शहर में गुजरे। आपका मकसद यह था कि गांवों में सड़कें नहीं हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--मेरा मकसद शहरों को जाने वाली सड़कों से है जो गाँवों से जाती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं कह ही रहा था कि जो सड़कें हैं उनमें दो तरह की सड़कें हैं--एक तो वे जो शहर के अंदर होती हैं और म्युनिसिपैलिटी बनवाती है और दूसरी वे सड़कें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और किसी शहर में से गुजरती है। इसी किस्म की सड़कें इस प्रोग्राम में हैं जो सन् १९४६-४७ के प्रोग्राम के मुताबिक बनाई गईं। सन् १९४३ में हिंदुस्तान के चीफ़इंजीनियरों की एक कानफ्रेंस नागपुर में हुई थी, उन्होंने डिसकशन करके जो तय किया, उसी के मुताबिक यह फारमूला तैयार किया गया। मुझे उस पूरे फारमूले को बयान करने की जरूरत नहीं है, उसका जितना मकसद है उसको अर्ज किये देता हूं। उनकी स्कीम यह थी कि हर गाँव के पास ४-५ मील के अंदर ही पक्की सड़क हो, इधर भी और उधर भी। और इस पक्की सड़कों को कच्ची सड़कों से सर्व कर दिया जाय, मिला दिया जाय और इस तरह से इस स्टेट के अन्दर यातायात का एक अच्छा इंतजाम हो जाय। फर्स्ट और सेकेंड फ़ेज के अन्दर जो सड़कें बनीं उनके मुताल्लिक यह कोई नहीं कह सकता कि वे गांवों से नहीं गुजरीं। मसलन लखनऊ से कानपुर को जो सड़क बनाई गई है उसके आस-पास बहुत से गाँव आ जाते हैं। राजपूताने का सा रेगिस्तान तो किसी भी सड़क के आस-पास नहीं है जहाँ कि पापुलेशन लेस (निर्जन) जगह हो जो भी सड़कें बनीं, वे जरूर शहरों के अलावा गावों को भी सर्व (सेवा) करती हैं। इस प्रोग्राम में जितनी भी सड़कें बनाई गईं वे इसी परपज (प्रयोजन) को लेकर बनाई गईं कि रूरल एरिया (देहात) की पापुलेशन को उससे ज्यादा से ज्यादा आराम हो। ३ हजार माइलेज की जो सड़कें मैंने बताईं उनसे हजारों गाँव सर्व हो चुके हैं।

आज एक साहब की तरफ से जिक्र किया गया कि मस्टर रोल्स फर्जी बनाई गईं और उसमें बेईमानी की गई है। मस्टर रोल्स का मसला एक पुराना और कदीम मसला है, लेकिन जहां तक इससे उनके मकसद का ताल्लुक है, उनका इशारा भ्रष्टाचार की तरफ था। भ्रष्टाचार के मुताल्लिक मैं दसियों दफ़ा तजकिरा कर चुका हूं और अब अपना ख़याल जाहिर किये

देता हूं। मैं किसी इंसान को बहैसियत इंसान बेईमान नहीं समझता कि जब तक कि उसकी बेईमानी साबित न कर दी जाय। यहाँ तक तो मैं एक आम उसूल समझता हूं कि यह अप्लाई (लागू) होता है, सरकारी मुलाजिमों पर भी और यह अप्लाई होता है यहाँ की आबादी और यहाँ के रहने वाले और इंसानों पर भी। जो कुछ भी भ्रष्टाचार के मुताल्लिक किया गया वह इस पैम्फलेट में लिख दिया गया है, उसे दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता। मेम्बरों ने उसे पढ़ने की तकलीफ़ की होगी, तो उसमें पढ़ा होगा और जिन्होंने तकलीफ नहीं की होगी, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। जितना भी किया गया, वह उसमें लिख दिया गया है। उसे कोई समझे या न समझे या जो कुछ भी समझे उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस बात को मैं पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत सख्त खिलाफ समझता हूं कि ऐसी बेबुनियाद बातें, जिनके लिये आदमी अपने पास कोई सपोर्ट नहीं रखता हो, उसको प्रूव (सिद्ध) करने के लिये उसके पास कोई चीज न हो और अगर उससे दरियाफ्त किया जाय कि कहाँ तक यह सही वाकया है, कहाँ का वाकया है और क्या उसे आप बयान कर सकते हैं तो यह कहा जाय कि जब मौका आवेगा तो हम बतला देंगे। इस तरह से अगर कोई भ्रष्टाचार का जिक्र करे तो अपनी जगह पर मेरे दोस्त गिरधारी लाल या हम ही बैठ जा सकते हैं कि जब मौका आवेगा तो हम भी बतला देंगे। आप यह कहते हैं कि फलाँ जगह यह हो रहा है, लेकिन जब आपसे कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेज (विशेष उदाहरण) माँगे जाते हैं, तो वे आपके पास अवेलेबिल (प्राप्त) नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के एलिगेशंस (अभियोग) उन लोगों के खिलाफ लगाना या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाना, जो पब्लिक की खिदमत करने में लगे हुए हैं, कहाँ तक बजा और सही हो सकता है।

मैं अपने दोस्तों को अब इस बात की दावत देता हूं, कलमदान तो मेरे दोस्त के हाथ में है, लेकिन वे मेरे दोस्त हैं और मैं उनका दोस्त हूं, हममें उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं इस ऐवान में खड़े होकर दावत देता हूं, जिन साहब ने कहा उनको भी दावत देता हूंकि वे केसेज (मामले) हमें दें और हम उसके मुताल्लिक इनक्वायरी करा कर उनके सामने बतला देंगे। जिस तरीके से वे इनक्वायरी कराना चाहते हों, जितने भी उसमें नान आफिशियल इलिमेंट्स लाना चाहते हों उतने नान आफिशियल एलिमेंट्स भी मैं उसमें रखने को तैयार हूं। एक साहब ने एतराज किया कि डिपार्टमेंटल, इनक्वायरी होती है, उसमें हम क्यों नहीं रखे जाते हैं। उनका मतलब अपने से नहीं था, बल्कि यह कि इस हाउस का कोई गैरसरकारी मेम्बर उस इनक्वायरी कमेटी में क्यों नहीं रखा जाता है। डिपार्टमेंटल कमेटीज तो कानून और कायदे की रू से ही बनती हैं और बहुत पहले से हमेशा से बनती आयी है। उनके सुपुर्द वह काम होता है और उसे वे करती हैं। सरकारी मुलाजिम को सजा देने के वास्ते जो कमेटी बनती है, उसमें एक सरकारी आफिसर हो और दूसरा आदमी उसके अन्दर गैर सरकारी हो तो उसका नतीजा हो सकता है कि सही फैसला न हो पावे। हो सकता है कि जिसको सजा न होनी चाहिए, उसे सजा हो जाय और जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा न मिले। तो खास कर इस पर भी तवज्जह करने की जरूरत है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर किसी में हिम्मत हो, जुर्रत हो तो वह स्पेसिफिक इंस्टेन्स दें और उस स्पेसिफिक इन्स्टेन्स को कोट करे कि यह फलाँ वाकया है, फलाँ जगह हुआ है, फिर उसके ऊपर हम मुनासिब कार्यवाही करेंगे।

हुजूर बाला, यह आप भी जानते हैं और जितने मेम्बरान यहाँ तशरीफ रखते हैं, वे सभी जानते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० या इरिगेशन डिपार्टमेंट के जितने काम होते हैं, वे सब ठेकेदारों के ही जरिये होते हैं। कोई भी काम, किसी तरीके का भी हो सब ठेकेदारों के जरिये होता है, वे ही लेबर लाते हैं, मस्टर रोल रखते हैं, जिनमें उनकी हाजिरी भरी जाती है। बहुत से लोग ऐसी बेबुनियादी बातें कह दिया करते हैं कि हजारों की तादाद में फर्जी नाम मस्टर रोल में भरे जाते हैं। जहाँ पर हजार आदमी के नाम हों, उनमें दस, बीस, चालीस के लिये कहा जाय

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तो इस बात को माना भी जा सकता है, लेकिन हजारों की बात करना कितना गलत हो सकता है, इसको माननीय मेम्बर खुद ही गौर कर सकते हैं। लिहाजा जनाब के जरिये से मैं मेम्बरान की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त तकरीर फरमावें तो जो फरमावें उसमें उसकी माकूलियत को देखें और उसी के साथ खासतौर से इस बात को देखें कि हमारे जो पब्लिक इन्टरेस्ट्स हैं, उनके ऊपर हमारे किसी बात का या हमारे किसी सजेशन का क्या असर पड़ सकता है और कहाँ तक नुक्सान या फायदा उससे हो सकता है। इसको सामने रखने की बहुत जरूरत है।

राजा धीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान सदन के सामने पेश है, इसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी जो सदन के अन्दर भाषण हुए, उनमें इस अनुदान की जितनी उपयोगिता और गम्भीरता के बारे में कहा जाना चाहिए था, उतना नहीं कहा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने हमारे तरक्की के कार्य हैं वे यातायात की तरक्की के बिना संभव नहीं हैं। सबका इस विभाग से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। अगर यातायात तरक्की करेगा तभी तमाम योजनायें सफल हो सकती हैं। लेकिन मुझे दुख है कि इसकी बहुत बड़ी कमी हमारे प्रान्त में है। बुन्देलखण्ड में चार जिले हैं। जिधर से मैं आया हूं वहाँ यातायात के साधनों की इतनी कमी है कि जो सहायता हम सरकार की स्कीमों में करना चाहते हैं, जितना सहयोग देना चाहते हैं, वह दे नहीं पाते। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बुन्देलखण्ड में पक्की सड़कें बहुत ही कम हैं। वहाँ का यातायात बरसात के अन्दर बिलकुल खराब हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ५२ लाख रुपया लगा करके जो नई-नई और बड़ी-बड़ी सड़कें सरकार बनाना चाहती है, वह सही है, लेकिन वह रुपया बहुत कम है और दाल में नमक के बराबर है।

इसके अलावा इसमें प्रायरिटी के प्रश्न पर भी तो जरूर विचार करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि कहाँ का यातायात सम्भालने से वहाँ के निवासियों को अधिक फायदा और जिले की अधिक से अधिक तरक्की होगी। अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उनके यहाँ कोई फार्मूला है उसके आधार ही पर सड़कें ली जाती हैं लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ दिनों के लिये उस फार्मूले को बन्द कीजिए। मैं जालौन जिले की कहता हूं, जहाँ से मैं आया हूं। वहाँ पर एक माधोगढ़ की सड़क है। वहाँ पर माननीय उद्योग मन्त्री जी हो आये हैं और अन्न-मन्त्री जी भी गये हैं। वह अन्न की मण्डी है। ऐसी जगह की सड़क को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर छोड़ देने से वह कभी भी नहीं बन सकेगी और जनता को कष्ट होगा। इस बरसात में माननीय मन्त्री जी चलें। आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ सिवाय जीप के और कोई साधन पहुंचने का नहीं है और अगर ज्यादा पानी बरस जाय तो जीप भी नहीं जा सकती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कि आप उन सड़कों को लीजिए जहाँ पर आप समझते हैं कि जनता को सुविधा हो, उद्योग--धन्धों का विकास हो और उस हिस्से की उन्नति हो सके।

दूसरी चीज मुझे यह अर्ज करनी है कि बहुत से क्षेत्र बरसात में बिलकुल एक प्रकार से दुनिया से अलग हो जाते हैं। उनमें हमारा बुन्देलखण्ड भी है। अभी माननीय राधा मोहन सिंह जी ने बताया कि लड़ाई के जमाने में रेलवे ब्रिज (पुल) भी इस्तेमाल के लिये मिल गये थे। यह इन्तजाम कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार के पुल होते हुए भी, हमारे केन्द्रीय सरकार के सही, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने पार साल भी इस बात की कोशिश की और हमारे मन्त्री जी ने भी कोशिश की, लेकिन उसको केन्द्रीय सरकार ने नामन्जूर कर दिया। लेकिन इस साल यह अधिक आशा है कि हमारे रेलवे मन्त्री जी, जो हमारे यहाँ के हैं, वह इस पर अधिक गौर करेंगे कि यू० पी० में कितनी दिक्कत है। जैसे कालपी ब्रिज (पुल) और बेतवा का पुल है। मैं समझता हूं कि श्रीमन् कि इसमें कोई और वजह नहीं है। सिर्फ समझाने की बात है। अगर रेलवे पुल पर से गाड़ी गुजरती है तो वह कमजोर नहीं हो सकता है। रेल के इन्जन से वह भारी नहीं होती है। लेकिन एक रेड टेपिज्म चल रहा है। जनता उसका खर्चा भी देने के लिये तैयार है, यद्यपि चाहिए तो यह कि जिस तरह से बनारस में रेलवे

पुल पर आम जनता फ्री चलती है, उसी तरीके पर कालपी ब्रिज पर फ्री चलने देना चाहिए। लेकिन अगर जनता खर्चा देने के लिये तैयार है तब तो सरकार को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बुन्देलखण्ड के माननीय सदस्य इस विभाग के उपमन्त्री हैं। उसके ऊपर वह जरूर विचार करेंगे।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि कि हमारे कुछ भाइयों ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा। तो हमारे अर्थ मन्त्री जी ने बड़े सुन्दर रूप में कहा कि जब तक कोई सबूत न हो किसी पर कोई इल्जाम न लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से परम्परा चली आ रही है और जिस तरह से माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, किन्तु जब हमारी तरफ से भी यह कह दिया जाता है कि भ्रष्टाचार है, तो उस पर आपत्ति की जाती है। जिस विभाग में देख-रेख नहीं होगी, वहीं भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा किसी विशेष दल के लोग शराब पिये हुए घूमते थे। मैं कहता हूं कि हर दल में ऐसे लोग मौजूद हैं। सिविल सप्लाइज की जो लाइसेंसिंग कमेटीज थीं, जिनमें हमारे माननीय सदन के सदस्य मेम्बर थे, उन्हें सरकार को खत्म करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि उनमें सरकार को भ्रष्टाचार का अंश मालूम हुआ। लोगों का पक्षपात मालूम हुआ। तो यह लाँछन देना कि किसी पार्टी के लोग कैसे रहते हैं, यह बड़ी बात हो जायगी। ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए। हर दल में अच्छे और बुरे लोग होते हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस अनुदान में जो रुपया रखा गया है, वह बहुत कम है और सरकार को खासकर इसका प्रबन्ध करना चाहिए कि हर क्षेत्र में वह देखे कि जहाँ सड़कों की जरूरत है, उसको पहले लिया जाय और जो नियम आपने बना रखा है, उसको स्थगित कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निर्माण विभाग पर सड़कों के व्यय के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। इसमें पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बहुत से विरोधी दल के भाइयों ने भ्रष्टाचार की बड़ी बुलन्द आवाज लगाई है। यह सही है कि भ्रष्टाचार है, मगर भ्रष्टाचार की बुलन्द आवाज लगाने से भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। मैं समझता था कि यहां पर आकर भ्रष्टाचार रोकने के लिये कोई नया उपाय सुनूंगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आवाज बुलन्द की जाती है। यहाँ इस वक्त यह हालत है कि यदि स्वयं हम अपने को नेक साबित करना चाहते हैं तो जबरदस्ती आवाज लगायें कि बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसके निवारण में कोई उपाय बतलाना चाहिए न कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार चिल्लाने से हम अच्छे हो जायेंगे या प्रान्त अच्छा हो जायेगा। तो मैं आज इस विभाग पर कुछ कहना चाहता हूं। इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है और वह हमारे प्रान्त में एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका सम्बन्ध देश के विकास और निर्माण से है। वह विभाग उत्तम माना गया है और गवर्नमेंट की उन इमारतों को बनाता है जिसके अन्दर बड़े-बड़े आफिसेज कायम किये जाते हैं और सरकार का संचालन होता है लेकिन इस विभाग में सुधार की गुंजाइश है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान् जी, सड़कों की निर्माण की व्यवस्था और वह कहाँ बनाई जायं, इस तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देखा यह जाता है कि जहाँ पर सड़कें बनी हुई होती हैं उन्हीं को बढ़ा कर हम सड़कें बनाने का फैसला कर लिया करते हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र पड़े हुए हैं जहाँ पर आज भी यातायात की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य लिखी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मैं इसको देख देखकर कह रहा हूं। आपकी तरह मैं पुराना एम० एल० ए० नहीं हूं। इस लिये मुझको इसकी आवश्यकता है। श्रीमान् जी, अगर इजाजत दें, तो मैं बयान करूं, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं, उन्हीं के आधार पर मैं कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष--नोट्स का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लिखित पूरी स्पीच नहीं होनी चाहिए।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--ऐसे बहुत से क्षेत्र पड़े हुए हैं जो आबादी के लिहाज से बहुत ही पिछड़े हुए कहे जा सकते हैं। मैं उनकी ओर श्रीमान् जी की मार्फत माननीय मंत्रीजी की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सीतापुर इलाक़े में गाजरी इलाक़ा है। वह बहुत ही विकसित हो सकता है, लेकिन वहाँ पर सड़कों के निर्माण के लिये विशेष परिश्रम और धन की आवश्यकता होगी। कठिन परिश्रम और धन की आवश्यकता के कारण अगर ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण न किया जाय तो उस इलाक़े की जनता के साथ कोई न्याययुक्त फैसला आप नहीं करेंगे। मैं श्रीमान् जी की मार्फत सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस समय इसी बजट के भीतर मंकी ब्रिज जो लखनऊ का है, उसमें बहुत सा रुपया लगाया जा रहा है शायद उसको और आरामदेह बनाने के लिये। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह जिस तरह से है उसी तरह से चलने दिया जाय तो लखनऊ की शान और शौकत में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और उतने ही रुपये से अगर लखनऊ से तम्बौर तक कुर्सी और महमूदाबाद होती हुई एक सड़क बना दी जाय तो उस इलाक़े में लोगों को बहुत सुभीता होगा और वह इलाक़ा बहुत अच्छा हो जायगा और सरकार के लिये भी बड़ा फायदेमन्द हो सकता है।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि अगर काम की देखभाल विशेष तरीक़े से बरती जाय तो बहुत सा पैसा जो अपव्यय होता है वह बचाया जा सकता है। जैसे सड़कों की मरम्मत में या नई सड़कों के बनाने में बहुधा ऐसा होता है कि सड़क जितनी ऊंची होनी चाहिए वैसे ठेकेदार नहीं करते और अच्छे की जगह खराब माल इस्तेमाल करते हैं। कंकरीट डालते हैं तो वह भी मिट्टी मिली हुई डाल देते हैं। अगर मन्त्री महोदय मोटर पर दौरा करें तो थोड़े से प्रयास में लाखों रुपया बचाकर निर्माण कार्य में लगाया जा सकता है। मैं एक सुझाव देकर खत्म कर देना चाहता हूं। सरकार अपने साधनों को सीमित समझती है और प्रदेश का विकास भी करना चाहती है। हमारी सरकार की यह इच्छा है, लेकिन उस इच्छा के होते हुए भी उतना निर्माण नहीं कर सकती। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि क्यों न प्राइवेट तरीक़े से कांट्रैक्टर्स से सम्पर्क स्थापित करके उन पैसों का इस्तेमाल किया जाय यानी सड़कों का कान्ट्रैक्ट प्राइवेट आदमियों को दे दिया जाय और कुछ शर्तें तय कर ली जायं, यह तय कर दिया जाय कि इतने समय तक उससे जितनी आमदनी होगी वह उसका बनाने वाला वसूल करेगा और उसके बाद वह सड़क गवर्नमेंट की हो जायेगी। जिस तरह हावड़ा का पुल किसी जमाने में बनाया गया, उसी तरह से हम उस पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जोकि आज पूंजीपतियों के पास जन कल्याण की भावना के अभाव के कारण दबी हुई है। इस तरीक़े से देश का कल्याण कर सकते हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस सदन में मैं पहली बार बोल रहा हूं। इसलिये जो मुझसे त्रुटियां हों, वे क्षमा की जायं। मैं अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५० में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव .....।

अध्यक्ष--कटौती का प्रस्ताव पेश हो गया है और उसी के ऊपर जनरल डिस्कशन हो रहा है। अब कटौती के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुप्तार सिंह--जो ३ करोड़ २ लाख ७१ हजार की मांग रखी गयी है, उसको मैंने देखा। भवन में इस वक्त पूर्व और पश्चिम की एक होड़ चल रही है। हर आदमी जो खड़ा होता है वह पूर्वी जिलों की मांग करता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि विरोधी पार्टी के सदस्य, जो अपने को समाजवादी कहते हैं, पहाड़ी इलाक़ों की मांग करते हैं। मैं समझता हूं कि उन इलाक़ों के लिये मांग करनी चाहिये, जहां पर सड़कों की जरूरत है। मैं अध्यक्ष महोदय

के द्वारा माननीय निर्माण मन्त्री का ध्यान रायबरेली के उस क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो फतेहपुर जिले से मिलता है। वहां की मन्डी लालगंज है। मैं जानता हूं कि मेरे विरोधी या मेरे भाई कहेंगे कि यह भी उसी तरह की बात करने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में सड़क बनाना अनिवार्य है। लाल गंज की मन्डी उद्योग के लिये बड़ी लाभदायक है। लाल गंज से भटौरा रालगुर हथौड़ा घाट होकर हजारों गल्ले की बैल गाड़ियां जाती हैं। हथौड़ा से फतेहपुर तक पक्की सड़क है। अगर लाल गंज से हथौड़ा और हैदरगंज तक सड़क बना दी जाती है तो प्रतापगढ़, लखनऊ और फतेहपुर तक कंसर्न हो जायगा। यह एक जगह ऐसी है, जिसकी एक घटना मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक मर्तबा उसी क्षेत्र में एक कानफ्रेंस हुई। उस कानफ्रेंस में आदरणीय पुरुषोत्तम दास टन्डन, माननीय गौतम जी तथा माननीया उमा नेहरू तशरीफ ले गयीं। नतीजा यह हुआ कि ये तीनों महाशय बैलगाड़ी में इतना परेशान हुए कि उमा नेहरू जी बीमार पड़ गयीं। अब अगर किसी माननीय मन्त्री से या माननीय गौतम जी से उस इलाक़े का नाम लिया जाता है तो उनकी रूह फना हो जाती है। वह ऐसी जगह है जहां डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर का दौरा नहीं होता है, लेकिन वह एक इलाक़ा है जहां टैक्स सबसे ज्यादा वसूल किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर चलिये। हमारे पास गांव के गांव कोआपरेटिव बनाने को तैयार हैं, लेकिन वह जाने के लिये तैयार नहीं होते, ऐसी खराब जगह है। सड़क कच्ची बनी हुई है, मगर इतनी खराब कि कोई जा नहीं सकते। तो मैं अपने माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उसके बनने से रोजगार बढ़ेगा और बड़ा लाभ होगा। और जब कि दूसरी जगह पर मैं यह देखता हूं, अभी मैंने देखा कि एक-एक जगह पर खेती करने के लिये कटी कुटी जमीन को दुरुस्त करने के लिये ७ लाख ८० हजार के क्वार्टर्स मजदूरों के लिये निर्माण किये गए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ८० हजार से ही वे भवन निर्माण कर दिये जाते और ७ लाख रुपया जो बचता, उससे ऐसी-ऐसी जगहों की सड़कें, चाहे वे गढ़वाल में हों, चाहे रायबरेली में हों, या सुल्तानपुर में हों, जहां यातायात की दिक्कत है, बनवा दी जातीं तो अधिक लाभ होता।

दूसरी चीज मैंने देखी कि मंकी ब्रिज जो बना हुआ है, जो पुश्तों से चला आ रहा है, उसको चौड़ा करने का कार्य भी हमारी सरकार करने जा रही है। मैं पुल के चौड़ा करने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन पहले ऐसी जगह काम हो जाना चाहिए जहां कि आमदरफ्त बन्द हो, जहां कि उद्योग बन्द हो, जहां से करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है। उस रुपये के मिलने से केवल मंकी ब्रिज ही नहीं, बल्कि सभी पुल चौड़े किये जा सकते हैं और बनाये जा सकते हैं। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अभी एक बात कही कि शहरों के अन्दर जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनसे गांवों का भी फायदा होता है, सही है। मैं मानता हूं कि उनसे गांवों को भी फायदा होता है। लेकिन कचहरियों में जो पंखे लगाये जाते हैं, वे किस भावना से लगाये जाते हैं? वे मुल्जिम और गवाहों के लिये नहीं लगाये जाते हैं बल्कि मैजिस्ट्रेट के लिये लगाये जाते हैं। तो सवाल यह है कि वे सड़कें जो शहरों के अन्दर सीमेंटेड की जाती हैं वे किन भावनाओं से की जाती हैं जब कि देहात में कंकर की सड़कें भी नहीं हैं।

इन बातों के साथ मैं कटौती का समर्थन करके अपने माननीय मन्त्री से फिर प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें तो अच्छा हो।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गिरधारी लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अनुदान रखा था उसके सिलसिले में जितनी बातें कही गईं, मैंने उनको अच्छी तरह से सुना और मुझे उनके विषय में ज्यादा नहीं कहना है। जहां तक सेल्फ हेल्प स्कीम का ताल्लुक है, उससे हम सभी सहमत हैं और हम

[श्री गिरधारी लाल]

अनुभव करते हैं कि अगर वह कार्य रूप में सफल हो सका तो हमें काफ़ी सहायता और मदद मिल सकेगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुये प्लानिंग विभाग में इस काम के लिये १०,००,००० रुपया रखा है। हम चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जितना भी काम हो, वह सब इसी बुनियाद पर चलने लगे।

एक बात और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सिलसिले में कही गई कि बहुत सी सड़कों का प्रांतीय-करण कर दिया जाय, तो यह जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया था कि पहले हमने बहुत सी सड़कें लीं और फिर इसके बाद धन की कमी की वजह से जितना प्रोग्राम हमारे सामने है उसी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। फाइव इयर्स प्लान या पोस्ट वार स्कीम को पूरा करने के लिये तीन-चार वर्ष लगेंगे। इसलिये अभी हम इन सड़कों को अपने हाथ में लेकर अपने ऊपर जिम्मे-दारी बढ़ाना मुनासिब नहीं समझते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सामने भी कुछ न कुछ काम होना चाहिये। जितनी सड़कें उनके पास हैं, उनको खुद बनाने की वह कोशिश करें।

एक बात जिसमें यह कहा गया कि जितनी सड़कों का प्रोग्राम बनता है, वह यहीं बैठकर बन जाया करता है। वास्तव में इस क़िस्म की बात नहीं है इसमें सुझाव यह दिया गया है कि सेकेन्ड फेज में जो प्रोग्राम होगा वह जितने भी नागरिक और जनता के नुमाइन्दे हर जिले में हैं, उनकी राय से बनेगा। मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि इसी माफिक काम हो रहा है। हर जिले में प्लानिंग कमेटीज (योजना समितियां) हैं और उनमें जनता के नुमाइन्दे हैं। उनकी सलाह और स्वीकृति से ही हमारा प्रोग्राम आगे के लिये तैयार हो रहा है और अब तक का प्रोग्राम भी इसी तरीक़े से तैयार हुआ है।

इसके साथ ही साथ एक बात और कही गई कि हम अरबन माइण्डेड हैं, हमको रूरल माइण्डेड होना चाहिये। इसमें दो चार स्पीचेज का हवाला भी दिया गया। हमारे यहां जो सड़कें बनती हैं, उनमें अरबन और रूरल माइण्डेड का कोई सवाल ही नहीं है। जितनी सड़कें बनती हैं वह सब इस प्रकार की होती हैं कि एक जिले का दूसरे जिले से संबंध है, इसी तरीक़े से पूरे प्रांत से संबंध है और एक प्रांत का दूसरे प्रांत से संबंध है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुये जितनी किफायत के साथ काम हो सकता है, वह किया जाता है।

स्टार्ट्स ऐण्ड फिट्स के सिलसिले में कहा गया कि इसको छोड़ दीजिये। मैं यह कहता हूं कि इस फारमूले में यह है कि इस तरीक़े से काम किया जाय, जिससे हमारे सूबे के विकास में मदद मिले। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज इस फारमूले में नहीं है। खास बात यह है कि हर स्थान पर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से जहाँ सड़कों की जरूरत हो उनको बनायें या निर्माण करें। यही इस फारमूले का खास उद्देश्य है।

इसके अलावा और कोई विशेष बात नहीं है। जहाँ तक कि अलग-अलग सड़कों के विषय में या एक आध फेज के सिलसिले में कहा गया तो तमाम बातों के ऊपर अलग-अलग रोशनी डालना तो कठिन होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह आकर मुझसे मिल लें। मैं उनको सारी बातें समझा देने की कोशिश करूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मंत्री जी ने यह कहा कि जो सुझाव मैंने उनके सामने रक्खे हैं उनको वह सुनेंगे और मानेंगे। मुझे दुःख है कि इसमें बहुत से भाइयों ने यह समझा कि मैं पहाड़ों की बातचीत यहाँ पर करता हूं। मैं तो पहाड़ों की बातचीत इसलिए करता हूं कि हुकूमत आज खास तौर से उन जगहों का ख्याल रक्खे जहाँ से वह बुरी तरह से हारी है। पूर्वी जिलों और पहाड़ों में वह हारी है। पीलीभीत मेरा पड़ोसी जिला है, जहाँ कोई सड़क नहीं है, वहाँ से भी सोशलिस्ट भाई जीते हैं। पश्चिमी जिले खुशहाल मालूम होते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं मालूम होती। मैंने यह नहीं कहा कि उनके यहाँ कोई अच्छी सड़क न हो और अगर हमारे यहाँ से किसी दूसरी जगह ज्यादा जरूरत हो तो वहाँ सड़क बनाई जाय। मैं यह नहीं कहता कि मेरे यहाँ की सड़कें बनाई जायं।

हमारे माननीय मंत्री हाफिज जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनका उत्तर देना मेरे लिये बहुत आवश्यक हो गया। वह हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जो भावना उन्होंने प्रकट की है, जो उनका दिल है वह तो देवताओं की तरह दिल है। वह तो कहते हैं कि मेरे सामने कोई बेईमान दिखाई नहीं देता। यही तो कमजोरी रही कि वह इस विभाग के लायक नहीं थे और वह ऐसा दिल रखते हैं। अगर वह अपने विभाग के लोगों को शक की निगाह से भी देखते तो आज प्रान्त में जो इस विभाग की बदनामी हो रही है वह इससे दूर हो जाती, वह बदनामी न होती। हाफिज जी ने कुछ बातें कहीं उनके जवाब में जो मेरे भाई नारायण दत्त जी ने कुछ कहा। आज मैं इस सदन के सामने माननीय हाफिज जी और इस गवर्नमेंट का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करता हूं, अगर एक जुडीशियल इनक्वायरी कमेटी इस प्रान्त के अन्दर बैठाई जाय। उसके सामने हम शहादत देंगे। क्या आप इसे मंजूर करते हैं? आपकी कमेटियाँ बनेंगी, चार आफिसर्स रख दिये जायंगे, और भी कुछ लोग होंगे। हम चाहते हैं कि अगर आप इस करप्शन को हटाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव मानिये। करप्शन के मामले में हम और आप सब बराबर हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उससे इनकार करना फिजूल है। हम भी चाहते हैं कि करप्शन दूर हो और आप भी चाहते हैं कि करप्शन दूर हो। आप कहते हैं कि प्रमाण देना चाहिये। हम प्रमाण देने के लिये तैयार हैं, लेकिन जुडीशियल कमेटी के सामने। उन्होंने कहा कि जोश में ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। आपने राजगोपालाचार्य जी को भी कोई पत्र लिखा कि साहब आपने यह कह दिया कि आप इस डिपार्टमेंट को एनीमी नम्बर २ कैसे कहते हैं, कैसे आपने यह कह दिया, आपके पास कोई शहादत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, हमतो नीचे से ऊपर तक शुरू से आखिर तक बदनाम हो गये, उनको आपने कुछ नहीं लिखा। हम जो सलाह देंगे, वह ठीक देंगे, कोई गलत बात नहीं कहेंगे, कोई गलत केसेज नहीं लायेंगे। लेकिन अगर आप जुडीशियल इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर कर देंगे तो हम सारे केसेज रखने को तैयार हैं और गवर्नमेंट का यह चैलेञ्ज एक्सेप्ट [स्वीकार] करते हैं।

माननीय मिश्र जी ने यह कहा कि सर को उखाड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन सर पर पगड़ी पहनाना बड़ा मुश्किल है। हम उस पगड़ी ही को सिलवा रहे हैं। इन सब बातों का श्रेय तो इस गवर्नमेंट को ही मिलेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। जब ५ साल बाद हम आयेंगे तभी हमारा श्रेय होगा। अगर इस करप्शन को आपने दूर नहीं किया तो आप देखेंगे कि इस भवन में लाल ही लाल टोपियाँ दिखाई देंगी। मैं उनसे यह कहूंगा। एक हमारे यहाँ कहावत है "दोज हू लिव इन ग्लास हाउसेज, शुड नाट थ्रो स्टोन्स आन अदर्स" (उन लोगों को जो काँच के मकानों में रहते हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर न फेंकने चाहिएं।) उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और काँग्रेस पार्टी की बात कही। दोनों पार्टीज में बड़े-बड़े आदमी हैं। पं० जवाहरलाल नेहरू काँग्रेस में हैं और हमारी तरफ आचार्य नरेन्द्र देव और श्री जयप्रकाश ऐसे लोग हैं। कहा गया कि सोशलिस्ट पार्टी में ऐसे लोग हैं जो ऐसे जुर्मों में पकड़े गये, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि काँग्रेस को जिसको हम तमाम लोगों ने, विरोधी दल के लोगों ने, इस देश के रहने वाले लोगों ने अपने खून से सींचा है उसमें ऐसे लोग रखे गये हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमें मारा, दबाया और जो कुछ नहीं किया वह कम है।

गलत लोग कांग्रेस में भी हैं, सोशलिस्टों में भी हैं। इसलिये बारबार हमला करना मैं समझता हूं कि इस भवन को शोभा नहीं देता। हमसे कहा जाता है कि ऊंचा स्तर करो, क्या यही ऊंचा स्तर है? सोशलिस्ट पार्टी पर इस भवन के अन्दर हमला करना क्या इस भवन के स्तर को ऊंचा करना है? मुझे इस बात का दुख है। हम जो विरोधी दल में यहाँ पर आये हुए हैं, हमने भी देश की आजादी के अन्दर कुछ काम किया है। अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत ज्यादा सेवा की है तो कुछ थोड़ा बहुत हमने भी किया है। अगर जनता से बहुत प्रेम आपके दिल में है तो थोड़ा बहुत हमारे दिल में भी है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि चुनाव की बात यहाँ पर न करें, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम भी यहाँ पर छट कर आये हैं। हमको भी यहाँ पर लोगों ने चुनकर ही भेजा है। एक दो बात पिछले

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

साल हमारे माननीय जगमोहन सिंह नेगी, श्री सिंहासन सिंह ने कही थी, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी ने इसको कहा था कि यह डिपार्टमेंट प्लन्डर विदाउट डेंजर (निर्भय लूट) है। किसी ने कहा था कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं है, यह तो सार्वजनिक विनाश विभाग है। किसी ने कहा था कि यह तो पर्सनल वर्कस डिपार्टमेंट है। अगर मैं उनकी स्पीचों को यहाँ पर पढ़ूं तो मेरा सारा समय उसमें निकल जायगा, लेकिन जो खास बातें हैं, मैं उनको ही आपके सामने रखना चाहता हूं .....।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---पर्सनल एक्सप्लेनेशन (व्यक्तिगत स्पष्टीकरण) के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने प्लन्डर या डेंजर कभी नहीं कहा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---आपने यह नहीं कहा और सदस्यों ने कहा था। आपने इतना तो कहा था कि जो काम ढाई लाख में दूसरा डिपार्टमेंट करता है, उसी काम को पी० डब्लू० डी० ८० लाख में करता है। इसलिये मैं उतना ही कहना चाहता हूं कि ऊंचा स्तर तो आपकी तरफ से होना चाहिए। पं० जवाहरलाल जी जो आपकी कांग्रेस के सब से बड़े लीडर हैं, वह आपकी संस्था के हेड हैं, उनका खयाल करते हुए आपको स्तर ऊंचा करना चाहिए। आपने जो चैलेन्ज दिया है उसको मैं एक्सेप्ट [स्वीकार] करता हूं और हम जरूरी सुझाव पेश करेंगे।

उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जी नहीं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ३,०२,७१,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत २३,४०,६०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

इस अनुदान के विषय में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है यह खर्चा सेन्ट्रल रोड फन्ड से मीट किया जाता है। यह जो निधि है, यह केन्द्रीय सरकार अपने यहाँ पेट्रोल कस्टम वगैरह ड्यूटी जो लगाती है, उससे वह करीब २० फीसदी एयरोड्रोम वगैरह पर खर्च करती है और बाकी सब हर एक सूबे को उसकी जरूरत के मुताबिक दे देती है। यह जरूर है कि वह अपने प्रोग्राम को पूरा करने के खयाल से इस रुपये को देते हैं। इसमें से हमने अपने सूबे में रामगढ़ सड़क जो कि मुक्तेश्वर तक निर्माण की जा रही है, उसके ऊपर ८ लाख इसी में से खर्च कर रहे हैं और इसके अलावा जो काम इस वर्ष चालू हैं, उनको भी पूरा करने के लिये ३ लाख ५ हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा एटा, अलीगढ़ और मैनपुरी में कुछ स्थानों पर कुछ अधूरे मील पड़े हैं। उनको पूरा करने के लिये २ लाख २६ हजार रुपया रखा गया है। इस तरह से जो काम अधूरे पड़े थे, उनको पूरा करने के लिये ११ लाख ९० हजार ६ सौ रुपये की रक़म रखी गयी है और इसी में बहुत से पानटून ब्रिज वगैरह बनाने की व्यवस्था है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को पेश करता हूं।

महराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय। कुछ बोलने से पहिले मैं आपकी आज्ञा के साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से कुछ पढ़ना चाहता हूं। एक दिन दिल्ली में कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी उस समय उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया था--

"जहाँ तक गढ़वाल की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ५ साल की योजना नेशनल हाईवेज में शामिल करने के लिये हमारे पास भेजी है, उस ५ साल की योजना में गढ़वाल की योजना का कोई जिक्र नहीं है। इसलिये यह बात साफ है कि उसको महत्व खुद यू० पी० की सरकार उस हद तक नहीं देती, जिस हद तक माननीय सदस्यों ने अभी इस हाउस में बतलाया है।"

आगे बढ़कर माननीय लाल बहादुर जी बतलाते हैं कि--

'मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहाँ तक छोटी-मोटी सड़कों या ऐसी सड़कों का ताल्लुक है जो कि प्रान्तीय सरकार बनाना चाहती है जैसे कि गढ़वाल का जिक्र आया और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हो तथा जिसको प्रान्तीय सरकार बहुत अहमियत दे तो उनके लिये हम रोड फन्ड से भी रुपया देते हैं।"

हमारे मौजूदा निर्माण मन्त्री ने अभी हाल ही में इस महकमे को अपने जिम्मेदारी में लिया है, इसलिये उनसे तो मैं कोई विशेष बात पूछ नहीं सकता। मैं पूरे मन्त्रिमन्डल से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का वास्तव में यह विचार है कि गढ़वाल की सड़कों को कुछ महत्व देना जरूरी नहीं है? मैं जानता हूं कि शायद किसी कारण से टेहरी-गढ़वाल की सड़कें इस भवन के लिये या इस प्रान्त के मन्त्रिमन्डल के लिये कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती हैं, परन्तु मैं पूछता हूं कि किस कारण से हमारे गंगापार भाइयों के साथ सौतेले पुत्र का सा बर्ताव किया जा रहा है। हमें आशा थी कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही हमारे एक भाई हैं सो विलीनीकरण के बाद जब हमारा जिला भी उसका अंग बन गया तो उनसे हमको सहायता मिलेगी। परन्तु खेद है कि अब हमें यह अवस्था दिखाई देती है कि हमारे कारण पौड़ी-गढ़वाल भी दुख भुगत रहा है।

श्री लाल बहादुर जी के भाषण से एक और बात प्रतीत होती है कि इस समय तक जब भी टेहरी के लिये आवाज उठाई गयी, यहाँ या विधान सभा में, तो उसका उत्तर टेहरी-गढ़वाल की भूतपूर्व सरकार की गलतियाँ दिखला कर उस आवाज को शान्त करने की चेष्टा की गई है। अब एक नया उपाय निकला है और जवाब देने की एक नई रीति अपनाई जा रही है। लाल बहादुर जी क्या कहते हैं? जब राजमाता साहेबा ने टेहरी-गढ़वाल की सड़कों के लिये आवाज उठायी तो लाल बहादुर जी कहते हैं कि "अजी राजमाता साहेबा, आप जाइए पहले लखनऊ से निबट कर यहां आइए। आपको यह याद रखना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी सड़कों पर कुछ महत्व नहीं देती तो भला मैं आपकी सड़कों की सहायता किस तरह कर सकता हूं।" क्या यह कोई उचित जवाब है? सरकार यहाँ भी काँग्रेस संस्था की है और दिल्ली में भी तो काँग्रेस संस्था की है। एक गरीब जिले के प्रतिनिधि को इस प्रकार दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली भेजना अनुचित है। मेरी यह प्रार्थना है कि मन्त्रिमन्डल इस बात पर ध्यान देगा।

यह जवाब या बहस, कि पिछले दिनों एक जिले में क्या होता था या वहाँ की जनता किस प्रकार सताई जाती थी, पहली अगस्त, १९४९ ई० के बाद कोई महत्त्व नहीं रखता। क्योंकि उस जिले में राज्य शासन उचित प्रकार से नहीं होता था, इसलिये ही तो उस जिले का भार इस सदन के ऊपर रखा गया है। बार-बार यह कहना कि टेहरी-गढ़वाल के लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनके भूतपूर्व नरेशों ने उनका खून इस प्रकार और उस प्रकार चूसा है, यह मनुष्यता नहीं दिखाई देती।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

अब मैं आपके द्वारा मन्त्रिगण से यह पूछूंगा, केवल निर्माण मन्त्री साहब से नहीं कि यदि दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार का यह विचार है कि टेहरी-गढ़वाल की सड़कों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं तो किस प्रकार इस विचार पर हमारे मन्त्रिगण पहुंचे। क्या उन्होंने गढ़वाल के सदस्यों की राय ली थी या केवल अपनी मनमानी से या कर्मचारियों की रिपोर्ट पर यह विचार कर लिया ? इस सदन में पहले टेहरी-गढ़वाल से भी एकाध सदस्य आये थे। शायद मन्त्रिगण ने इस विषय में उनकी राय ली हो। मैं कहता हूं कि यदि उनकी राय ली भी गई हो, यह नहीं भूलना चाहिए कि वे सदस्य दरअसल टेहरी-गढ़वाल की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। उनको तो सदस्य बनने का अवकाश केवल यहाँ के बड़े-बड़े नेताओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। यदि वह सचमुच अपने जिले के निवासियों के प्रतिनिधित्व के लायक होते तो अवश्य उन्हें एक बार फिर यहाँ आने का मौका मिलता।

अब सवाल यह होता है कि चूंकि टेहरी-गढ़वाल के भूतपूर्व सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमन्डल के पास जनता की आवाज नहीं पहुंचाई थी, कारण चाहे जो भी रहा हो। कारण चाहे यह रहा हो कि दरअसल अपने आपको प्रतिनिधि नहीं समझ सके, कारण चाहे यह रहा हो कि वे सदस्य इतने बड़े सिद्धांतवादी साबित हुए हों कि उनको अपनी संस्था के विचारों में लकीर के फकीर बनना ही अपना धर्म दिखाई दिया। इसलिये क्या यह उचित है कि अब जब कि वहाँ अशान्ति फैल रही है हमारे मन्त्रिगण, क्योंकि टेहरी-गढ़वाल की आवाज पहले सदस्यों ने नहीं पहुंचाई, सन्तुष्ट बैठे रहें ? क्या यह उचित है कि टेहरी-गढ़वाल की आवाज गवर्नमेंट तक न पहुंचाई जाय ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो सदस्य यहां पहले थे और अब नहीं हैं उनके बारे में कुछ कहा जाय तो कहाँ तक उचित है क्योंकि उनको जवाब देने का कोई अवसर नहीं मिल सकता।

उपाध्यक्ष--यह माननीय वक्ता की उदारता पर अवलंबित है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--मैं उनका जिक्र केवल इस वजह से कर रहा था कि उनके कारण ही आज टेहरी-गढ़वाल के लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है और क्योंकि उनके वचनों को मंत्री मंडल ने सत्य समझा, जब उन्होंने कहा कि टेहरी-गढ़वाल में रामराज्य है, इसी वजह से वहां के लोगों को दुःख है। न तो नेगी जी को और न किसी और दूसरे सदस्य को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, बल्कि उसका परिणाम भुगत रही है, वहां की जनता। इसलिये ऐसी स्थिति में क्या मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उनका जिक्र करूं।

अन्त में समय न होने के कारण मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हर एक सदस्य का यह फर्ज होता है कि वह जनता की आवाज को गवर्नमेंट के सामने रखे, उसके कष्टों को बताये फिर भी जनतंत्र का यह सिद्धांत है --

"It is today more important than it ever was that we surrender the abstract, unreal motion of a Government and the governed in Opposition to each other, as two discrete entities : one claiming duties, the other fighting for rights."

[यह आज इतना महत्वपूर्ण है कि जितना पहले कभी नहीं था कि हम सरकार एवं शासित के जो विरोध में रहते हैं अमूर्त, अवास्तविक विचार को एक दूसरे के आत्मसमर्पण करते हैं क्योंकि दो पृथक अस्तित्व हैं --एक कर्त्तव्य का दावा करती है और दूसरा अधिकारों के लिये लड़ता है।]

यदि टेहरी-गढ़वाल के सदस्यों ने आवाज नहीं पहुंचाई तो गवर्नमेंट का यह कर्त्तव्य था कि वहां के प्रश्नों को सरकार स्वयं देखती।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इसके पहिले कि मैं अनुदान पर कुछ कहूं, मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मालूम होता है कि आपको बारबार पिछड़ी हुई जातियों की बातों को सुनकर यह ध्यान आ गया कि पिछड़े हुए जिलों को भी बोलने का अवसर देना चाहिये, क्योंकि गोरखपुर पिछड़ा हुआ जिला है। अतः आज हमको भी उसके बारे में कुछ कहने का अवसर मिला है।

हमारे गोरखपुर में एक क्षेत्र है, जिसमें सड़कों का नाम भी नहीं है, सड़कों की क्या पगडंडी का भी रास्ता नहीं है। कोई अफसर आज तक वहां नहीं गया। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार दौरे में कभी नहीं गये। इसका कारण यही रहा है कि उस क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है। गोरखपुर की सड़कों की बाबत तो थोड़ा बहुत खाद्यमंत्री महोदय भी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उनको वहां जाने का मौका मिला था। वहां एक सड़क है जो गोरखपुर से शिकारपुर को जाती है, दूसरी सड़क सिसवां को जाती है, ये दोनों सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० की हैं। इनकी हालत बहुत ही खराब है। फूलसिंह जी को भी भटहर जाने का मौका मिला है। उन्होंने उस रोड को देखा है, कैसी है? और उन्होंने माननीय मंत्री को उसके बारे में बताया होगा।

हमको मंत्री महोदय की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह हमारी पार्टी की सरकार का बजट है। हमारा अधिकार तो यही है कि हम उस बजट की तारीफ, सराहना करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--यह आप की पार्टी का बजट है या गवर्नमेंट का बजट है?

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह--मैंने यह कहा था कि यह पार्टी गवर्नमेंट का बजट है, क्योंकि आप बराबर कहते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यह हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिये हम में से प्रत्येक का यह कर्त्तव्य है कि हम पार्टी के संठगन को कायम रखें और आपको कोई मौका न दें कि आप हमें कोट करें (हवाला दें) ताकि आपको मौका नहीं मिले अपनी स्पीचेज में उसे कोट करने का।

तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह गोरखपुर की सड़कों की तरफ खासतौर से ध्यान दें। यह हमारा कर्त्तव्य होता है कि हम अपने क्षेत्र की बुराइयां सरकार के सामने रखें। गोरखपुर एक ऐसी जगह है कि जो आजकल हर एक प्वाइंट से बहुत मशहूर जगह हो रही है। नैपाल बार्डर पर होने के नाते जो पिछले आन्दोलन नैपाल में हुए हैं, उसका क्या असर गोरखपुर पर पड़ा, गोरखपुर से किस तरह लोग वहां पहुंचे? यह भी सरकार को मालूम है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। कुलियों की जगह होने के नाते वहां लेबर ट्रबुल बार-बार होता रहता है। अगर आप लेबर को सेटिस्फाई (संतुष्ट) करना चाहते हैं तो उनकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। इसलिये मैं सरकार से आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर की तरफ खासतौर से ध्यान देकर वहां यातायात के साधन ठीक तरीके से कर दिये जायं, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो।

इसके अलावा राजघाट पर पुल होना निहायत जरूरी है, क्योंकि बाढ़ के समय नदी पार करने में वहां लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। नदी को नाव के जरिये से पार करने में लोगों को दो-दो ढाई-ढाई घंटे तक लग जाते हैं। पिछली मिनिस्ट्री ने उस पुल को बनाने की आयोजना की थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ कि क्या वजह थी, जिससे वह पुल नहीं बन सका। अबकी बार मैं अपने निर्माण मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे उस पुल को बनवा दें और उस पुल के लिये कुछ कर, दो पैसा, एक पैसा फी आदमी आने-जाने पर लगावें तो गवर्नमेंट को कर भी मिलेगा और वहां के लोगों को आराम भी होगा।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शासन की ओर से जो अनुदान निर्माण विभाग का इस सदन के सामने रखा गया है, उसके लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। पिछले ६ वर्षों में सरकार ने जन-निर्माण कार्य में जो प्रगति की है वह केवल इस प्रदेश के लिये ही संतोषजनक नहीं है, बल्कि भारत में एक ऐसी मिसाल है जो दूसरे प्रदेशों में नहीं पायी जाती। बहुत सी बातें उस विभाग के कार्य करने की शैली पर विरोधी दल की तरफ से कही गयी हैं। लेकिन मैं एक ही बात पूछता हूं कि यदि कांग्रेस की सरकार न होकर सोशलिस्ट पार्टी की ही सरकार होती और जन-निर्माण-विभाग में जो इतने विशेषज्ञों और कर्मचारियों की फौज है, क्या उनके लिये यह संभव था कि अपनी सरकार बनाने पर वे सबको बरखास्त कर देते और ऐसे लोगों को इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाते, जिन्हें कोई तमीज नहीं थी, जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी? इसलिये केवल यह कह देना कि काम ठीक नहीं होता है, करप्शन है, बेईमानी है, यह तो बहुत आसान बात है, लेकिन किसी काम को करना और करवाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे अपनी कल्पना की भी सरकार बनावेंगे तो उनको इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि उनको उन्हीं की सहायता लेनी पड़ेगी, जिनकी आज यह सरकार मदद ले रही है।

सभी यह मानते हैं कि पिछले ६ वर्षों में हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि जब हमारे देश में अन्न संकट था, काश्मीर की समस्या थी, हिन्दुस्तान पाकिस्तान का प्रश्न पैदा हो गया था। ऐसे मौके पर अगर हम इस प्रकार से चुनाव करते कि कौन ओवरसियर ईमानदार है और कौन वर्क एजेंट ईमानदार है, कौन बेईमान है तब तो मैं यह समझता हूं कि आज जितनी सफलता हमने प्राप्त की है, पिछले ६ वर्षों में, उतनी एक शताब्दी में भी नहीं पा सकते थे। सरकार निरन्तर इस बात के लिये प्रयत्नशील रही है कि वह ऐसे कार्य करे, ऐसे सुझाव अपने विभाग के लिये लागू करे, जिससे भ्रष्टाचार की जो बात कही जाती है (यद्यपि जितनी कही जाती है उतनी तो नहीं है) क्योंकि ज्यादातर लोग सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, किसी को काम देखने का या उन स्थानों पर जाने का अवसर नहीं मिला है और न वह कष्ट उठाने की कोशिश करते हैं। केवल यहां पर उनको अधिकार है इसलिये बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं। मैं इस बात की प्रार्थना अवश्य करता हूं कि सरकार उन भ्रष्टाचारों को कम करे जो बाकी रह गये हैं।

माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि पहाड़ों की ओर ध्यान इसलिये दिया जाना चाहिये कि वहां सोशलिस्टों का जोर अधिक है और उन्हें डर है कि सरकार उस ओर से अपनी नजर न उठा ले। इस सदन को गलत फहमी न हो जाय इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अल्मोड़ा जिले में ६ सीटों में से केवल एक सीट सोशलिस्ट पार्टी को मिली है और वह भी जिसमें कांग्रेसी उम्मीदवार को ५ वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन जोड़ की गलती से डिक्लेरेशन सोशलिस्ट उम्मीदवार के पक्ष में हो गया है। इसलिये सदन को यह खयाल न हो कि वहां पर लाल टोपी का असर हो गया है। अभी मेरे भाई बालेन्दुशाह ने टेहरी के सिलसिले में बहुत सी बातें कही हैं। एक बात को उनको मान ही लेना चाहिये कि अगर एक रोगी आदमी को आप चाहें कि वह स्वस्थ आदमी के साथ दौड़े तो संभव नहीं है और अगर उस रोगी आदमी से कह दिया जाय कि जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाते, तुम स्वस्थ आदमी के साथ नहीं दौड़ सकते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

टेहरी पिछले शासन काल में जिस अवस्था में था और जिसके लिये माननीय सदस्य ने इस तरह के शब्द प्रयोग किये हैं जिनको मैं दुहराना नहीं पसन्द करता, लेकिन शताब्दियों तक टेहरी का इलाका पिछड़ा हुआ रहा है। इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उन्हें सब्र करना चाहिये। एक सौ वर्ष तक वह पिछड़ी हुई अवस्था में रहे हैं, उन्हें संतोष करना चाहिये, कुछ ही वर्षों में हम और जिलों के मुकाबिले में आ जायेंगे। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब

से टेहरी का जिला इस प्रदेश में शामिल हुआ है वहां पर काफी तरक्की के काम किये गये। सैकड़ों स्कूल खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है और शासन का स्तर ऊंचा उठाया गया है केवल टेहरी ही एक ऐसा जिला इस प्रदेश में है जहां कक्षा दस तक फीस नहीं ली जाती। मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार को इस पर विचार करना है कि अगर वह करप्शन को हटाना चाहती है, कर्मचारियों के नैतिक स्तर को ऊंचा करना चाहती है तो कानून की उलझनों में न पड़ें। उसके लिये कोई नया तरीका अख्तियार करना होगा, कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा तभी हम इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जो कोई आदमी पकड़ा भी जाता है वह गवाह, सबूत और दूसरी कमजोरियों के कारण बचकर निकल जाता है। अभी एक आदमी नैनीताल में घूसखोरी से सजा पा गया था लेकिन सबूत और गवाहों की कमजोरी के बदौलत जज साहब की अदालत से छूट गया। सुना है कि ठेकेदारों से अब वह कहते हैं कि अदालत का खर्चा भी कंट्रेक्टर से वसूल करूंगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान्, मैं विधान का एक प्रश्न उपस्थित करता हूं), माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में यह लिखा है कि कोई मामला जब कोर्ट के सामने या किसी ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) के सामने हो तो उस पर हाउस के अन्दर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य श्री भूपाल सिंह खाती ने अभी एक मामला जो ट्रिब्यूनल के सामने है उसका फैसला उन्होंने दे दिया। इस सदन के अन्दर जो मामला एलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने है उसपर कोई बहस या कोई ऐसा फैसला कोई मेम्बर साहब दे सकते हैं?

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय भाई भूपाल सिंह खाती के भाषण के विरोध में जो बात कही गयी है उसके संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स स्टेट किये हैं। कोई प्लेट नहीं है जिसकी बिना पर कोई फैसला यहां पर दिया जा सकता हो और न उन्होंने दिया है सिर्फ फैक्ट्स स्टेट (तथ्य-वर्णन) किया है।

उपाध्यक्ष--आप कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर (वैधानिक प्रश्न उठा) रहे हैं या बहस कर रहे हैं। मैं बहस की इजाजत नहीं देता। भूपाल सिंह जी ने फैक्ट्स का स्टेटमेंट किया है उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है या किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया है इसलिये मैं समझता हूं कि आपत्ति की बात नहीं है।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और साथ ही मैं अपने आपको बधाई देता हूं कि अपनी १५ दिन की तपस्या के बाद आपने कृपा की कि मुझे अपने विचार आज इस हाउस के सामने रखने का मौका मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस वक्त हाउस के सामने पेश है मैंने भी इस पर कटमोशन किया था, इस खयाल से नहीं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं या इसकी मुखालिफत करना चाहता हूं। बल्कि मैंने कुछ हाउस में यह महसूस किया कि बोलने के लिये वैसे तो समय नहीं मिलता, इसलिये अपने नाम से कटमोशन मैं दे दूं तो शायद मेरी भी बारी आ जाय। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा प्लान बनाया जाय कि हमें बोलने का अवसर प्राप्त करने के लिये ऐसा तरीका न अख्तियार करना पड़े और इससे कटमोशनों की संख्या भी कम हो जायगी क्योंकि मैं तो यह समझता हूं कि केवल अपोजीशन पार्टी की तरफ से ही कटमोशंस आने चाहिए और मैंने गलती की वह सिर्फ इसलिए की कि बोलने का समय लेना चाहता था।

यह अनुदान जो पेश है, सैद्धांतिक तौर से इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता कि सूबे की तमाम सड़कें फौरन पक्की हो जानी चाहिये। उनके हल्कों की सड़कें

[श्री तेजा सिंह]

पक्की हो जानी चाहिये। लेकिन जो कुछ हमारी इस समय माली अवस्था है, कोई भी आदमी चाहे वह अमीर हो या गरीब टैक्स देना किसी तरह से कबूल नहीं करता ख्वाह वह एक पैसा हो या सौ रुपये। गरीब आदमी एक पैसा टैक्स देना कबूल नहीं करता और जो अमीर आदमी हैं वह सुपरटैक्स और दूसरे टैक्स देना नहीं चाहते। ऐसी हालत में जब कि हमारी आर्थिक दशा ऐसी हो, जब कि लोगों पर ज्यादा टैक्स न लगाया जा सकता हो वहां यह उम्मीद करना कि तमाम सड़कें फौरन पक्की हो जायं वह ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ प्लान बना है वह बहुत मुनासिब है और इन हालात के होते हुए इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था।

परन्तु मैं अपने हल्के की बातें कुछ उनके सामने गुजारिश करना चाहता हूं। मेरा हलका यहां से बहुत दूर है। इतना दूर है कि शायद वहां जाकर हमारे प्रान्त की सीमा खत्म हो जाती है। तो दूर होने की वजह से मैं समझता हूं कि अधिकारियों के ध्यान में और मंत्रिमंडल के ध्यान में वह नहीं रहता। मेरा हलका गाजियाबाद है, जहां से दिल्ली का प्रान्त शुरू हो जाता है। उस हलके में मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि वह दिल्ली से नजदीक है जहां से भारत पर हुकूमत होती है या यूं कहिये कि दिल्ली की परछाईं में है और साथ ही चूंकि दिल्ली सूबे की हद मिलती है वहां तरह तरह की देहातों में तरक्की हो रही है वहां नयी नयी सड़कें तैयार हो रही हैं तो हमारे देहात के लोग कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा सूबा जो है वह पिछड़ता जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस हलके की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

इसके बाद मुझे एक सुझाव पेश करना है। मैंने अपने हलके में गांव के लोगों के बगैर पैसे के कुछ काम करा दिये हैं। मेरा अनुभव है कि लोग बहुत खुशी से काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं। कई मील सड़कें बगैर पैसे के तैयार हो गयी हैं। तो अगर कोई ऐसा सुझाव रखा जाय कि वहां पर कोई सड़क तैयार की जाय। वहां जो अनस्किल्ड लेबर है जैसे सड़कों पर मिट्टी डालना, यह काम उस इलाके के देहातियों से करवाया जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन (सहयोग) ज्यादा होना चाहिये। हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गांव सभा और एक केन डेवलपमेंट सोसाइटी है वह भी कुछ रुपया रास्तों को ठीक करने के लिये लेती है। एक पैसा फी मन काटा जाता है। लेकिन यह सब अलहदा अलहदा काम करते हैं। अगर तमाम फंड्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। गाजियाबाद में एक गुड़ का सेंटर है उसके फंड में २५ हजार रुपया है। लेकिन दो फर्लांग का टुकड़ा जहां उनका कांटा लगा हुआ है वहां जाकर गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन इतने रुपये में से दो फर्लांग का टुकड़ा भी नहीं पक्का कराया जा सका। इसलिये मैं इधर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा अगर ऐसा हो जाय कि तमाम फंड्स एक जगह कर दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा और जो करप्शन की बात कही जाती है उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जो ठेके दिये जायं वह सहकारी समितियों को दिये जायं। उससे करप्शन कम होगा। इसलिये कोशिश की जाय कि जहां तक मुमकिन हो, सरकारी समितियों की मार्फत ही काम किया जाय।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे निर्माण विभाग का संबंध है वहां पर यदि हमारी सरकारी नीति का एक सही नक्शा खींचा जाय तो मुझे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि वह नीति एक घसड़प्पे की नीति है। जब बालक पैदा होता है तो जो उनके मस्तिष्क की दशा होती है, ऐसी ही दशा कुछ हमारे निर्माण विभाग की है, एक योजना बनाई जाती है, वह योजना पूर्ण नहीं हो पाती है, बल्कि अपने सूबे की एक बड़ी रकम उसके लिये खर्च होती है और वह व्यर्थ में ही बरबाद होती है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊंगा और एटा की जो सड़क है उसकी मरम्मत ३-४ साल पहले तजवीज

हुई। वहां पर तारकोल, गिट्टी और तरह तरह का सामान सड़क बनाने के लिये मुहइया किया गया। बाद को उसकी दशा यह हुई कि ३-४ साल में वहां जितने पंपे कोलतार के पहुंचे हुए थे वह सब गांव के लोग या और कुछ सरकार के वजीफेदार लोग ले गये और गिट्टी का पता नहीं। कुछ चीजें जो बची हुई थीं वह बाद को नीलाम की गयीं। सड़क के निर्माण का जो निश्चय हुआ था वह ज्यों की त्यों अभी तक पड़ी हुई है। हमारे मंत्री साहबान जिनको कभी मौका मिल जाता है उस सड़क के गुजरने का, तो उनका प्रोग्राम जो बनता है वह इस तरह का बनता है कि वह एटा से शिकोहाबाद आते हैं तो नहर की पटरी रोड से उनको निकाल दिया जाता है यानी उस सड़क पर उनकी कार नहीं जाती। यह दशा है इस निर्माण विभाग की और हमारी सड़कों की।

वहां पर एक और बात है कि पुरानी सड़कें जो मरम्मत तलब हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि नई स्कीमें तमाम चालू कर दी जाती हैं। इसी तरह मैं बतलाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें जिनकी मरम्मत के लिये निर्माण विभाग से सहायता मिलती है, उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। इसके लिये मैं निर्माण विभाग को यह सुझाव दूंगा कि वह उनके लिये इतनी ज्यादा मदद बढ़ा दे ताकि वह उनका प्रबन्ध अच्छा कर सकें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें इतनी बुरी हालत में हैं कि उनमें से किसी किसी से तो गांव के हमारे कच्चे रास्ते अच्छे हैं। उनपर गाड़ियों के चलने में बड़ी कठिनाई होती है, इसकी मिसाल के लिये मैं जसराने, जिला मैनपुरी की मुस्तफाबाद की रोड को बतलाऊंगा कि उसकी दशा खराब है। कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे बड़े-बड़े शहर वहीं पर हमारे निर्माण विभाग का ध्यान ज्यादा गया है, क्योंकि वहां हमारे मंत्री साहबान को या बड़े-बड़े अफसरान को अक्सर दौरे के मौके रहते हैं।

लेकिन जो पिछड़े किस्म के शहर हैं या पिछड़े किस्म के जिले हैं उनकी तरफ हमारे निर्माण विभाग का ध्यान कम गया है। इन पिछड़े हुए जिलों में मैं मैनपुरी और एटा का नाम लूंगा। वहाँ पर यह हालत है, जैसा कि मिसाल के लिये मैं बतलाऊंगा, कि मुस्तफाबाद से अवागढ़ तक सड़क की इतनी ज्यादा जरूरत है कि बरसात के दिनों में वहाँ आने जाने के रास्ते बिलकुल बन्द हो जाते हैं। वह एरिया कुछ नशेब में भी है जिसकी वजह से लोगों के आने जाने में कतई मुश्किल हो जाती है। बार बार सरकार के निर्माण विभाग से कोशिश की गयी कि वहाँ पर कोई सड़क बने, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई आमदोरफ्त का रास्ता नहीं बन पाया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार बहुत रुपया फजूल की स्कीमों पर बरबाद करती है और सही निर्माण की जो चीजें हैं उनकी तरफ कम ध्यान देती है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपने जिले मुजफ्फरनगर की स्थिति के संबंध में कुछ रखना चाहता हूं। मैंने इस अनुदान तथा मदों को अच्छी प्रकार से पढ़ा। मैं अपने निर्माण मंत्री महोदय की सराहना कहता हूं कि उन्होंने इन मदों में पक्की सड़कों और दूसरी कच्ची सड़कों के निर्माण में बहुत देख-भाल कर और बड़ी तत्परता से कार्य किया है परन्तु कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके बारे में माननीय निर्माण मंत्री महोदय को, संभव है, ज्ञात न हुआ हो, यह तीन प्रकार से हो सकता है। या तो हमारे मंत्री महोदय किसी स्थान पर पहुंच जायं, या वहाँ के एम० एल० ए० या जिन पर उत्तरदायित्व है वे यहाँ जनता की आवाज को पहुंचायें या वहाँ के सरकारी कर्मचारी इन बातों की सूचना दें। लेकिन मैं समझता हूं कि मुजफ्फरनगर जिले में खासतौर से पश्चिम की दो तहसीलें बुढ़ाना और कैराना के संबंध में कोई बात ज्ञात नहीं हो सकी कि वहाँ की सड़कों के बारे में कोई बात यहाँ पहुंचाई गयी हो। आपके सामने मैं इन सड़कों के संबंध में प्रार्थना करना चाहता हूं। तहसील बुढ़ाना के आस-

[श्री श्रीचन्द]

पास जितनी सड़कें गई हुई हैं वे कच्ची सड़कें हैं। वहाँ आना जाना नितांत असंभव हो जाता है और विशेषतया बरसात के मौसम में इन सड़कों पर चलना और आना जाना एक बड़ी कठिन समस्या है। जो भाई वहाँ पर कभी पहुंचे हों उनको ज्ञात होगा कि वहाँ तहसील होते हुए भी यदि तहसीलदार साहब तहसील का दौरा करते हैं तो उनको कसबा लाँघना तक, जो वहाँ से १२ मील के फासले पर है, पहुंचने में कम से कम ६०, ६५ मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है और इस प्रकार दो तीन दिन लग जाते हैं। एक सड़क मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना तक गयी है, वह कुछ पक्की बन गयी है और कुछ कच्ची शेष है। दूसरी सड़क वहाँ से शामली तक गयी है जो तहसील कैराना की सड़क है। तीसरी सड़क बुढ़ाना से कैराना को गयी है जो तहसील कैराना और बुढ़ाना दोनों की सड़क है। इस सड़क की बड़ी दुर्दशा है। यहाँ तक कि गर्मियों के मौसम में भी इतना रेत रहता है कि किसी गाड़ी या मोटर कार को ले जाना एक कठोर समस्या है।

चौथी एक और सड़क है जो खतौली को जाती है। जब उन सड़कों की यह दशा है कि आना जाना बड़ा दूभर है और इनके कारण कस्बे की दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि तहसील बुढ़ाना और तहसील कैराना हमारी सरकार के उत्तम सहयोगियों में सर्वप्रथम रही हैं और इन तहसीलों में ९० और ९५ प्रतिशत से अधिक दस गुना जमा किया है। मेरे विचार से इतना अधिक दसगुना हमारे प्रदेश में किसी भी जिले में नहीं आया है। फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह दशा होते हुए भी वहाँ की सड़कों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं अपने आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी बजट के दौरान में इन सड़कों को भी सम्मिलित कर लिया जाय जिससे बुढ़ाना की दिन पर दिन गिरती हुई दशा ठीक हो जाय। मैं देखता हूं कि वहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं या व्यापारी हैं वे दिन पर दिन वहाँ से भाग रहे हैं और इस कस्बे की दशा बड़ी बुरी होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त एक और सड़क है और यह सड़क दिल्ली से सहारनपुर तक गयी है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ के जिलों में होकर गुजरती है। इस सड़क पर बहुत से बड़े बड़े गाँव मौजूद हैं जिनकी आबादी की संख्या १२ से १५ हजार तक है और बहुत सी गुड़ शक्कर, तथा अन्न की बड़ी बड़ी व्यापारिक मंडियाँ हैं। मैं समझता हूं कि इतनी आबादी के तो बहुत से शहर भी इस प्रदेश में नहीं होंगे। यातायात न होने के कारण उन्नतिशील इन गाँवों की उन्नति में बड़ी बाधा पड़ रही है और दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहे हैं।

अन्त में मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करूंगा मेरे एक भाई ने लंकी ब्रिज का जिक्र किया। मैं एक और ब्रिज का, जिसको मैं टाइगर ब्रिज कह सकता हूं जिक्र करता हूं। यह पुल भी बुढ़ाना के पास हिण्डन नदी पर ही है। कई साल से अधूरा पड़ा है। देखने में बड़ा भयानक मालूम होता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार ने उसे अधूरा क्यों छोड़ दिया है कि जिसका बनाना अत्यन्त आवश्यक था। मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि जितना शीघ्र हो सके इस पुल को और इन सड़कों के बनाने का प्रयत्न कीजिए और मैं आशा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से अब तक सरकार का साथ दिया है उससे कहीं अधिक आगे साथ देगी। कभी अवसर मिले तो हम दिखाना चाहते हैं कि बुढ़ाने की क्या दशा है और वहाँ की जनता को कितना कष्ट है।

मैं यही देख रहा हूं कि मेरे भाई कभी पश्चिम का जिक्र करते हैं, कभी पूर्व का जिक्र करते हैं और कभी पहाड़ी क्षेत्र का। मेरे विचार में यह चीज ठीक नहीं है।

जितने हमारे माननीय प्रतिनिधि चुन कर आये हैं उनके लिये प्रत्येक जिला, प्रत्येक विभाग बराबर है। हाँ, यह अवश्य ही है कि जिस स्थान पर सहायता देने की आवश्यकता है वहाँ पर सहायता और निर्माण कार्य किये जायं और उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाय। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के विचार यहाँ नहीं प्रकट किये जायेंगे क्योंकि यदि हम इस प्रकार का जिक्र करेंगे तो हमें बड़ी शंका और भय है कि आगे चल कर यह दुःखदायी सिद्ध न हो जायें।

राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)––महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपकी कृपा से मुझे यह अवसर मिला कि मैं भी इस अनुदान पर सरकार का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करूं। मेरा जिला एक बदकिस्मत जिला है। जिस जमाने में पश्चिमी जिलों की प्रगति हो रही थी, सरकार का ध्यान जिस जमाने में पश्चिमी जिलों की तरफ था, गोंडा जिला एक ऐसा जिला था कि जो पूर्वी जिलों में शामिल किया जाता था और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब जब कि गवर्नमेंट की पूर्वी जिलों की ओर कृपादृष्टि हुई और सरकार उधर उन्नति करने लगी तो मैं देखता हूं कि अब गोंडा जिला पश्चिमी जिलों में गिना जाने लगा है। वह बदकिस्मत जिला ऐसा है वह न इधर का रहा और न उधर का रहा।

श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गोंडा ऐसा जिला है जहाँ धान की पैदावार इतनी होती थी कि सारे देश को और विशेषकर आपके प्रान्त के लिये काफी पैदावार होती थी और सारे प्रान्त में बंटती थी। गोंडा जिले के अन्दर एक परगना मनकापुर है। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक ऐसा सब–डिवीजन है कि वहाँ एक मील भी पक्की सड़क नहीं है। सरकार की कृपा गोंडे जिले की तरफ हुई थी और हम लोगों को भी आशा हुई थी कि इस जिले की उन्नति होने वाली है और सड़कों का काम शुरू हुआ, लेकिन ढिलाई आ गयी और काम बिलकुल रुक गया, रुक ही नहीं गया बल्कि दो साल से ऐसी बात हो गयी है कि अभी यह तय नहीं होता रहा है कि सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जायंगी या प्रान्तीय गवर्नमेंट के पास रहेंगी। जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास गये तो यह कहा जाता रहा कि अभी हमें चार्ज (प्रभार) नहीं मिला है और जब पी० डब्लू० डी० का ध्यान आकर्षित कराते रहे तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास हुक्मनामा आया है कि काम रोक दिया जाय। पता नहीं यह सार्वजनिक निर्माण विभाग में रहेंगी या जिला बोर्ड के पास जायेंगी।

मेरी समझ में नहीं आता है कि दो साल बीत गये और सरकार का बहुत सा धन बेकार गया। मिट्टी दो साल से पड़ी है और खराब हो रही है और उसका बहुत सा हिस्सा तो बह चला है। लेकिन अभी तक इनके भाग्य का निर्णय नहीं हो सका है कि यह सड़कें किसकी संरक्षता में जायेंगी। गवर्नमेंट का इसमें काफी रुपया व्यय हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि अब इसका जल्द से जल्द निर्णय किया जायगा।

गोंडा जिले में मनकापुर सब–डिवीजन ऐसा है जिसका जिले से पक्की सड़क का संबंध नहीं है। आज कोई मुसीबत आ जाय तो कोई अहलकार या पुलिसवाले मदद के लिये नहीं पहुंच सकते हैं। एक सड़क दर्जीपुर की मनकापुर में है उस पर कुछ दिन पहले काम हुआ था। हमें आशा थी कि अधिक काम होगा। लेकिन मालूम हुआ कि सरकार की निगाहों में उसकी अहमियत नहीं है। वहाँ पक्की सड़क के नाम से केवल दो मील की पक्की सड़क कही जा सकती है वह कस्बे से हो कर स्टेशन को जाती है। नाम के लिये वह पक्की सड़क है लेकिन याददाश्त के लिये रहेगी। वहाँ जो लोग पैदल चलने वाले हैं वह उनको याद करते हैं कि किसी जमाने में यह पक्की सड़क रही होगी और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वहाँ बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। इसके लिये मैंने

[राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह]
और सारे लोगों ने प्रार्थना की कि इस सड़क की मरम्मत होनी चाहिये लेकिन अभी तक विशेष कृपा नहीं हुई है। मैं आपकी कृपा से उम्मीद करूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ताकि यह सड़क जो कस्बे से स्टेशन जाती है इस लायक हो जाय कि आदमी उसमें सीना उठा कर चल सकें वर्ना आजकल तो पैरों की तरफ देखकर चलना पड़ता है कि कहीं गड्ढे में न गिर जायं। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो अनुदान पेश है उसके बारे में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। माननीय निर्माण मंत्री जी ने बड़ी कृपा करके इस अनुदान को बनाया है जिससे हमारे प्रान्त के लोगों को विशेष फायदा होगा। इसी के बारे में चन्द शब्द मैं आपके सामने आपके द्वारा कह कर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सर्वप्रथम इस विभाग के बारे में मुझे यह शब्द कहने हैं कि हमारे देहात में एक फल होता है 'माहर' जो बहुत लाल होता है, जिस तरह से अध्यक्ष महोदय की मेज पर लाल रोशनी होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि उस लाल माहर में 'जहर' होता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यह हमारे निर्माण मंत्री के हाथ में है, कि किस तरह से उसको ठीक करेंगे, किस तिरह से उसमें से जहर निकाल कर मिठास डालेंगे।

मैंने पत्रों को देखा। कल के पत्र में यह प्रकट हुआ कि हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो विचार प्रकट किये इस विभाग के बारे में उनसे साफ साफ जाहिर होता है कि कोई भी काम जो इस विभाग के द्वारा किया जाय वह ऐसी जगहों पर किया जाय जहाँ के लोग इस विभाग को न जानते हों। देहात के कोने में करिये कि जहाँ लोग यह न समझते हों कि सड़क किस चिड़िया का नाम है। जो सचमुच पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर करिये। हमारे देश के निवासी किसके ऊपर निर्भर करते हैं। वह किसानों का जमघट है जिनसे हम पैसा ले कर सारे काम को चलाते हैं। अगर हम उनके लिये कुछ नहीं करते हैं तो हमारा सारा पैसा, सारा परिश्रम बेकार हो जाता है, । जो कुछ हम करते हैं तो वहाँ करते हैं जहाँ पर मोटरें आसानी से जा सकें, सड़क पर जरा ऊंची-नीची जमीन न होनी चाहिये मोटर में जरा सा धक्का न लगना चाहिये। इस तरफ हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि मेरे जिले की सड़कें बनवा दी जायं या पुल बनवा दिये जायं। मेरे माननीय सदस्यों ने बराबर अपने जिलों की ओर निगाह डाली, माननीय मंत्री जी की निगाह उस ओर ले गये। मैं तो केवल इतना कहूंगा जहाँ पर आप महसूस करें, जहाँ पर आप जरूरत समझें उन जिलों की ओर आपको विशेष तौर से निगाह डालनी चाहिये। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे जिले हैं जिनकी अवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, जो बहुत पीछे हैं उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मेरा बस्ती जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इतना ही नहीं यह भी सदन के सामने प्रकट कर देना चाहता हूं कि मेरे जिले की आबादी भी आपके सामने है। वहाँ २५ लाख की आबादी है। आपके प्रान्त में सबसे बड़ा जिला है लेकिन खैर मैं अधिक बातें नहीं कहूंगा कि आपने क्या किया। जो कुछ आपने किया वह जनता की भलाई देखते हुए किया और अपने काम को आगे बढ़ाया। खैर, अब तो मुझे यही निवेदन करना है कि देहातों की तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। अगर आपको किसानों की भलाई करनी है, मजदूरों की भलाई करनी है जिनसे हमें जिन्दा रहना है, जिनके ऊपर हमारा सारा भार है, जिनसे हमें सारी शक्ति लेनी है, अगर उनके लिये हम कदम उठा कर नहीं चलते हैं तो हम जनता के सामने क्या जवाब देंगे, यह हमारे सामने एक समस्या है। अगर उस समस्या को हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी अब हर समय यह विचार रखेंगे और उधर अपनी निगाह डालेंगे और अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे।

माननीय मंत्री जी ने अभी उन गलतियों को जो उनके सामने आई हैं उनको भी महसूस किया है। हमने भी देखा कि उन गलतियों के बार बार कहने से कोई विशेष फायदा नहीं। हमारे विरोधी दल के भाई कभी कभी कहा करते हैं कि बड़ी बुराइयाँ हैं, बुरा तो हम कहते हैं, लेकिन उन बुराइयों की तरफ हमें विशेषतौर से सोचना है कि उनको किस तरह से दूर करें। कहना बड़ा आसान होता है। किसी मकान को जला देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके निर्माण में कठिनाई होती है। उसमें कितना वक्त लगता है। कोई लड़का बिगड़ गया तो बाप को उसके सुधारने में कितना वक्त लग जाता है, इन बातों की तरफ हमें निगाह डालनी है।

आप जानते हैं कि जिस समय अंग्रेजों का शासन बदला और हुकूमत आपके हाथ में आई तो यहाँ पर शासन करने वाले जो लोग थे उनके चालचलन के बारे में आप बहुत नहीं जानते थे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कुछ नाम ऐसा है जिससे सहानुभूति हो सकती है लेकिन वजह यह है कि पिछला जमाना ऐसा था जिसका इतिहास ऐसा रहा है जिसमें पब्लिक सर्वेन्ट्स का नाम सुनने से कुछ घबराहट होती है। सबसे पहले मैं दो-एक बातें अर्ज करना चाहता हूं अपने बुजुर्ग माननीय हाफिज साहब की खिदमत में। माननीय हाफिज साहब ने फरमाया था कि यह डिपार्टमेंट जो है उसमें कोई आदमी उनको ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके ईमान में उनको कुछ शुबहा हो, जिसके काम पर उनको शुबहा हो और अगर कोई खास बात उनके सामने लाई जाय तो फिर वह गौर कर सकते हैं लेकिन मैं उनके चन्द अल्फाज जो उन्होंने पिछले साल इसी भवन में कहे थे आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि--

"मैंने जो मुबाहिसा इस ऐवान में कल हुआ उसको सुना और यह समझा कि वह एक बहुत सबक सिखाने वाला मुबाहिसा था जिससे किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी (आत्मसम्मान वाले) को जरूर एक सबक ले लेना है। मैं जनाब के जरिये से ऐवान के उन मेम्बरान को जिन्होंने उस मुबाहिसे में हिस्सा लिया यह यकीन दिलाता हूं कि एक खुद्दार और सेल्फ रेस्पेक्टिंग इन्सान को जो सबक उससे लेना चाहिए वह मैंने लिया और मैं इस उत्तर प्रदेश की यह बदकिस्मती समझता हूं कि इस वक्त तक यह निर्माण कार्य, यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक ऐसे नाकाबिल इन्सान के हाथ में रहा कि उसकी बदौलत यह इस अन्जाम को पहुंचा जिसकी तस्वीर कल यहां खींची गई। मैं कोशिश करूंगा कि और दुआ भी करता हूं कि जल्द से जल्द एक बहुत अच्छा मेम्बरान को खुश करने वाला और जो उनकी मन्शा के मुताबिक इस सूबे के निर्माण को कर दे ऐसा मिनिस्टर हासिल हो जाय। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस सूबे को ऐसा मिनिस्टर मयस्सर हो"

इसके विषय में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि मैं उस डिपार्टमेंट के लिये कुछ कहूं। यह मैं जरूर जाहिर करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में भी ईमानदार आदमी हैं और इतने ईमानदार आदमी हैं कि जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। रार्शनिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के आदमियों की ईमानदारी का जब मैं जिक्र सुनता हूं कि ईमानदार आदमी हैं तो मैं उसके सामने झुक जाता हूं। तो मैं ऐसा जरूर समझता हूं कि ईमानदार आदमी हैं लेकिन मैं एक बात हाफिज साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जमाने में इन ईमानदार आदमियों की कितनी क़दर की? अगर उन्होंने अपने जमाने में इन ईमानदार आदमियों की क़दर की होती तो जो लोग ईमानदारी से नफरत करने वाले हैं उनको कुछ सजा मिली होती। मैं यह सबसे बड़ा कसूर समझता हूं और यह बड़ा अपराध है किसी हुकूमत का कि जब वह अपने ईमानदार नौकरों की तारीफ न करे और ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा तारीफ करे जो समाज को बदनाम करते हैं। इसमें अन्तर रखना चाहिए अपने ईमानदार नौकरों का

[श्री गेंदा सिंह]

और ऐसे लोगों का जो ईमानदारी से नफरत करते हों और दुश्मनी करते हों। मैं एक बात का हाफिज साहब को यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने मस्टर रोल की बात कही कि मिस्टर रोल फर्जी तैयार कराये नहीं जाते हैं, ४–५ साल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम करने के बाद उन्होंने ऐसी बात कही जिससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मस्टर रोल फर्जी बनते हैं और आज भी बनते हैं और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि रुपये को डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर को बांटना होता है और ऐसे नाम होते हैं जो फर्जी होते हैं। इस तरह का मस्टर रोल जितनी गड़बड़ी और बड़े बड़े मामलों का ताल्लुक है . . . . ।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे मित्र जो बोल रहे हैं वह हाफिज जी की बात का जवाब दे रहे हैं लेकिन हाफिज जी ने जो तकरीर की थी वह तो नम्बर २ पर जो आइटम है उसके सिलसिले में थी और वह अनुदान अब खत्म हो चुका है तो मौजूदा अनुदान का उनकी उस तकरीर से क्या सम्बन्ध है? इस तरफ मैं उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने विषय को समझाने का प्रस्ताव कर रहे हैं वह कृपा करके भवन के सम्मुख जो अनुदान है उस पर ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा, पब्लिक वर्क्स विभाग के लिये ही कहा कि उसकी यह हालत है और यह खराबियां हैं। एक तरफ से सबको बेईमान कहना मुनासिब नहीं है। मैं सड़कों की हालत के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। देवरिया का जिक्र मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहां की जाती जानकारी है, वह सड़कें जो नेशनल हाई वेज कही जाती हैं उस पर कुछ पुलों की जरूरत है लेकिन उस काम को बन्द कर दिया गया है लेकिन एक सड़क जो बिहार से मिलने वाली सड़क बतलाई जाती है इसलिये उसकी योजना उसमें है।

मैं माननीय निर्माण मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह बात नहीं है कि वहां पर डाक्टर सैयद महमूद साहब की छावनी है और जब पिछले वर्ष उन्होंने सैकड़ों किसानों को वहां से उजाड़ा था तो उस पर वहां एक सत्याग्रह चला था और वह झगड़ा आजतक चलता है। वह कौन सी बिहार की जगह है जहां से सड़क मिलाई जा रही है और उसका कौन सा ऐसा महत्व है जो उस सड़क के बनाने के लिये और सड़कों को रोका जा रहा है जब कि आज बहुत सी सड़कों के किनारे बहुत सा कीमती सामान पड़ा है और हानि हो रही है जो तीन चार साल से पड़ी है उन को नहीं लिया जा रहा है और इस तरह की सड़क को लिया जा रहा है।

श्री मुहम्मद अली खां (जिला बदायूं)—जनाबवाला, अंग्रेज को इस मुल्क से गये हुये अभी थोड़े ही दिन हुए हैं और हम अभी यह भी तवक्को नहीं कर सकते कि हमारी जिन्दगी के मुख्तलिफ पहलुओं को जिस तरह से वह खराब कर गये हैं वह थोड़े ही वक्त में दुरुस्त हो सकते हैं। सड़कें जो उस जमाने में बनीं उनको बनाने का मक़सद जो उस वक्त उनके पेशे नजर था, वह जुदागाना था और वह ऐसे मुकामात पर तैयार की गई हैं कि जहां पर उनकी फौजें वगैरह ले जाने में आसानी थी ताकि वह अपनी हुकूमत को ज्यादा अर्से तक इस मुल्क में जिन्दा रख सकते। वह सड़कें उस जमाने में कायम नहीं हुईं कि जिनके कायम होने से मुल्क की तिजारत की तरक्की होती और जिन्दगी के हर शोबे में तरक्की होती और हर तरह की सहूलियत अवाम को होती। लेकिन आज जब कि कांग्रेस की हुकूमत है और जब कि यह हुकूमत जनता के वोट से यहां पर आई है और एक पापुलर (लोकप्रिय) हुकूमत है और एक जम्हूरियत निजाम यहां पर कायम है और हम कबूल कर चुके हैं कि हमें यहां के लोगों की जिन्दगी के मियार को बुलन्द बनाना है तो हमें हर एक तरीक़े अख्तियार करने चाहिए कि जिससे इन्सानी जिन्दगी का हर पहलू ऊंचा उठे।

मैं जिस कांस्टीट्यूएंसी से आया हूं वहां के कुछ हालात इस सिलसिले में अर्ज करूंगा। मैं इस सदन का मेम्बर होने की जीस्त आज हासिल कर रहा हूं बहैसियत एक कांग्रेस मेम्बर के। लेकिन जब मैं कांग्रेस सूबा कमेटी के सिलसिले में यहां आता था तो मैं जनाब कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की थी कि सहसवान से जो सड़क गुन्नौर को जाती है वह कच्ची है और वह उस इलाके से गुजरती है जिस पर जाने का और कोई जरिया नहीं है। लिहाजा अगर उस सड़क को तामीर करा दिया जाय जिसका कि फासला सिर्फ २२ मील का है क्योंकि ६ मील तो स्टेशन तक जहां से रेल गुजरती है नोटीफाइड एरिया ने पुख्ता करा दी है, तो बदायूं के लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। हमको दिखाया गया था कि ५ साल वाले प्लान में यह चीज मौजूद है। लेकिन यह ख्वाब अभी पूरा नहीं हो पाया है। आज तक वह सड़क बनी नहीं है। उस पर मिट्टी पड़ चुकी है। अगर यह सड़क पूरी कर दी जाय तो पश्चिमी कांस्टीट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं उनकी जिन्दगी सुधर जायेगी और दिल्ली का रास्ता खुल जायगा। अलीगढ़ और बुलन्द शहर जाने के लिये हमें सारी सहूलियतें पैदा हो जायेंगी।

अब हमारे लिये कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि गुन्नौर और सहसवान के रहने वाले अपनी गाढ़ी कमाई से पैदा की हुई चीजों को उझानी के बाजार में ले जावें और वहां के सरमायादारों को उनकी शरायत के मुताबिक बेचने पर मजबूर हों। बरसात के मौसम में तो सारा रास्ता बन्द हो जाता है और बड़ी ही तकलीफ लोगों को होती है। आज दो सौ तीन सौ बरस हुए दुनिया से मोनोपली (एकाधिकार) खत्म हो गई और इंगलैन्ड में तो क्वीन एलीजाबेथ के जमाने में ही हो गई थी लेकिन आज क्यों सहसवान की जनता को मजबूर किया जाता है कि वह अपना माल उझानी के लोगों को ही बेंच सकें? बदायूं और बुलन्दशहर की सरहद पर गंगा गुजरती है वहां हरी बाबा ने एक बन्द बना दिया था जिससे लोग पानी से तबाह होने से काफी हद तक बच गये थे। अंग्रेज के जमाने में भी वहां एक बन्द था लेकिन अब वह तबाह हो चुका है। बाबा जी के बन्द में कहीं कहीं खराबियां आ गई हैं। लिहाजा मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ मबजूल करूंगा कि हमारी इन दो जरूरियात को पेशेनजर रखें। एक तो बन्द की मरम्मत हो जाय और दूसरे एक सड़क बना दी जाय ताकि हमारे यहां के लोगों को भी सरकार का शुक्रगुजार होने का मौका मिल सके। इससे हमारे यहाँ के लोग महसूस करेंगे कि अंग्रेज के जमाने में हमारी दशा खराब थी लेकिन अब अच्छी हो रही है और हमारी सरकार जो कि अब अपनी ही है वह हमारा खयाल रखती है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय निर्माण मन्त्री जी मेरी बातों पर गौर फरमावेंगे।

निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में इतनी दिलचस्पी ली। यातायात का मसला दरअसल ऐसा है जिससे सबकी जिन्दगी का ताल्लुक है। और इससे माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है, यह स्वाभाविक ही है। यह मौजूदा ग्रांट नेशनल हाईवेज के लिये है। हमारे प्रदेश में जो सड़कें हैं वे चार तरह की हैं। १. नेशनल हाईवेज, ये सड़कें एक सूबे से दूसरे सूबे को जाती हैं। २. प्राविंशियल सड़कें, ३. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ४. छोटे जिलों की सड़कें और गांव की सड़कें। तो इस ग्रान्ट का ताल्लुक नेशनल हाईवेज से है। अच्छा होता कि नेशनल हाई वेज पर ही वादविवाद होता लेकिन माननीय सदस्यों में से सबने ग्रान्ट २१ पर ही वाद विवाद किया है। इसलिये मैं भी उन्हीं बातों का जवाब दूंगा जो बहस में कही गई हैं। मैंने यह अर्ज किया यह रोड्स का मसला सोशल सर्विस का मसला है। इसको फर्स्ट प्रायरिटी (प्राथमिकता) मिलनी चाहिए। यह मत एक बहुत बड़े आदमी का है। न तो आपको शिक्षा उन्नति के तरीके ही काम दे सकते हैं न और कोई जब तक कि यातायात के साधन अच्छे न हों और इसकी जरूरत आज के वादविवाद से ही साबित हो जाती है। आज माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की चर्चा की। मैं मानता हूं कि उनकी वहां जरूरत

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

है। लेकिन आपकी आमदनी लिमिटेड (परिमित) है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में सड़कों के मामलों में बहुत कम पैसा खर्च होता है लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई तब से इस विभाग का काफी खर्चा बढ़ गया है।

माननीय सदस्यों ने अपने अपने जिलों की बातें कहीं, मैं मानता हूं कि सब जगह उनकी जरूरत है खासतौर से कटौती के प्रस्ताव के जो प्रस्तावक हैं उन्होंने टिहरी-गढ़वाल की बात कही। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि और वहां के राजवंश से उनका ताल्लुक होने से उनको यह मालूम होगा कि टिहरी गढ़वाल की एक खास स्थिति है, समस्या है। उन्हें ज्ञात होगा कि वहां कि सड़कें कितनी मुश्किल से बनाई जाती हैं और कितनी सड़कें वहां पहले बनाई गई थीं। उन्होंने कहा कि टिहरी-गढ़वाल के लिये कोई रुपया नहीं रखा गया है। जहां तक और सड़कों का ताल्लुक है वहां कोई नेशनल हाईवेज नहीं हैं। जहां तक और सड़कों का ताल्लुक है मैं अर्ज करूं कि टिहरी में ४ लाख ८० हजार रुपया और गढ़वाल के लिये ८ लाख रुपया गया है। मैं इस समय जिलेवार ब्योरा तो नहीं दे सकता, लेकिन माननीय सदस्य माननीय निर्माण मन्त्री के कमरे में जाकर देख सकते हैं कि हर जिले के लिये कुछ न कुछ रखा गया है। मेटिल रोड्स बनाने के लिये ३०० मील का प्राविजन (उपबन्ध) किया गया है, सीमेंट कंकरीट रोड बनाने के लिये १०० मील का, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स तथा विलेज रोड्स को, जो अनमेटिल्ड होंगी उनका ६०० मील का प्राविजन है।

२१ मार्च सन् १९५२ तक जो काम हुआ है उसमें ३१७ मील मेटिल्ड रोड्स बनाई गई हैं, १५५४ मील पर मिट्टी डाली गयी है, उन सड़कों का रिकांस्ट्रक्शन (पुनर्निर्माण) हुआ है जो बिल्कुल खराब हो गई थीं। डिस्ट्रिक्ट में जो सड़कें थीं उनका ज्यादा खयाल किया गया। उनमें २०८७ मील सड़कें रिकांस्ट्रक्ट की गयीं यानी जो पक्की सड़कें प्रान्तीय सरकार की थीं उनके समतल की बनाई गयीं। इसी तरह से अनमेटिल्ड रोड्स ४५९१ मील बनायी गयीं। पहले भी कुछ सज्जनों ने कहा था, खास तौर से अल्मोड़ा की बाबत माननीय सदस्य से कहूं कि वह ग्रान्ट तो चला गया है लेकिन जो कुछ खर्च हुआ है उसी बाबत कहता हूं कि उसके लिये भी इस बजट में प्राविजन है। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि पहले भी तमाम काम हुए और आगे भी काफी काम रखे गये हैं लेकिन सवाल है फाइनेन्स का। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड (साधन परिमित) हैं और गवर्नमेंट उसी फाइनेन्स में काम कर सकती है। मैं यह भी नहीं कहता कि देहाती सड़कों की तरफ तवज्जह न दी जाय शहरों की सड़कों की तरफ तवज्जह दी जाय। जैसा कि माननीय हाफिज जी ने बतलाया कि शहरों की सड़कें तो दरअसल म्युनिसिपैलिटियों के हाथों में हैं। जो सड़कें बनानी हैं वह देहातों के ही लिये बनानी हैं। लेकिन सवाल यह हो सकता है कि जो सड़कें देहातों की ज्यादा सेवा करेंगी उनकी तरफ पहले ध्यान दिया जाय और ऐसा किया जायगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सड़कों का भी एक फार्मूला है, सड़कें बनाने के लिये भी एक प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) है कि सड़कें ऐसी होनी चाहिएं कि वे शौकिया न बनायी जायं। जो फार्मूला चीफ इन्जीनियर ने बनाया था, वह मैं बतलाना चाहता हूं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि सभी देश अपनी सड़कों के लिये कुछ न कुछ टैक्स देते हैं और वे जिनमें सड़क है देते ही हैं जिनमें सड़क नहीं है वे भी देते हैं। जहां सड़कें नहीं होती हैं वे भी टैक्स देते हैं और ज्यादा देते हैं। इसका क्या माने हुआ। इसका माने यह है कि देश को नुकसान होता है अगर किसान की पैदावार न हो तो इससे देश का नुकसान है।

एक माननीय सदस्य ने हमारी पालिसी के बारे में पं० जवाहर लाल जी नेहरू का नाम लिया था और कहा था कि उनकी यह पालिसी है। कांग्रेस की जो नीति है वही पं० जवाहर लाल नेहरू की भी है और हम भी समझते हैं कि कांग्रेस की नीति क्या है और आज उसी नीति पर हम चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा प्रोग्राम उसी तरफ जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि वे लोग माननीय निर्माण मन्त्री जी के कमरे में जाकर अपने जिले का पूरा प्रोग्राम देख लें और उसके बाद जो उनके सजेशन्स हों दे दें। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह राष्ट्रीय सम्पति है और इसे आप भी चाहेंगे कि जिससे देश का

ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उसी तरफ ज्यादा व्यय किया जाय। मैं अर्ज करूंगा कि जो सड़कें हमने ली हैं उनमें बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो आधी आधी ही बनी पड़ी हैं। बहुतों के काम रुपये में चौदह आने पन्द्रह आने तक खत्म हो गये हैं तो क्या आप इस बात को उचित नहीं समझते हैं कि पहले उन सड़कों को पूरा कर लिया जाय जिससे रुपये का वेस्टेज (अपव्यय) न हो जो कि उनमें सरकार का लगा हुआ है इसलिये हमने आगे जो प्रोग्राम बनाया है उसमें इस बात का खयाल रखा है कि पहले ऐसी सड़कें बना दी जांय। पहले तो हमने मेटल्ड रोड को रखा है और फिर जिन पर अर्थ वर्किंग हुआ है उनको रखा है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो कुछ जितने भी सजेशन्स दिये गये हैं वे सहर्ष स्वीकार किये जायेंगे। क्योंकि माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि जहां तक रोड्स का ताल्लुक है उसमें कोई पोलीटिकल पार्टी (राजनीतिक दल) बाधक नहीं होती।

कोई भी उसमें राजनीतिक पार्टियों का दाँवपेच नहीं होना चाहिये और न होते हैं। तो जहाँ तक देश के निर्माण का ताल्लुक है, और खास तौर से सड़कों का ताल्लुक है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार और माननीय निर्माण मंत्री इसके लिये पूरी पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों की मदद से इस विभाग में काम करेंगे। हमारे एक माननीय सदस्य ने माननीय हाफिज जी की बाबत कुछ जिक्र किया था जैसा कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री ने भी बतलाया कि वह चीज यहाँ मौजूं नहीं थी कि हाफिज जी ने इतने दिनों में जिस खूबी के साथ काम करना चाहिये था नहीं किया। ऐसी बातों को यहाँ पर न कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं सूचना के तौर पर माननीय सचिव से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बतलावेंगे कि कितनी मेटल्ड रोड्स और कितनी अनमेटल्ड रोड्स पिछले साल बनीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पाम्फलेट निकाला गया है लेकिन माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल कर दिया उनकी एक गलतफहमी है उसका जिक्र मैंने अपनी पहली स्पीच में किया था, लेकिन फिर बताये देता हूं कि १९५० में ८५० माइल्स कंसालिडेटेड (संहत) हुई थी और अब आज कम्प्लीट कन्सालिडेटेड (संहत) रोड १०५० माइल्स हैं। कच्चे १९४९-५० में ६०३ माइल्स थे लेकिन अब बढ़कर ८३२ माइल्स हो गये हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, उपमंत्री जी के भाषण को सुनकर कुछ तो संतोष हुआ, किन्तु एक विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा जो मुख्य प्रश्न था वह यह था कि क्या लखनऊ में बैठी हुई सरकार भी शास्त्री जी के साथ पूरी तौर से सहमत है, यानी क्या निर्माण मंत्री जी भी यही सोचते हैं कि गढ़वाल की सड़कों में कोई भी सड़क आगामी पाँच वर्षों के दौरान में ऐसी न मानी जायगी जो कि कोई महत्व रखनेवाली हो। शास्त्री जी के भाषण में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि पाँच वर्षों तक कोई भी सड़क ऐसी नहीं ली जा सकती। हमारी प्रार्थना यह है कि माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करें कि क्या उनका भी यही विचार है। माननीय भूपाल सिंह जी खाती ने कुछ कहा था। खाती जी की इच्छा थी कि हम सब्र करें। हम सब्र करने को तैयार हैं। हम माननीय मंत्री जी की कठिनाइयों को महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह आशा की जाती है कि पाँच वर्ष तक हम मुंह ही देखते रहें।

भूपाल सिंह खाती जी ने यह भी कहा कि टेहरी-गढ़वाल में बहुत उन्नति हुई। मैंने अपने भाषण में यह कभी नहीं कहा कि टेहरी-गढ़वाल में कुछ भी उन्नति नहीं हुई। मैंने तो महामान्य राज्यपाल के भाषण के समय ही अपनी कृतज्ञता प्रगट कर दी थी। किन्तु इस विषय में यह कहूंगा कि यह कभी न भूला जाय कि एक जंजीर की मजबूती

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

उतनी ही मानी जा सकती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी की हो। भले ही आप पचास जिलों को उन्नतिशील बनाइये, किन्तु यदि आपकी इस उत्तर प्रदेश की ५१ कड़ियों की जंजीर में एक भी कमजोर कड़ी रह जायगी तो आप अपने प्रान्त को बलवान् और उन्नतिशील कभी न कर पायेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि क्या उनकी यही राय है कि पाँच साल तक टेहरी-गढ़वाल मुंह ही देखता रहे।

उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---माननीय मंत्री का उत्तर सुनने के बाद मैं निश्चय करूंगा।

उपाध्यक्ष---उन्हें उत्तर देने के लिये मजबूर तो नहीं किया जा सकता।

श्री गिरधारी लाल---माननीय अध्यक्ष, मुझे यही कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टेहरी-गढ़वाल में कोई तरक्की का काम रोक रखा जाय। जैसा कि अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने आपके सामने कहा, जिस वक्त हमने इन रियासतों को लिया, जिसमें टेहरी-गढ़वाल भी शामिल है उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसको देखते हुए इतना रुपया वहाँ के लिये रखा गया है और उसके जरिये ५२-५३ में काफी काम होने जा रहा है। उसके अलावा ४० लाख रुपया रिलीफ वर्क्स के लिये भी रखा गया है जिससे सर्वे करवाना है। जिससे आगे काम शुरू किया जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---यह तो मंत्री जी व्यर्थ में कहते हैं। मैं तो पहले की कृतज्ञता जाहिर कर चुका हूं। मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या पाँच साल तक....।

उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी जो कुछ कहना चाहते थे कह चुके। उससे अधिक मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अगर आपकी लाचारी है तो मेरी उससे भी ज्यादा लाचारी है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत २३,४०,६०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्यों और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्य, स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी के लेखे के अन्तर्गत ३९,२४,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर ३८९ मतदान--अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

इस अनुदान के विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना है कि यह खर्चा जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जो कि करीब ६ करोड़ ६६ लाख १३ हजार ६ सौ का काम इस समय हमारे सूबे में कर रही है।

और इसके अलावा बहुत से वर्क्स हैं, जैसे नेशनल हाईवेज का काम और साथ ही साथ रिफ्यूजीज का जो कि १,०२,५१,४०० रुपये का काम है और इन सबका सेंट्रल चार्ज जो है वह ५.९ फीसदी आता है और जिस वक्त इस फीगर को देखते हैं और उसको पिछले टाइम्स से मिलाकर देखते हैं, तो वह बहुत कम आता है। साथ ही मैं इतना और बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो और दूसरे सूबे हैं उनको देखते हुए भी यह बहुत कम हैं। किसी और सूबे में इतनी किफायत के साथ काम नहीं किया जाता।

मैं समझता हूं कि इसके सिलसिले में और भी बहुत सी बातें कही जायंगी और कही गयीं, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो यह कि आम खयाल और दूसरे यह कि वास्तविकता, वस्तुस्थिति क्या है, हमको यह भी देखना है। जिसका जिक्र मैंने कुछ पिछले अनुदानों के सिलसिले में भी किया है, जब कि मैं बतला रहा था कि अभी तक इस विभाग ने क्या-क्या काम किया है। तो अगर हम उसका मुकाबला दूसरे सूबों के काम से करें कि उन्होंने उस समय में क्या काम किया और कितना रुपया उन्होंने केन्द्रीय सरकार से लिया जैसा कि वहाँ से मिलता है जिससे कि वह सड़कें बनायें और ज्यादा से ज्यादा निर्माण का कार्य करें, तो हमें मालूम होता है कि जितने भी सूबे थे उन्होंने अपनी स्कीमें लैन्ड प्रोग्राम के बनाने में ही सब समय नष्ट कर दिया और हमारे यहाँ से उस पूरे साल के अन्दर सब मिलाकर करीब ११ करोड़ रुपया खर्च करके सूबे के अन्दर सड़कें बनीं। जो सड़कें सन् १९४७ तक ४ हजार मील थीं उनके स्थान पर आज हमारे यहाँ साढ़े आठ हजार मील सड़कें हैं। तो यह उसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिये बनायी गयी हैं जिसके खर्चे के लिये मैंने यह अनुदान सामने रखे हैं।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

देखने में तो यह अनुदान सारे निर्माण विभाग की स्थापना के लिये है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाय तो वास्तविक निर्माण कार्यों के लिये इस अनुदान में कोई भी स्थान नहीं है। दिन-रात कोल्हू के बैल की तरह से पसीने से लथपथ काम करने वाले ३० हजार पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों का कोई जिक्र इस अनुदान में नहीं किया गया है। माननीय सचिव ने थोड़ी देर हुई, हमको यह बतलाया कि यह हाल ही न होता अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट न होता। लेकिन यह हाल केवल इंजीनियर्स के नक्शा बनाने से ही तैयार नहीं हो गया। अगर वही मिस्त्री और कुली न होते जो अपनी जान हथेली पर लेकर ऊपर इसको बनाने के लिये न चढ़ते। उनके परिश्रम और मेहनत का ही नतीजा है कि यह संभव हो गया। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन वास्तविक काम करने वालों के लिये इस अनुदान में उन्होंने क्या रखा है। क्या वह बतला सकते हैं कि इस विभाग के कितने कर्मचारी, कितने डेली लेबर, रोजाना की मजदूरी के अनुसार काम करने वाले या कितने वर्क चार्ज्ड एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन की दर क्या है? उनको रोजाना मजदूरी क्या मिलती है? उनको तो छोड़ दिया गया है, उनके भाग्य को अर्पण कर दिया गया है उन इंजीनियर्स और ओवरसियर्स के हाथ में, जो उनसे डेली लेबर के अतिरिक्त अपने घर का भी काम करवाते हैं। भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज भी आप किसी भी डिवीजन में चले जाइये, मैं देखता हूं कि हर डिवीजन में डेली लेबर (दैनिक श्रमिकों) में काम करने वाले मजदूर उनके घरों पर काम करते हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

प्राइवेट वर्क उनसे लिया जाता है लेकिन लिस्ट में नाम उनका मौजूद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उन कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो उभड़ते हुए बादलों के नीचे, वर्षा की परवाह न करके, बिना छाते के, मिट्टी से लथपथ अपने फावड़ों को लिये हुए काम करते हैं, और जिनकी जिन्दगी उसी फावड़े की तरह बिल्कुल निर्जीव हो जाती है, जिसको लेकर वे काम करते हैं। उनके लिये छुट्टी का कोई सवाल नहीं। इतवार तो वे जानते नहीं कि कब आता है। त्योहार वे जानते नहीं कि कब होता है। उनको तो टूटी सड़क पर मोटरगाड़ी पास करानी है। अगर बाढ़ आ गयी और सड़क पर पानी भर गया तो उनको यह देखना है कि किस प्रकार से सड़क बने। उनको हाँका जाता है, जिस तरह से जानवर और घोड़े हाँके जाते हैं कि आगे बढ़ो लेकिन उनकी मजदूरी के बारे में सदन में माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मजदूरी २० रुपये से २५ रुपए माहवार तक ऐवरेज बैठती है। जब कि केन्द्रीय सरकार के पी० डब्लू० डी० विभाग ने अपने मजदूरों के लिये ७० रुपये नियत कर दिये हैं, जबकि हमारे यहाँ हर मजदूर को, हर कर्मचारी को कम से कम ४५ रुपये माहवार मिलते हैं, इस विभाग में सब से कम २० या २५ रुपये महीने दिये जाते हैं और उनके लिये लीव, पेंशन या प्राविडेंट फंड का तो कोई सवाल ही नहीं है।

पी० डब्ल्यू० डी० के एक डाक बंगले में सन् १९०९ में एक आदमी काम कर रहा था। जब उसकी उम्र लगभग ७० साल की हुई और जब उसको अलग किया गया, तो पेंशन की उसके लिये कोई गुंजायश नहीं थी। एक्जिक्युटिव इंजीनियर साहब कहते रहे कि क्या करें कोई गुंजायश नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० के बड़े-बड़े बंगलों में सार्वजनिक निर्माण कार्य नहीं हुआ करता है। सार्वजनिक निर्माण कार्य सड़कों पर हुआ करता है, कठोर भूमि पर हुआ करता है और उस भूमि पर काम करने वाले के लिये झोपड़ा भी नहीं। बड़े-बड़े बंगले और इंस्पेक्शन हाउसेज बनाये जाते हैं लेकिन जो काम करने वाला है उसके रहने के लिये कोई जगह नहीं है उसके लिये वर्कमेंस कम्पेंनसेशन ऐक्ट की गुंजायश नहीं। जहाँ पर सजा का सवाल आता है तो २० रुपये पाने वाले मजदूर के ऊपर हमारे इंजीनियर और ओवरसियर दस रुपये तक जुर्माना एक ही दिन में कर देते हैं। इसकी मिसालें माननीय मंत्री जी के पास आ चुकी हैं। ऐसा भी होता है कि बीस साल से काम करने वाला मजदूर एक ही दिन में निकाला जाता है।

इसके साथ साथ मैं सदन के सामने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। एस्टिमेट्स रिसोर्सेज कमेटी की रिपोर्ट में पेज १० में कहा गया है कि एक ही चीफ इंजीनियर पी० डब्लू० डी० में होगा लेकिन आज तक दो चीफ इंजीनियर चले आ रहे हैं। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक चीफ इंजीनियर होने पर पाँच सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होना चाहिये परन्तु आज तक वे पाँच ही चले आ रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस रिपोर्ट को बालाये ताक रखना चाहती है।

इसके साथ-साथ करप्शन के मामले में हाफिज जी ने मेरे ऊपर इशारा किया। आप अपनी उस रिपोर्ट को उठाकर देखिए जिसके अन्दर २१ एक्जिक्युटिव इंजीनियर्स में से १० पर चार्जेज मिलते हैं और दो को सजा मिलती है, जिस रिपोर्ट के अन्दर ७१ असिस्टेंट इंजीनियर्स में से २४ पर चार्जेज मिलते हैं। इस डिपार्टमेंट में जो करप्शन होता है उसके बारे में आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है और आप मुझ से भ्रष्टाचार की बात पूछना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि डिपार्टमेंटल इंनक्वायरी (वैभागिक जांच) के बजाय अगर इस सदन के माननीय सदस्य इंक्वायरी करते तो ७५ फीसदी अफसरों पर चार्ज साबित होता। मैं यह नहीं कहता कि पी० डब्लू० डी० विभाग में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। हो सकता है कि कुछ ईमानदार अवश्य हों लेकिन आज तक जो उनके कार्य रहे हैं उनके अनुसार तो मैं इतना ही कहने के लिये मजबूर हूं कि जो उनके कार्य करने का ढंग है वह करप्शन को बढ़ाता है। अंग्रेजों के जमाने की जो परम्परा है, जो नियम हैं वे उसी प्रकार चले

आ रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक सुझाव पेश करूं और वह यह है कि जितने भी इस प्रकार के बड़े-बड़े कर्मचारी हैं उनके जो बैंक एकाउन्ट्स हैं उसका सालाना हिसाब सरकारी कांफिडेंशल फाइल्स में रखा जाय।

जो ठेके देने का प्रबंध है वह इंजीनियरों के हाथ में से लेकर आप एक डिवीजनल एडवाइजरी कमेटी बनायें और उस डिवीजनल एडवाइजरी कमेटी के हाथ में ठेके देने का काम दें। ऐसा करने से इंजीनियरों के हाथ में जो सत्ता है, जो घूस लेने का उनके हाथों में एक जरिया है वह निकल जायगा और करप्शन दूर हो सकेगा। इसके अलावा आप और भी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने डिपार्टमेंटल इनक्वायरी की तो क्या किया? कुछ को वार्निंग (चेतावनी) दे दी, कुछ को रिवर्ट (प्रत्यावर्त्तित) कर दिया और कुछ को ट्रांसफर (संक्रामित) कर दिया। इससे क्या होता है? आपको चाहिये था कि जिन जिन इंजीनियरों के खिलाफ शिकायतें आयी थीं और जिनको आपने वार्निंग दी उनको डिसमिस करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। खाली वार्निंग दे कर ही छोड़ दिया। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम्प्लेंट्स (शिकायतों) के बारे में आपने क्या किया? आपने एक साइनबोर्ड लगा दिया कि घूस लेना पाप है और एक कम्प्लेंट बाक्स लगा दिया कि जिसकी जो शिकायतें हों वह उस बाक्स में डाल दें। और सब से तारीफ की बात तो यह है कि उसमें कहा गया है कि--

"During the monthly meetings of the Executive Engineers and the Superintending Engineers, Senior officers have been helping the subordinate officers in eradicating corruption."

[इक्जीक्यूटिव इंजीनियरों तथा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों की मासिक बैठकों के बीच में, सीनियर अफसर भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सबार्डिनेट अफसरों की सहायता करते रहते हैं।]

यानी जज भी वही, कोतवाल भी वही, पुलिस भी वही, मुल्जिम भी वही, वकील भी वही उन्हीं के खिलाफ शिकायत और वही सब कुछ तय कर लें। तो फिर किस प्रकार करप्शन दूर हो सकता है। इसलिये श्रीमान्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जो भार उनके कंधों पर है, आज जिस सार्वजनिक विभाग के गिरि को हमारे माननीय मंत्री ने अपनी तर्जनी पर उठाया है उसमें केवल बंगले ही नहीं हैं, उसमें केवल कार्बन नुमा सड़कें ही नहीं हैं, उसमें भ्रष्टाचार की झाड़ियाँ भी हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं। मुझे आशा है कि हमारे माननीय गिरधारी लाल जी ने जिस गिरि को उठाया है उसके झाड़-झंखारों को साफ करेंगे। मुझे सबसे अधिक खुशी उस दिन होगी और मैं कहूंगा कि यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अब प्लंडर वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं रहा है बल्कि वास्तव में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया है।

श्री शिवचरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा न कह कर सिर्फ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान विशेषकर भिंगा और बहराइच सड़क की ओर दिलाऊंगा। यों तो इस भवन में कितनी ही बातें की गयीं, कितनी बार इन्टर-डिस्ट्रिक्ट सड़कों की बात की गयी, कितनी बार मोटर ठीक तरह से न चलने की बात की गई, नेशनल हाईवेज वगैरह की बातें की गयीं लेकिन मैं तो उसी जगह की बात आपके सामने रखता हूं कि जिसको सुनकर आपको ताज्जुब होगा। भिंगा बहराइच में एक ऐसा मुकाम है कि जहां से ज्यादा से ज्यादा चावल आपको मिलता रहा है। आज उसी के बल पर बहराइच का जिला फर्स्ट क्लास सरप्लस डिस्ट्रिक्ट (प्रथम श्रेणी का आधिक्य-पूर्ण जिला) रहा है। आज वहाँ लकड़ी का बड़ा जबरदस्त व्यापार है। लेकिन वहाँ की क्या हालत है? वहां की हालत यह है कि लोग उस टुकड़े में रिश्तेदारियां करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहां बारात ले जाने और आने-जाने की कोई सुविधा नहीं है। लोग अपनी बातें कहते हैं कि सड़कें वहां बना दी जायं। मगर यह भी देखना

[श्री शिवचरण लाल श्रीवास्तव]

है कि वहां आने जाने का कोई दूसरा साधन भी है या नहीं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि अगर वहां सड़क नहीं है तो रेल के जरिये पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भिगा जाने के लिये क्या कोई दूसरा भी साधन है ?

अध्यक्ष--माननीय सदस्य अनुदान की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि सड़कों का अनुदान तो खत्म हो गया ।

श्री शिवचरण लाल श्रीवास्तव--मैं तो सड़क के बारे में ही कहना चाहता था।

अध्यक्ष--हां, अगर आप कहते तो थोड़ा सा इशारा करके चले जाते। मैं तो समझता था कि शायद आप दो मिनट में कह कर चले जायेंगे।

श्री शिवचरण लाल श्रीवास्तव--मैं तो यही समझता था।

अध्यक्ष--तो वह समय खत्म हो गया।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे कैबिनेट ने सूबे के निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी पूंजी पर ध्यान रखते हुए, अपने निर्माण का जो प्लान इस भवन के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें वहां उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। इसके बाद हमने आज इस विधान सभा के सदस्यों ने अपना मत देकर ऊपर के तीनों अनुदानों को, जिसमें ५ करोड़ ६ लाख रुपये होते हैं, उनको स्वीकार किया है। अब इस कार्य को सम्पन्न करना, इसमें चार्म (आकर्षण) लाना और सुन्दरता लाने का काम हमारे पर्सनल और चीफ इन्जीनियर तथा इन्जीनियरों पर है और उनके विभाग के अन्तर्गत जो काम करते हैं उनका होता है।

मैं किसी आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि नम्रभाव से आपके द्वारा अपने मन्त्री महोदय तथा चीफ इन्जीनियर की सेवा में कुछ बातें कहना चाहता हूं और अपने सुझाव भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रोग्राम रख दिया है, उसको कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारी सर्विसेज का है, हमारे चीफ इन्जीनियर का काम है। वह उसको किस सुन्दरता से तथा किस भावना से करते हैं। उसको तो आने वाली जनरेशन (पीढ़ी) तथा हमारी आने वाली नस्ल ही देखेगी। आप हमारे काम तो भूल जायेंगे, यहां के सदस्यों ने जो कार्य किया है उसको भूल सकते हैं, लेकिन आपका काम तो परमानेन्ट (स्थायी) है, उसको देखकर आने वाली जनता आपके काम की तारीफ करेगी। क्या ताज-बीबी का रौजा इजिप्ट के पिरेमिड्स और पैरिस के नेशनल स्टैडियम के बनाने वालों का किसी को पता है, लेकिन उनके इन्जीनियर्स को नहीं भुलाया जा सकता है। इस लिये मैं अपने यहां इन्जीनियरों से निवेदन करूंगा कि वह अच्छी तरह से काम करें। अभी मैंने एक बहुत ही सुन्दर पैरा पढ़ा है। वह यह है--

"In the matter of corruption a system well designed is a very necessary thing. But, in practice, a system, however well designed, is worth just as much as is due to the integrity, ability and loyalty of the men that work and no more. Even if the system of administration is not up to the standard, first-rate personnel can really make up the defects. On the other hand, even the best devised system will with all its checks and control be ineffective if the personnel of the administration is inefficient, and incorrupt.

(भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक सुनियोजित प्रणाली बहुत ही आवश्यक चीज है। किन्तु व्यवहार में एक योजना चाहे जितनी ही सुनियोजित हो, उसकी सफलता इसी पर निर्भर है कि जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं, उनमें कितनी सच्चाई, योग्यता और भक्ति है और किसी बात पर नहीं। यदि प्रशासन की योजना स्तर पर न भी हो, तो भी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी उसके दोषों का निराकरण कर सकते हैं। दूसरी और सर्वोत्तम युक्ति युक्त

योजना भी, जिसमें अनेक बाधायें एवं नियन्त्रण हों, निष्फल हो सकती है यदि प्रशासन कर्मचारी अयोग्य और भ्रष्ट हों --]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके ऊपर ही सब कुछ होगा । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस कार्य को बड़ी सुन्दरता से चलायें।

मुझे दुख है कि मुझे कहना पड़ता है कि इस डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में इतनी नुक्ताचीनी होती है कि वह कहने के बाहर है । हो सकता है कि उनमें कुछ सत्यता हो और यह भी हो सकता है कि उनमें से कुछ झूठ हों। लेकिन वास्तव में कुछ सत्यता अवश्य है और होगी। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप इस काम को अच्छे ढंग से करें। एक साहब ने कहा है कि "Caesar's wife should not only be chaste but she should be above suspicion." [सीजर की पत्नी का चरित्र पवित्र ही न होना चाहिए प्रत्युत उस पर सन्देह भी न होना चाहिए] मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तो यह चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ कोई उंगली न दिखाई जाय, कोई दोषारोपण न करें। इसलिये आप अपने कार्य को इस तरह से चलायें जिससे कोई दोषारोपण न कर सके और जो खराबियां हों उनको दूर करने की कोशिश करें। आप लोग रुड़की से आये हैं और रुड़की की महिमा संसार भर में व्यापक है । इसलिये आप उसके नाम को कायम रखें और जो आज कलंक का टीका आपके विभाग के ऊपर लगा हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं अपने मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह रूल्स ऐन्ड रेगूलेशन से ऊपर उठने की कोशिश करें आप ६ महीने इसमें लगायें, अपनी सी० आई० डी० मुकर्रर करें, महीने दो महीने के अंदर अपने इन्जीनियर्स का मुआयना कीजिए, और सी०आई०डी० की जो रिपोर्ट हो उसके मुताबिक काम कीजिए। रूल्स ऐन्ड रेगूलेशन्स को उठा कर रख दीजिए। उनसे कहिए कि तीन महीने के अन्दर आप अपना स्टैन्डर्ड उठायें वर्ना आप सर्विसेज से अलग हो जायेंगे। तीन महीने के बाद वह सुधार न करें तो उनको अलग कर दें। किसी रूल की परवाह न करें। रूल्स हमारे लिये बने हैं न कि हम रूल्स के लिये बने हैं। अगर रूल्स हमारे कार्य में रुकावट डालते हैं तो उन रूल्स को पैरों के नीचे मसल देने की जरूरत है। इसलिये मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें। वह ओवरसीयर्स की तरफ, सेट की तरफ, छोटे कर्मचारियों की तरफ न देखें, बल्कि इन्जीनियर्स की तरफ देखें।

मुझे ग्रिम बुड मीयर्स, चीफ जस्टिस की याद है। एक दफा जुडिशियरी में करप्शन पैदा हो गया तो उन्होंने अहलमद, नाजिर को नहीं देखा, नीचे के अफसर को नहीं देखा, बल्कि मुन्सिफों को देखा, जजेज को देखा और उन्होंने अपनी सी० आई० डी० को मुकर्रर किया और तीन महीने के बाद उन्होंने जुडिशियरी को साफ कर दिया। वह मिसाल आज तक कायम है। बावजूद इसके कि ग्रिम बुड मीयर्स यहां से चले गये, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जुडिशियरी बिल्कुल साफ है। अगर आप इसी तरह से काम उठायेंगे तो जो धब्बा विभाग पर चला आ रहा है, जिसकी चर्चा विधान सभा में चलती है, वह कलंक का धब्बा आप धो सकेंगे, तो विभाग साफ और शुद्ध हो जायगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो अनुदान इस सदन के सामने उपस्थित है बिल्कुल सीधा सादा अनुदान है। सफा २४१ के देखने से पता चलता है कि इसमें सिर्फ दो चीजों के लिये प्राविजन रखा गया है। इन्जीनियर्स और सुपरिंटेंडिंग और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स इनके लिये इन्तजाम किया गया है। श्री नारायण दत्त तिवारी के भाषण के समय मैं यहां उपस्थित नहीं था लेकिन लाबी में मैंने बहुत साफ तौर से जिस वक्त उनकी मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरे दिल में एक नई उत्कंठा पैदा हुई कि हाँ,कुछ नई बात सुनने में आयेगी जो कि मुनासिब और उपदेशप्रद होगी। लेकिन मैं क्या कहूं। फिर मैं दोहराता हूं कि सिवा नाउम्मीदी के दूसरी चीज मुझे दस्तयाब नहीं हुई । बड़ी

[श्री हुकुम सिंह]

भावुकता के साथ, बड़े जोश के साथ उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं कि वह इस सदन के लिये नहीं थीं बल्कि बाहर के प्रोपेगैन्डे के लिये थीं। मेरे मित्र ने यह फरमाया कि पी० डब्ल्यू० डी० में जो ३० हजार मजदूर काम करते हैं इस अनुदान में उनके मुताल्लिक कोई प्राविजन नहीं रक्खा गया है। मैं क्या बतलाऊं। मैं इस बात की जुर्रत नहीं कर सकता कि मेरे मित्र ने इस अनुदान को पढ़ा नहीं, कैसे कहूं। वाक़या भी हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन नतीजा यह बरामद होता है। इस बात के कहने से कि मेरे मित्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अनुदान सुपरिन्टेन्डिंग एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के लिये रखी गयी है। लेबरर्स का इन्तजाम उसमें नहीं है। लेबरर्स का अनुदान दूसरा था। उस सम्बन्ध में हमारे मित्र कहते तो समझ में कुछ बात आती, लेकिन हमारे मित्र तो सोकर जागते हैं। जब बात हो जाती है तो दूसरे दिन उसकी याद आती है। उतावले होकर बात कह देते हैं चाहे उसका समय न भी हो। मैं भी समझता हूं कि गरीब किसानों का गरीब लेबरर्स का इन्तजाम होना चाहिये, लेकिन इस अनुदान के सिलसिले में नहीं होना चाहिये। यह अनुदान तो चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिये है। लेबरर्स के लिये नहीं है। मुझको भी उनसे सहानुभूति है। जितनी सहानुभूति उन लेबरर्स के साथ आपको है उससे कम मुझे नहीं है और न किसी को भी इधर बैठने वालों को है। मैं भी चाहता हूं कि उनका स्तर उठाया जाय और उनकी माली हालत दुरुस्त की जाय लेकिन बेमहल बात करने से बात सुधरती नहीं है। जिस वक्त मुनासिब वक्त हो और बात कही जाय तो वह वजनी होती है और उसका कुछ असर भी होता है, लेकिन बेमौके चाहे जितनी वजनी बात कही जाय उसका कोई असर नहीं होता है। इस सिलसिले में जैसा हमारे मित्र फरमाते हैं यह बात असंगत है।

एक बात यह भी फरमाई कि यह डिपार्टमेंट कमेटी आपने क्यों कायम की। यह उन्होंने वार्निंग की और कहा कि यही फैसला कर लेती है। उसी डिपार्टमेंट के लोग मुलाजिम हैं लिहाजा इन्साफ नहीं। इस तरह से काम चलता नहीं। उस डिपार्टमेंट की कमेटी ने कुछ लोगों को बरखास्त किया, कुछ लोगों का प्रमोशन स्टाप (वेतन वृद्धि रोकी) किया कुछ लोगों को तम्बीह दी और कुछ लोगों को रिवर्ट किया। सब तरह की सजायें दीं। जब उनका राज्य होगा तब वह एक ही तरह की सजा देंगे। चोरी करने वाले को और कत्ल करने वाले को सजा एक ही मिलेगी। तरह तरह की सजा होना और उनके कसूर के मुताबिक सजा देना यह नीति की बात है। जो मैंने सुना है वह मुझे मालूम है और सब विभागों के मंत्री उधर हैं लेकिन जस्टिस का कोई मंत्री नहीं है तो फिर जस्टिस कहाँ हो। लिहाजा जब आप होंगे तो वैसा ही कीजियेगा जैसा कि चाहते हैं। हमने सब तरह की सजायें लोगों को दी हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया। लिहाजा यह कहना कि करप्शन मिटाना नहीं चाहते हैं यह बात सत्य से परे है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितना आप करेप्शन मिटाना चाहते हैं हम उससे कम नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं क्या अर्ज करूं। आप फरमाते हैं कि हजारों की तादाद में फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं। जब आपसे यह कहा जाता है कि स्पेसिफाई (निर्दिष्ट) कीजिये और बतलाइये कि कहाँ पर किस जगह पर किस डिविजन में ऐसा हुआ तो आप कहते हैं कि बाद को बतलायेंगे। मैं फिर कहता हूं कि हमारे मित्र बतलायें और हम उस पर सख्त कार्यवाही, जो भी जस्टिस डिमान्ड करेगी, करेंगे। लेकिन आप चाहें कि आप कहें और एलीगेशन (अभिकथन) की जिम्मेदारी आप न लें तो यह नहीं हो सकता है। लिहाजा इस तरह की बात कह देने से काम नहीं चलता है। हम तो चाहते हैं कि सब का सहयोग इसमें हो इस तरफ का उस तरफ का और अफसरों का सहयोग इसमें होना चाहिये। अगर आप सच्चे दिल से यह चाहते हैं कि करप्शन मिटा दिया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि आप जिम्मेदारी को बरदाश्त कीजिये, हिम्मत से काम लीजिये और जो बात आपके इल्म में हो उसको परदे में न रखिये, उसको आप बतायें, मगर आप कहते हैं, उसको बतलाते नहीं हैं।

आप टालते हैं और बतलाते नहीं हैं तो मुझे शक होता है कि आप करप्शन मिटाना नहीं चाहते, बल्कि एक इल्जाम सरकार पर लगाना चाहते हैं। आपने फरमाया कि आप की ही कमेटी की रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि कहीं भी उस रिपोर्ट में फर्जी मस्टर रोल की बात नहीं है। अगर उसमें कहीं फर्जी मस्टर रोल का जिक्र हो तो आप बतलावें और अगर है तो हम उस पर गौर करें और तहकीकात करें और जो कुछ सहायता हमारे मित्र हमें दे सकें वह दें। इस तरह की बातों को प्रोपेगैन्डा के नुक्ते खयाल से बयान करने से देश का कल्याण नहीं होता। करप्शन उसी वक्त दूर हो सकता है जब हम और आप जुट जायं कि अब उसको रखेंगे नहीं फिर उस में कोई तिकड़मबाजी नहीं करना है और उसमें हमारे लिये और आप के लिये कोई पालिटिक्स खेलना उचित नहीं है। हमारी दिली ख्वाहिश होनी चाहिये कि करप्शन हमारे देश से मिट जाय, मिट जाय और मिट जाय। करप्शन महज कहने से दूर नहीं हो सकती। हाँ, अगर सच्चे दिल से हम और आप मिल कर जुट जायं तो मैं कहूंगा कि वह रह नहीं सकती।

मैं फिर कहूंगा और नम्र निवेदन करूंगा कि यहाँ हमें अपने व्याख्यानों से ही एक दूसरे को पराजय नहीं करना है। हमारे आप के उद्देश्य एक हैं, रंग में चाहे जितना फर्क हो, लेकिन उद्देश्य में कोई फर्क नहीं मालूम होता। मैंने अपने उद्योग विभाग के सम्बन्ध में भी कहा था इस वक्त तो मैं निर्माण विभाग के विषय में अपने दोस्त की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप जाइये और बतलाइये और हमारे नोटिस में लाइये और अगर हमारे नोटिस में कोई बात आवेगी तो हम सख्ती के साथ करप्शन को रोकने की कोशिश करेंगे। आप हमें मदद दीजिये इस काम में। व्याख्यान में हम आप को या आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें इससे करप्शन दूर नहीं हो सकता। मैं अपने मित्रों से क्षमा चाहता हूं कि मैंने एक ठाकुर होने की हैसियत से एक सही और सीधी बात आपके सामने रख दी, लेकिन सही बात हमेशा पसन्द नहीं आती है इसलिये मुमकिन है कुछ बुरी मालूम हो इसलिये मैं दस्तबस्ता माफी चाहता हूं और इस अनुदान की ताईद इन अल्फाज के साथ करता हूं।

एक सदस्य--क्या मंत्री जी ठाकुर की हैसियत से बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी ठाकुर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मंत्री की हैसियत से बोल रहे थे लेकिन उनकी एक अपनी ह्यूमर (विनोद) होती है जिसको वह अपनी स्पीच में ले आये हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो एक संयोजित और नयोजित रूप में भ्रष्टाचार करने में अधिक समर्थ है लेकिन यह बधाई का भी पात्र है क्योंकि इसका जो भ्रष्टाचार है वह जनता में इतना नहीं है बल्कि वह राजकीय कोष पर ही सीमित है। आज इस विभाग को बाहर १५ फीसदी वाला विभाग भी कहते हैं और आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार और माननीय बेंचेज से सदस्यों ने कहा कि हम सिद्धान्ततः एक मनुष्य की अच्छाई में विश्वास करते हैं। सम्भवतः यही सिद्धान्त महात्मा गांधी का भी था, लेकिन देश के जो महान् नेता हैं श्री किशोरी लाल मशरूवाला ने कहा है कि अब भारतवर्ष में एक ऐसी अवस्था आई है कि अंग्रेजी की जो एक कहावत है कि "Everybody is honest unless proved otherwise" (प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो।)

लेकिन आजकल उस के खिलाफ हालत यह है कि "Everybody is dishonest unless he proved otherwise" [प्रत्येक व्यक्ति बेईमान है जब तक वह अन्यथा सिद्ध न हो।]

ऐसी अवस्था में हमें इतना कह कर ही सन्तोष कर लेना नहीं है। इस समय देश में जब कि एक युगान्तर हो रहा है और बहुत काल बाद एक सर्वोदय की अवस्था आ रही

[श्री रामजी सहाय]

है उस समय आप देखें कि क्या हो रहा है। जहाँ आप के रहने का एक एक सेट २०-२० हजार में बना है। कौंसिलर्स रेजीडेंस या दारुलशफा को आप देखें। लेकिन आज भी सदस्यों का सामान वहाँ सुरक्षित नहीं है। आये दिन वहाँ चोरियाँ होती हैं। पीछे की तरफ सीखचे नहीं लगे हैं। बाथ रूम में फ्लश ऊपर से टपकता है और नीचे हम बैठते हैं। परनालों में पाइप नहीं हैं। यह भी कहा गया कि कोई चीज निश्चित कही जाय तो हम अपने जिले के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ एक इंजीनियर अलीगढ़ से तशरीफ लाये जो पहले ओवरसियर थे। वह अपने साथ एक ठेकेदार भी लाये जो हमारे यहाँ के गरीब मजदूरों की मजदूरी लेकर भाग गया और उनका काफी पैसा ले गया। मजदूर तो यह समझते थे कि यह इंजीनियर साहब का आदमी है, इसलिये हमारा पैसा सुरक्षित है। मैं समझता हूं कि सरकार इसकी जाँच करायेगी। इसी तरह जो वहाँ के सुपरिन्टेंडिंग और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने भी पैसा खाकर हमारे सामने कई सड़कों के अर्थ वर्क को बन्द किया है और दूसरी जगह और तीसरी जगह से रास्ता कर दिया। मैं जानता हूं कि इस विभाग ने रचनात्मक कार्य भी किया है और उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे अधिक निवेदन नहीं करना है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में एक चीज अन्त में माननीय तिवारी जी ने कही कि यदि अगले साल इस विभाग में कुछ सुधार होगा तो वह हमारे माननीय मंत्री को बधाई देंगे। आज तक जो कुछ भी विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया है, उससे हम ऐसी आशा नहीं करेंगे। कैसे करूं मैं आशा? अनुदानों पर बहस होते होते २-३ बातें ही रह जाती हैं जिन पर विवाद होने लगता है। मजदूरों की तनख्वाह का जिक्र किया जाता है। जब सरकार की ओर से कहा जाता है, हम कुछ टैक्स चाहते हैं तो कहा जाता है कि सत्याग्रह किया जायगा। रोज-रोज ऐसी बातों का जवाब होता है और उनमें कुछ बहसा-बहसी और गरमागरमी भी आ जाती है। किन्तु मैं और ही बातें आपके सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। वह यह है कि क्या हमारे प्रदेश का कार्य विचारक के रूप में यहाँ उपस्थित होकर इस प्रकार की बातों से सम्पन्न हो सकता है? इस सदन के सामने कुछ सार्वजनिक कार्य करने के लिये एक अनुदान उपस्थित है। सार्वजनिक कार्य करने के लिये जो हमारे अफसर हैं उनके लिये यह माँग रखी गई। उसके बारे में जो बातें हो सकती थीं कहीं गईं और दूसरी तरफ से भी जितनी बातें की जानी सम्भव थीं, कही गईं। मुझे यह निवेदन करना है कि जितनी भी बातें हमारे माननीय हाफिज जी ने कहीं और जो बातें इसी अनुदान के सम्बन्ध में हमारे दूसरे मंत्री ने भी यहाँ अपने दृष्टिकोण से रखीं, उनमें २-३ बातें ही विचारणीय हैं।

क्या यह सही नहीं है कि हमारे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है? यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार है, तो चाहे वह इस सदन के विरोधी पक्ष की ओर से कहा जाय या मेरी ओर से कहा जाय, वह एक ही बात है। प्रतिवर्ष बजट इस सदन के समक्ष उपस्थित होता है, प्रतिवर्ष यह बात की जाती है। यह भी सही है कि बार बार किन्हीं कर्मचारियों के लिये भ्रष्टाचार की बात कही जाय तो वह बुरी लगती है, घर के नौकर के लिये अगर रोज कहा जाय कि वह अमुक गलती करता है तो वह बुरी मालूम होती है, अगर किसी अनुचर को रोज बेईमान कहा जाय तो बुरा मालूम होता है। लेकिन यदि फिर भी यह सत्य है तो हमें उसके लिये अनुसंधान की जरूरत है। कुछ मोटी सी बातें इस पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के संबंध में इस सदन के समक्ष कही गईं, उनको फिर से कहना एक प्रकार का दुहराना है। चाहे वह विरोध पक्ष हो, राजा जी हों या हमारे देश के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी, उसके बारे में कुछ कहें, एक सीधी सी बात यह है कि यह विभाग बहुत बदनाम विभाग है। शिकायतें जो की जाती हैं उनके संबंध में यह कहना कि यदि सभी के संबंध में शिकायतें की जायंगी तो उनको स्वीकार नहीं किया जायगा, मेरा भी विचार है कि उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु एक मोटी बात सदन के समक्ष रख दूं। मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष संक्षेप में यह चीज रखूंगा कि उन सब का निराकरण करना हमारा और सबका कर्त्तव्य है। क्या यह सही

नहीं है कि पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये से जो काम होते हैं उनमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है ? क्या यह सही नहीं है कि पी० डब्ल्यू डी० के अधिकारी जिस दिन रिटायर (सेवानिवृत्त) होते हैं वे मालामाल होते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि इस विभाग द्वारा जितने कार्य संपन्न किये जाते हैं वे बाद को निकम्मे निकलते हैं ? अगर सड़कें बनाई जाती हैं तो एक वर्ष के बाद दूसरे ही वर्ष कंकड़ दांत दिखाने लगते हैं। इन सब तथ्यों के लिये अलग अलग बातें कही जा सकती हैं। मेरा विचार है कि यह तथ्य बहुत काफी है। जो छोटी मोटी भ्रष्टाचार की बातें की जाती हैं वे स्थानीय शिकायतें होती हैं। स्थानीय शिकायतों को यह कह कर टाल देना ठीक नहीं कि उनको उसी विभाग में भेज दिया जाय और अंत में वर्ष दो वर्ष के पश्चात् वही परिणाम निकले जो सदा से निकलता आया है। सुझाव के रूप में मैं ३—४ बातें कह दूं। आपको इसके लिये कोई स्थानीय कमेटियाँ बनानी चाहिये और जो भी शिकायतें हों वे इन कमेटियों के सामने रखी जायं। पी० डब्लू० डी० एक बहुत बड़ा विभाग है। चाहे उसका कार्य आज सड़कें बनाना हो, इमारतें बनाना हो, विद्यालय और न्यायालयों को ठीक करना हो, लेकिन कल उसका कार्य होगा देश का सांस्कृतिक उद्धार। सांस्कृतिक, धार्मिक और दूसरे कार्यों का जोड़ इसे मिलाना है। हम देश के लिये जो कुछ भी कर सकेंगे, अन्त में इसी विभाग द्वारा होगा। इस विभाग के संबंध में शिकायतों को ऐसी आसानी से टालना न होगा। मेरा बहुत नम्र निवेदन है, मेरी यह इल्तजा है इस सदन के माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय से कि कुछ स्थानीय शिकायतें होती हैं। यदि आप उनके लिये कोई कमेटियां बना सकें तो हम उन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। एक प्रकार से कोई एडवाइजरी कमेटी पी० डब्ल्यू० डी० के लिये आप मुकर्रर कर सकते हैं, तो शायद अगले वर्ष ये शिकायतें इस सदन के समक्ष उपस्थित न की जायेंगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरे सुझावों का उत्तर देने के लिये माननीय उद्योग मंत्री जी को 'लाबी' से उठकर यहां आना पड़ा और हम सभी लोगों को यह बतलाना पड़ा कि हमारे पास कोई मिनिस्टर आफ जस्टिस नहीं है, मैंने कुछ बातें 'इरेलवेंट' (असंगत) कह दीं और इस अनुदान के बाहर कह दीं या शायद माननीय उद्योग मंत्री जी यह जानते हैं कि हम समाजवादियों का सिद्धांत सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिये हममें से कोई काल्पनिक मिनिस्टर आफ जस्टिस नहीं है। हमारा प्रत्येक सदस्य न्याय के सिद्धांत पर और सामाजिक न्याय की प्रेरणा से ओतप्रोत है और इसीलिये मैं कहता हूं कि उनके हृदय में सामाजिक न्याय की भावना होती और इसी भावना से माननीय उद्योग मंत्री जी कार्य करते होते, तो शायद ऐसी बात इस भवन में आज न आई होती कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना में मजदूरों का कोई हाथ नहीं है।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैंने सुना कि उद्योग मंत्री जी ऐसा कहते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० के इस्टेब्लिशमेंट पर बहस आती है तो उसमें पी० डब्ल्यू० डी० मजदूरों की कोई बात नहीं होनी चाहिये। जो ४०—४० साल से लगातार विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं होनी चाहिये। वह दूसरे अनुदान में आना चाहिये। यह बात और खासकर माननीय मंत्री के मुंह से सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो माननीय पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्होंने इस संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं जानना चाहूंगा कि गरीब मजदूरों के लिये अगर यह अनुदान नहीं है तो वह कौन सा अनुदान है जिसपर उनका जिक्र किया जा सकता हो जब लेबर का अनुदान आयेगा तो उसके मंत्री जी यह कहेंगे कि यह तो आप गवर्नमेंट लेबर की बात कह रहे हैं और वह अनुदान के बाहर जाता है। जब पी० डब्ल्यू० डी० का अनुदान चल रहा था उस समय इसे कहना चाहिये था, लेकिन आज जब पेश किया गया है तो कहा जाता है कि यह बाहरी प्रोपेगेंडा (प्रचार) के लिये कहा गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बजट यहां पर रखा गया है या जो अनुदान हमारे सामने रखा गया है, क्या वह बाहरी प्रोपेगंडे के लिये रखा गया है, क्या वह प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता को यह बतलाने के लिये रखा गया है कि सरकार इतना रुपया तुम्हारे लिये खर्च करने जा रही है।

मैं बतलाना चाहता हूं कि जो बात आदरणीय सदन में कही जाती है वह बाहरी प्रोपेगंडे के लिये नहीं कही जाती बल्कि अपने प्रदेश के भविष्य को तय करने के लिये, जनता की भावनाओं को बहलाने के लिये नहीं, पर योजनाओं पर आधारित बातें रखने के लिए इस सदन में बातें कही जाती हैं और अगर बाहरी प्रोपेगंडे का इतना डर हमारे माननीय मंत्री जी को है तो फिर मैं समझता हूं, कि हमारे प्रेस के इतने सज्जन यहां पर हैं, उनको निमंत्रण देकर बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बाहरी प्रोपैगंडा बन्द हो जाय अगर ऐसी बात होती तो सिक्रेट सेशन (गुप्त सत्र) बुलाया जाता। तो ऐसी बातें बाहरी प्रोपेगंडा के लिये नहीं हैं। हमारे पार्टी के सदस्यों में से इस माने में कोई बाहरी प्रोपेगंडा करना नहीं चाहता। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ऐसी बात कही जाती है।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी कि उसके लिये मैंने कोई मिसाल नहीं दी। मैंने तो उस समय भी कहा था और हमारे साथी माननीय उपाध्याय जी ने निवेदन किया था कि अगर कोई जुडीशियल कमेटी बने तो हम एक नहीं प्रदेश के हर डिवीजन के बारे में भ्रष्टाचार के उदाहरण उसके सामने रखेंगे और उनकी इंक्वायरी की जाय। मैं फिर कहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं यह तो हमारी सरकार को सिद्ध करना पड़ेगा कि पी० डब्ल्यू० डी० के कौन ऐसे अफसर हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं हैं, यह साबित करना सरकार का काम है न कि हम साबित करें कि फलां अफसर भ्रष्टाचारी है। माननीय जवाहरलाल जी ने अभी हाल में सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पी० डब्ल्यू० डी० मेन्टेलिटी की बात कही थी। मुझे भय हो रहा है कि माननीय मंत्री और विशेषकर माननीय उद्योग मंत्री जी इस पी० डब्ल्यू० डी० मेन्टैलिटी का कैसे मुकाबिला कर सकेंगे। मुझे तो भय है कि वह नहीं कर पायेंगे। मुझे यों तो उन पर भरोसा होता है, लेकिन उतना भरोसा नहीं होता जितना पहले था। अन्त में मैं फिर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा आप डिवीजनों को ले लीजिए पी० डब्ल्यू० डी० के। किसी में दो जिले हैं, किसी में चार जिले। इन डिवीजनों का पुनर्निर्माण होना चाहिये। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डिवीजनों में "ऐडवाइजरी कमेटीज" बननी चाहिए जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हों और इस सदन के माननीय सदस्य भी हों और उस कमेटी के जरिये से ठेके दिये जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से बजट के लिए एक एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) कमेटी बनी हुई है, उसी तरीके से इस विभाग में जितना निर्माण कार्य होता है उसके एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) देखने के लिये एक एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) कमेटी होनी चाहिये। यह सुझाव मेरा ही नहीं है। यह सुझाव श्री बनारसीदास जी, जो आज डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले साल रखा था। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बार-बार यह कहा जाता है कि कोई सुझाव नहीं दिया जाता और जब सुझाव दिया जाता है तो माननीय मंत्री जी उसका जिक्र ही नहीं करते।

जहाँ तक भ्रष्टाचार का संबंध है, पिछले साल बजट बहस पर मौलाना शाहिद फाखरी ने एक उदाहरण दिया था। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई भी जांच नहीं हुई। कैसे विश्वास हो कि नये उदाहरणों की भी कोई जाँच हो।

संक्षेप में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पर मंत्री जी कठोर दृष्टि रखें जिससे भविष्य में अनुशासन सुधर सके और सार्वजनिक निर्माण विभाग वास्तव में जनता की सेवा कर सके।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर ३९९ मतदान—अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों को पूंजी का लेखा

श्री गिरधारी लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के संबंध में जो कुछ भी विचार रखे गये हैं, उसके सिलसिले में जैसा कि अभी लेबर के विषय में कुछ कहा गया, मेरे साथी ने जो इससे पहले कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। बजट का ज्यादातर पैसा लेबर पर ही खर्च होता है। जहाँ तक पी० डब्ल्यू० डी० एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, उसमें लेबर वगैरह का खास जिक्र नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी कि इतना इतना काम लेबर करता है। कौन इस बात को नहीं मानता कि दुनिया का काम सब मजदूरों के जरिये से होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी वजह से, परिस्थितिवश जो आप लोगों की हमदर्दी लेबर के साथ है और मैं इस बात की सराहना वैसे जरूर करता हूं। लेकिन इस के साथ ही साथ पी० डब्ल्यू० डी० में कुछ लेबर गैंग्स होते हैं, जिनको हम माहवारी तरीके से रख लेते हैं, उनके बारे में कहा गया कि उनको २० रुपया मासिक वेतन मिलता है। मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं, इससे कुछ गलतफहमी हो सकती है। उन लोगों को तीस रुपया माहवार मिलता है। और जो मेट्स होते हैं उनको ४० रुपये माहवार दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलती है। महीने के अन्दर चार छुट्टियाँ मिलती हैं और साथ ही दस गजटेड छुट्टियाँ मिलती हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर उनको इस बात का दर्द है तो जितने सदस्य यहाँ पर बैठे हैं उन सबको इस बात का दर्द है, हमको भी इस बात का दर्द है। उनका एक डेप्युटेशन भी मुझसे मिला था और उनकी माँगों पर हम बहुत हमदर्दी से विचार कर रहे हैं और जो भी फैसला होगा, सबके सामने आ जायगा।

एक आध बात काम के सिलसिले में कही गयी कि क्या यह भी सच नहीं है, क्या यह भी सच नहीं है। सच यह बात है कि जरा आप इसको अच्छी तरह से देखिए कि पी० डब्ल्यू० डी० के काम का एक व्यक्ति के काम से मुकाबिला नहीं किया जा सकता है। मैं खुद अपने घर के काम को देखूं तो कम खर्चे में काम हो जायगा। लेकिन अगर मैं उसी काम को किसी दूसरे के जरिये से करवाऊं तो थोड़ा बहुत जरूर मंहगा होगा। आप इस तरह से देखिए कि अगर डिस्इंटर-स्टेड मशीनरी से करवाते हैं, वह किस रेट्स पर होता है। इस बात को देखते हुए यू० पी० पी० डब्ल्यू० डी० का देश की किसी भी पी० डब्ल्यू० डी० से मुकाबला करें या अपने प्रदेश के म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से मुकाबला करें कि उनके रेट्स क्या हैं, तब आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर इसके अन्दर कोई सच बात नहीं है, अगर यहाँ के पी० डब्लू० डी० के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है, तो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिफ्यूजी के काम को और दूसरे कामों को यू० पी० के सुपुर्द करती है, क्यों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यह चाहते हैं कि यू० पी० का जो पी० डब्लू० डी० है, वह हमारे काम को अपने हाथ में लेकर करे। फिर भी मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूं कि जो ख्वाहिश हमारे माननीय सदस्यों की इसी विभाग के बारे में नहीं बल्कि पूरी मशीनरी के बारे में है वही हमारी भी है और हम इसको ठीक करने के लिये शुरू से आज तक मेहनत करते रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे।

यहाँ पर बहुत से सुझाव दिये गये, लेकिन मैं सब पर रोशनी नहीं डालना चाहता। बहुत से तो ऐसे सुझाव हैं जो केवल कल्पना के अन्दर ही ठीक हो सकते हैं। जिस समय मैं भी बाहर था, और एक साधारण कार्यकर्त्ता था तो बहुत सी इसी प्रकार की बातें दिमाग में आती थीं, लेकिन जिस वक्त मैंने जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया, उस समय इस नतीजे पर पहुंचा कि बहुत सी पहले की बातें, जो मैं सोचा करता था, प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) नहीं थीं। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि बहुत से सुझाव ऐसे हैं, जिनको मैंने नोट कर लिया है और उनके ऊपर विचार करूंगा, और मैं इस बात की उम्मीद दिलाता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारे यहाँ खामियाँ हैं, वे ज्यादा से ज्यादा दूर हों।

अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---जी नहीं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्य, स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ३६,२४,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बैठक के कार्यकाल में वृद्धि करने का प्रस्ताव

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की बैठक आधे घंटे के लिये बढ़ा दी जाय। जैसा मैंने दो रोज हुये आप के ज़रिये यह दरख्वास्त की थी कि मिर्ज़ापुर के सिलसिले में एक छोटा सा विधेयक कौंसिल से पास हो चुका है और वह नान-कंट्रोवर्शल (अविवादास्पद) है। वह ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई वादविवाद हो या जिसके सिलसिले में हमारे जो सदस्य हैं सदन के उनमें दो रायें हों। तो मैंने यह दरख्वास्त की थी कि उसके लिये कुछ वक्त दे दिया जाय।

अध्यक्ष---केवल आधे घंटे के लिये आप बैठक बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह--या जब तक यह समाप्त न हो तब तक के लिये।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस सदन की बैठक आधा घंटा अधिक या जब तक कि माननीय मंत्री जो विधेयक सामने ला रहे हैं, वह ख़त्म न हो जाय, तब तक यह सदन आज अपनी बैठक जारी रखे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्ज़ापुर) विधेयक, १९५२

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने के (मिर्ज़ापुर) विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा इस पर कहने की आवश्यकता समझता नहीं हूं लेकिन फिर भी दो बातें कहना जरूरी हैं। वह यह हैं कि कैमूर के दक्षिण में जो इलाक़ा स्थित है उसमें १९२६ का टेनेन्सी ऐक्ट लागू है और उस ऐक्ट की कुछ दफ़ात ऐसी हैं जिनके मातहत वहाँ बेदखलियाँ चल रही हैं। मसलन् जो हीनहयाती काश्तकार थे उनके मरने के बाद उनके वारिस का पांच साल तक उस जमीन पर क़ब्ज़ा रखने का अख्तियार है। अब जिनके पाँच साल इस तरीक़े से गुज़र गये हैं या गुज़रने वाले हैं उनको बेदखल किया जा रहा है या बेदखल होने वाले हैं। इसी तरीक़े से दफ़ा ४० और ४१ उस क़ानून के अन्दर हैं जिनके अनुसार जमींदार काश्तकार से अपना फ़ार्म बनाने के लिये जमीन हासिल कर सकता था। उस क़ानून के अन्दर कच्ची कुर्की करने का भी एक प्राविज़न था। उसके मातहत भी वहाँ काश्तकारों की कच्ची कुर्की हो जाती है। इसी तरह के दो तीन और सेक्शन्स हैं जो आज बिलकुल आउट आफ डेट (समयातीत) हैं और जिनका फ़ायदा जमींदार इस खयाल से उठा रहे हैं कि बहुत जल्द वहाँ भी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने वाला है। इसलिये काश्तकारों को जितनी जल्द बेदखल किया जा सके उनको बेदखल किया जाय। इस मंशा से यह बिल लाया गया है ताकि जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का उद्देश्य है वह ख़त्म न किया जा सके। बहुत जल्दी हम उस क़ानून को यहाँ लागू करने के प्रश्न

पर सोच रहे हैं। इस बीच में वे बेदखल न हो जायं इसलिये हम यह बिल लाये हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें कोई दो रायें नहीं होंगी और एक मत से यह विधेयक पास किया जायगा।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिल का उद्देश्य और कारण जो हमारे सामने प्रस्तुत है, उसमें आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ के दक्षिण की तरफ १९२६ का ऐक्ट लागू है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सूबे में और भी कुछ स्थान हैं जहाँ पर कि वर्तमान जमींदारी उन्मूलन कानून नहीं लागू है जैसे बनारस जिले में कस्वारराज परगना। वहाँ आज बेदखलियाँ बहुत धड़ाके के साथ हो रही हैं और भी राज्य जैसे बनारस स्टेट, रामपुर, ये जो स्टेट हमारे सूबे में मिला दिये गये हैं उनके अन्दर भी किसानों की बेदखलियाँ होती हैं। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह उद्देश्य जो केवल मिर्जापुर के एक थोड़े से स्थान के लिये रखा जा रहा है इसी उद्देश्य को उन स्थानों के लिये भी क्यों न रख दिया जाय और इस बिल में उपर्युक्त स्थान शामिल कर लिये जायं, उद्देश्य को उन स्थानों के लिये भी क्यों न रख दिया जाय? इस सम्बन्ध में मैंने इसके पहले भी माननीय मंत्री जी से कई बार निवेदन और आग्रह किया, मगर मालूम नहीं क्यों मंत्री जी ने उन स्थानों को बिल में स्थान नहीं दिया?

इसके अलावा मुझे यह बात कहनी है कि जो उद्देश्य किसानों के हित की रक्षा का इसमें प्रस्तुत किया गया है किसानों के हित की रक्षा और ज्यादा न्याययुक्त होगी अगर सन् १९४६ के बाद से या जब से जमींदारी उन्मूलन बिल सदन में पेश हुआ था, उस समय से जितने किसान बेदखल किये गये हों सबको जमीनें मिल जायं क्योंकि बिल को ऐक्ट बनने में जितना समय लगा उसमें भी बहुत सी जमीनें जो टिलर आफ दि स्वायल (भूमि के खोदने वाले) हैं उनके हाथ से निकलकर या तो बड़े काश्तकारों के पास चली गयी हैं या जमींदारों के पास चली गयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बातों का भी अगर वे इस बिल में समावेश कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, कस्वार राज परगना का जहाँ तक सम्बन्ध है तो वहाँ हमारी रिपोर्ट के मुताबिक बेदखलियाँ बहुत कम दायर हुई हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने अपने माननीय मित्र को बतलाया भी था सदन के बाहर जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी। हम जमींदारी अबालिशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट को बहुत जल्द कस्वार राज के परगना में लागू करने जा रहे हैं इतनी जल्दी कि शायद सदन का यह अधिवेशन तब तक समाप्त भी न हो उससे पहले ही। लेकिन जहाँ तक कैमूर के दक्षिण स्थित इलाके का सम्बन्ध है वहाँ इस कानून को लागू करने में जरा देर होगी, इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। कस्वार राज में देर नहीं होगी और बहुत जल्द ही वह कानून वहाँ लागू होने वाला है और वहाँ बेदखलियाँ बहुत कम हुई हैं। इसलिये वहाँ जरूरत महसूस नहीं हुई। दूसरा प्वाइंट जो उठाया वह यह कि सन् ४६ में जो बेदखल हो गये हैं उनके हुकूकों की किसी न किसी तरह से हिफाजत की तरकीब की जाय। मैं इसके मुतालिक यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह वाकये की बात कही गई है। जहाँ तक कानून का सम्बन्ध है जमींदारी अबालिशन ऐक्ट या मारगेज ऐक्ट का उसमें अगर वाकई जिन लोगों का कब्जा है तो कोई शिकायत नहीं रह सकती है। फिर भी इस मसले पर गवर्नमेन्ट विचार कर रही है और अगर जरूरत हुई तो उस संबंध में भी कदम उठाया जायगा। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। जहाँ तक इसे कानून में शामिल करने की बात है वह सारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा जब कि यह तो सिर्फ केसरगंज के दक्षिणी इलाके से संबंधित है। इसलिये यह गैरमुताल्लिक बात है और वह इसमें शामिल नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने के (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—चूंकि इसमें कोई भी संशोधन का नोटिस मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—इस समय संशोधन दिये जा सकते हैं ?

अध्यक्ष—अब नहीं दिये जा सकते। मैंने माननीय सदस्य से कह दिया था कि आज दिनमें किसी समय संशोधन दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त अपने भाषण में भी आपने कुछ जिक्र नहीं किया केवल अपनी आपत्ति माननीय मंत्री जी के सामने रखी। अब कोई समय इसके लिये नहीं दे सकता हूं। चूंकि मेरे पास कोई संशोधन नहीं है। इसलिए मैं सभी धाराओं को एक साथ ले रहा हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन दिये हैं।

अध्यक्ष—मेरे पास तो नहीं आये हैं।

श्री जयराम वर्मा—परसों ही दिये हैं।

अध्यक्ष—आप अपने संशोधन बतला दें तो मैं उनको देख लूं, वे शायद शाब्दिक होंगे।

श्री जयराम वर्मा—जी हाँ।

अध्यक्ष—अगर वे शाब्दिक हैं तो मैं उनको देख लूंगा।

श्री जयराम वर्मा—क्योंकि यह बिल कौंसिल से पास हो गया है, ऐसी हालत में आप इनमें सुधार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष—दिक्कत यह है कि मेरे दफ्तर में आपका कोई संशोधन नहीं आया है। मैंने बार-बार पूछा कि कोई संशोधन आया या नहीं। अचानक अब आप पेश कर रहे हैं। मैंने विरोधी दल के नेता को इजाजत नहीं दी। ऐसी अवस्था में मैं आपको भी शाब्दिक संशोधनों की इजाजत नहीं दे सकता।

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १-३ तथा अनुसूची

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, २१ जुलाई, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१९ जुलाई, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० २७—एल० ए०—१९५२—८३०